खण्ड–34, अंक–05
शुक्रवार, 11 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1934
(दिनांक 01 जून, 2012 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(तृतीय विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2012)

उत्तराखण्ड विधान सभा

(खण्ड 34 में 10 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2013

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	"क"
प्रश्नोत्तर	1–36
नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग	36
नियम– 300 के अन्तर्गत सूचनाएं	37
कार्यसूची की मद संख्या – 02 पर निधन के निदेश का संज्ञान न लिए जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य वि0स0 द्वारा व्यवस्था का प्रश्न	37
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)	37
जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	37–38
गन्ना विकास विभाग एवं चीनी उद्योग के अन्तर्गत गन्ना आपूर्ति हेतु सड़क निर्माणार्थ अंशदायी आधार पर 50–50 प्रतिशत राजकीय एवं संस्थाओं के अंशदान के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना ...	38
देहरादून के अधिकांश क्षेत्रों में एशियन डेवलपमेन्ट बैंक एवं जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की योजनाओं के माध्यम से सीवर लाइन एवं पेयजल लाइनों को बिछाने का कार्य अत्यन्त सूक्ष्म गति से करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	38–39
जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम मुनडी में राम गंगा नदी से लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	39
जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के उच्चाकोट क्षतिग्रस्त पम्पिंग पेयजल योजना की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
जनपद अल्मोड़ा में देवलीखान लिफ्ट पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों के रोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	40
श्री मदन कौशिक, सदस्य वि0स0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 का आय–व्ययक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	40–44

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद पिथौरागढ़ के तड़ीखेत व चिटगाल गांव के मध्य तड़केश्वरी नदी में झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका .... उपस्थापित ...	44–45
जनपद पिथौरागढ़ के स्वालेख से रस्सापाटा मोटर मार्ग के निर्माण / डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका ....उपस्थापित.....	45
उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	45
लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (निरसन) विधेयक, 2012 (पुरःस्थापित)	45–46
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	46–65
वित्तीय वर्ष, 2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ...	65–84
प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों में स्थानीय लोगों के पलायन को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के लिए अलग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, स0वि0स0 का असरकारी संकल्प (अस्वीकृत)	84–89
राज्य में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, स0वि0स0 का असरकारी संकल्प (चर्चा जारी)	89–92
उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की पवित्रता एवं अविरलता बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, स0वि0स0 का असरकारी संकल्प (चर्चा जारी)	93–99
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं	99
ऋषिकेश में गंगा तट पर स्नानार्थी श्रद्धालुओं की गंगा में डूबने से लगातार हो रही मृत्यु की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य ...	99–100
जनपद हरिद्वार में बरसात के समय बी0एच0ई0एल0 के अन्दर से पानी आने के कारण हजारों परिवारों के प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शहरी विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	100–101
नत्थियाँ	102–104

'क'

<u>उपस्थिति</u>

1–श्री अजय टम्टा
2–श्री अजय भट्ट
3–डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4–श्रीमती अमृता रावत
5–श्री अरविन्द पाण्डे
6–श्री आदेश चौहान
7–श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8–श्री उमेश शर्मा (काऊ)
9–श्री गणेश गोदियाल
10–श्री गणेश जोशी
11–श्री चन्दन राम दास
12–श्री चन्द्र शेखर
13–डा0 जीत राम
14–श्री तीरथ सिंह
15–श्री दलीप सिंह रावत
16–श्री दान सिंह भण्डारी
17–श्री दिनेश अग्रवाल
18–श्री दिनेश धनै
19–श्री नवप्रभात
20–श्री नारायणराम आर्य
21–श्री पुष्कर सिंह धामी
22–श्री पूरन सिंह फर्त्याल
23–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''
24–श्री प्रदीप बत्रा
25–श्री प्रीतम सिंह
26–श्री प्रीतम सिंह पंवार
27–श्री प्रेमचन्द अग्रवाल
28–श्री प्रेम सिंह
29–श्री फुरकान अहमद
30–श्री बंशीधर भगत
31–श्री भीमलाल आर्य
32–श्री मदन कौशिक
33–श्री मदन सिंह बिष्ट
34–श्री मनोज तिवारी
35–श्री मयूख सिंह
36–श्री महावीर सिंह
37–श्री मंत्री प्रसाद नैथानी
38–श्री यतीश्वरानन्द
39–श्री यशपाल आर्य
40–श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''
41–श्री रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
42–श्री राजकुमार
43–श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
44–श्री राजेश शुक्ला
45–श्री ललित फर्स्वाण
46–श्री विक्रम सिंह नेगी
47–श्री विजयपाल सिंह सजवाण
48–श्रीमती विजय बड़थ्वाल
49–श्री बिशन सिंह चुफाल
50–श्रीमती शैला रानी रावत
51–श्री संजय गुप्ता
52–श्री सरवत करीम अंसारी
53–श्री सहदेव सिंह पुण्डीर
54–श्री सुबोध उनियाल
55–श्री सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
57–श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी
58–श्री हरक सिंह रावत
59–श्री हरबन्स कपूर
60–श्री हरभजन सिंह चीमा
61–श्री हरीश धामी
62–श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल
63–श्री हेमेश खर्कवाल

शुक्रवार, दिनांक 01 जून, 2012 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष –

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

देहरादून सेवायोजन कार्यालय में बेरोजगार युवाओं का वर्षवार पंजीकरण तथा प्रदान की गई नियुक्तियाँ

*1–श्री गणेश जोशी–

क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून सेवायोजन कार्यालय में कुल कितने बेरोजगार युवाओं का पंजीकरण है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अब तक कितने बेरोजगार युवाओं को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से नियुक्ति प्रदान की गयी?

क्या सरकार बेरोजगार युवाओं का वर्षवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी?

क्या सरकार सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम एवं रोजगार मंत्री (श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल)–

दिनांक 31 मार्च, 2012 तक कुल 114052 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं।

वर्ष 2000 से 31 मार्च, 2012 तक 6079 बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्रदान किया गया।

वर्ष 2000 से 31 मार्च, 2012 तक पंजीकृत बेरोजगारों का विवरण संलग्न है। †

राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के नाम प्रेषित किये जाते हैं तथा उक्त निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा चयन प्रक्रियानुसार प्रेषित नामों में से उपयुक्त नाम का चयन कर बेरोजगारों को सेवायोजित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या – 102 पर)

श्री गणेश जोशी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि स्थानीय औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय लोगों को दिया जाता है, उसके अनुसार क्या यह आरक्षण दिया जा रहा है, अभी तक कितने लोगों को उसके माध्यम से रोजगार दिया गया?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)—

मान्यवर, सादा सा उत्तर है, कितने अभ्यर्थी पंजीकृत हैं, जिनको बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा, इसके लिए मानक बनाये गये हैं, जिसके अनुसार बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहूँगी कि जिनका प्रश्न है उनको अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए। तीन—तीन चार—चार सदस्यों की एक साथ खड़े होने की परम्परा नहीं होनी चाहिए। यदि व्यवस्था नियमित हो जाये तो नये सदस्यों को बड़ा लाभ होगा।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

मान्यवर, देहरादून जनपद में टोटल 6079 बेरोजगार अभ्यर्थियों को सेवायोजन कार्यालय के माध्यम से रोजगार दिया गया है।

श्री गणेश जोशी—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूँ कि क्या स्थानीय औद्योगिक इकाईयों में जो 70 प्रतिशत आरक्षण सरकार द्वारा सुनिश्चित किया गया है उसके सापेक्ष लोगों को रोजगार दिये गये, दिये गये तो अभी तक कितने लोगों को रोजगार दिये गये?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

मान्यवर, 70 प्रतिशत आरक्षण देने का जी0ओ0 उद्योग विभाग का है, जिसमें सिडकुल क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों में स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने की बात कही गयी है, उसके अनुसार रोजगार दिया जा रहा है।

श्री गणेश जोशी—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि रोजगार दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि 70 प्रतिशत आरक्षण के अनुरूप कितने लोगों को दिया गया?

(व्यवधान के मध्य)

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, जो आपने पूछा कि 70 प्रतिशत रोजगार की बात है तो माननीय मंत्री जी ने कहा है कि यह शासनादेश तो उद्योग विभाग के माध्यम से किया गया है, बेरोजगार कार्यालय में जो अभ्यर्थी पंजीकृत हैं उसमें यह कहीं पर नहीं लिखा है कि 70 प्रतिशत लोगों को रोजगार उद्योग विभाग में दिया जाय। (घोर व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, सवाल का जवाब नहीं आ रहा है। (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सेवायोजन कार्यालय में जो लोग पंजीकृत हैं, उनमें से किन को रोजगार दिया जाय, यह काम सेवायोजन कार्यालय का नहीं है, यह तो उद्योग विभाग का शासनादेश है। (व्यवधान के मध्य)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं क्या एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूँ ? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अनुपूरक में सवाल पूछा है कि स्थानीय औद्योगिक इकाईयों में 70 प्रतिशत जो रोजगार मिलता है उसके अनुरूप कितने लोगों को रोजगार दिया गया है तो आप बता दें इसमें आपको क्या दिक्कत है ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, सिडकुल में रोजगार देने के बारे में जो आपने पूछा है सिडकुल में विज्ञापन के माध्यम से, नोटिस बोर्ड के माध्यम से रोजगार दिया जाता है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न को स्थगित किया जाय, जवाब सही नहीं आ रहा है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने जो प्रश्न पूछा है कितने बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, आप दो–दो मंत्री प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कोई बात नहीं है, आप पाँच–पाँच सदस्यगण एक प्रश्न पूछने के लिए खड़े हो सकते हैं तो क्या आप दो–दो मंत्रियों को नहीं झेल पा रहे हैं (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, जो 70 प्रतिशत रोजगार देने का मामला है, वह उद्योग विभाग का मामला है। जब उद्योग विभाग का मामला आयेगा तो उस समय पूछा जाय। (व्यवधान के मध्य)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उद्योग विभाग का मामला है। इसका क्या एम0ओ0यू0 साइन हुआ है ? (घोर व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, अगर एम0ओ0यू0 साईन हुआ होगा तो उद्योग विभाग से हुआ होगा, श्रम विभाग से इसका कोई मतलब नहीं हो सकता। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, माननीय विधायक जी को इसका विवरण आपको अलग से दे दिया जायेगा। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बहुत स्पष्ट कहा है। पहले मैं यह कहना चाहता हूँ, यह कहना कि यह उद्योग विभाग का है, यह इस विभाग का है, यह सरकार की संयुक्त जिम्मेदारी होती है कि कम से कम एक–दूसरे विभाग को बताने का कोई मतलब ही नहीं होता है। यह रोजगार कार्यालय में इसलिए नामांकित होते हैं कि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके। यदि वह शासनादेश उद्योग विभाग का भी है तो वह बेरोजगारों के लिए है ताकि रोजगार मिल सके तो सीधा–साधा सवाल है कि कितने लोगों का पंजीकरण हुआ रोजगार कार्यालय में, (व्यवधान) और उस शासनादेश के अनुरूप कितने लोगों को रोजगार मिला ? यह एक महत्वपूर्ण विषय है, उनका काम केवल पंजीकरण करना नहीं है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उनका सवाल है उद्योग में कितने लोगों को रोजगार मिला? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, इस सवाल को उद्योग विभाग बतायेगा। (घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह सरकार तो आपकी ही है ना (व्यवधान) तो उद्योग विभाग ने शासनादेश किया है वह सरकार से अलग करके तो नहीं किया है। (व्यवधान) सीधा–साधा सवाल है कि बेरोजगार कार्यालय में जो पंजीकृत हुए हैं तो उस शासनादेश के अनुपालन में कितने लोगों को रोजगार मिला है ? (घोर व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, 31 मार्च, 2012 तक 1 लाख 14 हजार 52 बेरोजगार अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तर सुनने का धैर्य रखें। आप अभी तक 'वेल' में नहीं आये, बड़ी मेहरबानी है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी चाहती हैं कि हम 'वेल' में आयें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जाएं। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल स्पष्ट जवाब है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है कि कितनों को रोजगार दिया गया है उसमें स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि 6079 बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार दिया गया है। जहाँ तक सवाल सिडकुल से सम्बन्धित है, इसका जवाब दूसरे विभाग से पूछ सकते हैं। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पीठ का आदर करें। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, समाचार पत्रों के माध्यम से, नोटिस बोर्ड के माध्यम से और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से उद्योग विभाग पद सृजित करता है और जो पद भरे जाते हैं उसकी सूचना भी देता है, लेकिन यह काम उद्योग का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका उत्तर आ गया है।

श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, आपने कहा कि "राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के नाम प्रेषित किये जाते हैं तथा उक्त निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा चयन प्रक्रियानुसार प्रेषित नामों में से उपयुक्त नाम का चयन कर बेरोजगारों को रोजगार दिया जाता है।" मान्यवर, यही तो चाह रहे हैं हम जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि निजी क्षेत्र के लोगों को भेज रहे हैं तो वो कितने हैं यह बता दें। क्या सरकार को मालूम नहीं है ? (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में, बेरोजगार श्रम विभाग से नहीं जाता है।

श्री गणेश जोशी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है इसलिए मैं इस सदन से वाकआऊट करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री गणेश जोशी ने सदन से बहिर्गमन किया और फिर अपने स्थान पर आकर बैठ गये।)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक एक भी अनुपूरक प्रश्न किसी ने नहीं पूछा है। प्रदेश के बेरोजगारों का मामला है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इस प्रश्न पर तो माननीय सदस्य ने वाक आउट कर दिया था। (घोर व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, एक भी अनुपूरक प्रश्न किसी ने नहीं पूछा है। यह प्रदेश के बेरोजगारों का मामला है। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया बैठ जायं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, यह प्रदेश के बेरोजगारों का मामला है। मैं आपके माध्यम से छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया बैठ जायं।

प्रदेश में पंजीकृत शिक्षित व प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या तथा बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार

*2. श्री चन्दन राम दास, श्री मदन कौशिक एवं श्री दान सिंह भण्डारी–

क्या सेवायोजन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं, उनमें शिक्षित बेरोजगार तथा प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है ?

क्या सरकार जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ?

क्या सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो शिक्षित बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में दिनांक 31 मार्च, 2012 तक 6,66,677 पंजीकृत बेरोजगार हैं तथा उनमें शिक्षित बेरोजगारों की संख्या : 6,15,632 है, जिनमें से 89,588 प्रशिक्षित हैं।

पंजीकृत बेरोजगारों का जिलेवार विवरण संलग्न है। †

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या – 103 पर)

राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के नाम प्रेषित किये जाते हैं तथा उक्त निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा चयन प्रक्रियानुसार प्रेषित नामों में से उपयुक्त नाम का चयन कर बेरोजगारों को सेवायोजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोजगार मेलों का भी आयोजन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो प्रशिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं, उनमें आई0टी0आई0 के कितने हैं, पॉलीटेक्निक के कितने हैं, बी0एड0 के कितने हैं और बी0पी0एड0 के जनपदवार कितने पंजीकृत प्रशिक्षित बेरोजगार हैं ? कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 615632 है और प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 89588 है। मान्यवर, प्रशिक्षित बेरोजगारों में आई0टी0आई0, डिप्लोमा यांत्रिकी, स्नातक–स्नातकोत्तर चिकित्सा, बी0टी0सी0, बी0एड0, एल0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थी सम्मिलित हैं। मान्यवर, शिक्षित बेरोजगारों में 152635 हाईस्कूल, 251864 इण्टरमीडिएट, 140176 स्नातक तथा 71057 स्नाकोत्तर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं।

श्री चन्दन राम दास–

मान्यवर, इसमें आई0टी0आई0, पॉलीटेक्निक, बी0पी0एड0 और बी0एड0 छात्रों की संख्या जानना चाहता हूँ। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपका उत्तर अभी माननीय मंत्री जी द्वारा दे दिया गया है। आप भले मंत्री जी से बार–बार क्यों उत्तर बुलवा रहे हैं।

श्री चन्दन राम दास–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर आ तो गया।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है, उसके तीसरे पैरा में लिखा है कि राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त रिक्तियों के सापेक्ष सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों के नाम प्रेषित किये जाते हैं।

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कितने नाम सेवायोजन कार्यालय को प्राप्त हुए हैं और उनमें से कितनों को अलग–अलग दोनों में रोजगार दिया गया है ? दूसरा प्रश्न मेरा है कि आपने जो रोजगार मेला लगाया, उसके माध्यम से कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला ? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, यह अलग–अलग सूचनाएं आपने मांगी हैं, माननीय कौशिक जी, मैं आपका उत्तर दे रहा हूँ, आप पूरे उत्तराखण्ड का चाह रहे हैं ? (व्यवधान) मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के सेवायोजन कार्यालयों द्वारा विगत 5 वर्षों में किये गये पंजीयन, 5 वर्षों में जो आपने किये, सम्प्रेषण, अधिसूचन एवं सक्रिय पंजिका की सूचना वर्षवार इस प्रकार है। 2007 में पंजीयन 82973, सम्प्रेषण 51739, अधिसूचन 5065, नियुक्ति 3956 और सक्रिय पंजिका एल0आर0 में पंजीकरण 481832 है। 2008 में............

श्री मदन कौशिक–

माननीय मंत्री जी, मैंने यह नहीं पूछा, मैंने पूछा, जैसा कि आपने कहा कि सेवायोजन कार्यालयों निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र से प्राप्त रिक्तियाँ आपके पास आती हैं, आपने अपने उत्तर में यह कहा है। मैंने पूछा कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से, आप पूरे 10 वर्ष की बता दें, 5 वर्ष की बता दें, 6 महीने की बता दें, जो उपलब्ध है बता दें कि सार्वजिनक क्षेत्र की कितनी रिक्तियाँ आयीं और निजी क्षेत्र से कितनी आयीं, इसमें जितनी रिक्तियाँ आयीं, उसके सापेक्ष कितनों को रोजगार दिया ? दूसरा सवाल यह है, आपने कहा कि मेले लगाकार भी रोजगार देते हैं, जो मेले लगाते हैं, उनसे प्रत्येक वर्ष या 5 सालों में कितने लोगों को रोजगार मिला ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मेले प्रतिवर्ष लगते हैं। आपने भी लगाए होंगे। मेलों की जानकारी आपको ज्यादा होगी। जहाँ तक आंकड़ों की बात है, तो आंकड़े एकत्र कर आपको सूचना दे देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मेरे पास भिजवा दीजिएगा या मैं स्वयं आपके ऑफिस से ले लूँगा। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, थोड़ा इसको भी करेक्ट कर लीजिए, पहले सवाल में देहरादून में पंजीकरण की जो संख्या माननीय मंत्री जी ने बताई.................

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, पढ़ कर बता दिया आपको फिर भी आप बार–बार क्या पूछ रहे हैं ? (व्यवधान) मान्यवर, 5 साल तक आपने तो बहुत कुछ किया होगा। आप क्या चाहते हैं, दो महीनें में कायाकल्प हो जाएगा ? (व्यवधान) आपने 5 साल तो कुछ किया नहीं और अब पूछ रहे हैं 2 महीनें में क्या किया ? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हैं। खाली आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, पहले सवाल में माननीय मंत्री जी ने बताया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय 'निशंक' जी मेरा आपसे अनुरोध है कि पहला प्रश्न समाप्त हो गया है। अब दूसरा प्रश्न चल रहा है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले प्रश्न पर नहीं आ रहा। मैं दूसरे प्रश्न पर ही कह रहा हूँ। माननीय मंत्री ने प्रश्न के उत्तर में देहरादून में जो पंजीकृत संख्या बताई, वह 114052 बताई और दूसरे सवाल के जवाब में जो सूची संलग्न है, उसमें देहरादून में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 125775 बताई है। तो यह पहले वाला सही है या दूसरा वाला सही है ? (व्यवधान) दोनों आंकड़े आप ही के हैं। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, रोजगार कार्यालय में नौकरी लगने के बाद संख्या कम भी होती है और पंजीयन होने के बाद बढ़ती भी है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने दोनों प्रश्नों के उत्तर में यह कहा है कि यह सूचना 31 मार्च, 2012 तक की है, तो मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या सही है ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल—

मान्यवर, दूसरे प्रश्न में देहरादून जिले के कालसी, विकासनगर सेवायोजन कार्यालय की सूचना भी सम्मिलित है। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''—

मान्यवर, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ है, इसलिये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रश्न को आज स्थगित कर दीजिये। (व्यवधान) दोनों प्रश्नों के उत्तर माननीय मंत्री जी ने ही दिये हैं, दोनों प्रश्न आपस में जुड़े हुये हैं, अनुपूरक में अलग से कुछ नहीं आ रहा है। श्रीमन्, मैं सोचता हूँ कि ठीक है, यदि आज माननीय मंत्री जी के पास पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी पूरी सूचना बाद में माननीय सदन को दे दी जाय और आज इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान) निजी क्षेत्र के कितने हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के कितने हैं, इनके आंकड़े स्पष्ट कर दें। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय 'निशंक' जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं आपके माध्यम से उनको यह बताना चाहता हूँ कि पहले प्रश्न में जो सूचना दी गई है, वह देहरादून शहर में जो सेवायोजन कार्यालय की है तथा दूसरे प्रश्न में जो सूचना दी गई है वह पूरे देहरादून जिले की सूचना है, क्योंकि देहरादून जिले में कालसी में भी सेवायोजन कार्यालय है, इसलिये इसमें दोनों कार्यालयों की सूचना दी गई है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है, वह यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की कुल संख्या क्या है ? जो पहले हमारे प्रदेश में शासनादेश हुआ था कि जो यहां पर सार्वजनिक उद्योग लग रहे हैं उसमें यहाँ के 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार अनिवार्य रूप से दिया जाना है, यदि इस प्रश्न का उत्तर आ जाय तो इससे यह पता लग जायेगा कि इस शासनादेश का कितना पालन हो रहा है यदि पालन नहीं हो रहा है तो इसका पालन हो। इसलिये मैंने कहा है कि इन दोनों सूचनाओं में से कौन सी सूचना सही है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यह एक गम्भीर प्रश्न है, इस पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया, माननीय 'निशंक' जी का कहना बिल्कुल सही है, यदि आप पहले प्रश्न को देखेंगे तो उसमें लिखा है कि 1 लाख 14 हजार 52 लोग पंजीकृत हैं।.......... (कई सदस्यगण के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय भट्ट जी, माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि पहला प्रश्न देहरादून सेवायोजन कार्यालय से सम्बन्धित था और दूसरा प्रश्न देहरादून जिले से सम्बन्धित है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, जिला तो एक ही है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, देहरादून जिले में देहरादून और कालसी, दो सेवायोजन कार्यालय है, पहले प्रश्न में देहरादून कार्यालय की सूचना है और दूसरे प्रश्न में पूरे जिले के आंकड़े हैं।

श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, हमने प्रश्न पूछा था कि दोनों प्रश्नों के उत्तर में इतना फर्क क्यों है तो माननीय मंत्री की ओर से जवाब आया कि विकलांग सेवायोजन को नहीं जोड़ा गया था, अब माननीय मंत्री जी की ओर से घुमाकर जवाब दिया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, उत्तर घुमाकर नहीं दिया जा रहा है, मेरे द्वारा स्पष्ट उत्तर दिया गया है। पहले प्रश्न में पूरे देहरादून कार्यालय की सूचना है और दूसरे प्रश्न में पूरे जिले के आंकड़े हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि माननीय प्रीतम सिंह जी का उत्तर सही है या माननीय दुर्गापाल जी का। दुर्गापाल जी का कहना है कि विकलांग सेवायोजन को इसमें जोड़ा गया और आप कह रहे हैं कि दो कार्यालयों की संख्या को जोड़ा गया है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यदि आप प्रश्न की हैडिंग को देखें तो उसी से यह स्पष्ट हो जाता है।. .... (कई माननीय सदस्यों एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रश्न यह है कि सही उत्तर कौन से मंत्री जी ने दिया है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, दोनों ही उत्तर सही हैं।

श्री अध्यक्ष–

मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब कोई माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे हों तो अनावश्यक रूप से दूसरे माननीय सदस्य को खड़े होकर बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे जिसका नाम यहाँ से पुकारा जाता है, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो खड़े हों, अपनी बात कहें, ताकि स्पष्ट–स्पष्ट उत्तर आ सके। व्यवधान में सुनाई नहीं देता है इसलिए उसमें परेशानी उत्पन्न होती है। इसका आप ध्यान रखें, यह मेरा अनुरोध है।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट उत्तर चाह रहा हूँ। सरकार की तरफ से दो–दो माननीय मंत्रियों के जवाब आये। माननीय प्रीतम सिंह जी ने बोला कि यह देहरादून के सेवायोजन कार्यालय का आंकड़ा है। अन्य जो जिले के अन्य हैं, वो आंकड़े नहीं हैं। इससे पहले माननीय श्रम मंत्री जी का जवाब आया कि जो यह आंकड़ा दिया गया है, यह सेवायोजन कार्यालय, देहरादून जिले का है कार्यालयों के आंकड़े इसमें नहीं हैं। इससे पहले माननीय श्रम मंत्री जी का जवाब आया था कि ये जिले का, देहरादून जिले का है, इसमें विकलांग और अन्य कई प्रकार को नहीं जोड़ा गया है। यह आया है, मेरे ख्याल से कार्यवाही में भी है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि माननीय दुर्गापाल जी ने जो जवाब दिया है, वो सही है या माननीय प्रीतम सिंह जी का जवाब सही है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो आपने पूछा वह स्पष्ट लिखा है। ये अगर आप देखेंगे जो पहला प्रश्न है, उसमें लिखा है सेवायोजन कार्यालय देहरादून और दूसरे में लिखा है, जिलेवार विवरण। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनपद देहरादून में दो सेवायोजन कार्यालय हैं। एक कालसी है और एक देहरादून है।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, आप कालसी के बारे में बता दें। दोनों को जोड़कर हम लगा देंगे। (व्यवधान) मान्यवर, आप कह रहे हैं कि कालसी, देहरादून अलग है तो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि कालसी कितना है और ये कितना है, बता दीजिए। फिर जिला स्पष्ट हो जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जो संख्या बतायी गयी है कि जिले की ज्यादा है और देहरादून की कम है, उसको घटा दें तो, संख्या आ जायेगी।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, कालसी में 11 हजार 723 है। (व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, यह थोड़ा सा और गलत विषय हो गया। माननीय मंत्री जी ने कहा कि कालसी का 11 हजार 723 नामांकन हैं और देहरादून का नामांकन, ये बताते हैं कि 01 लाख 14 हजार है और इन दोनों को जोड़ करके 01 लाख 14 हजार 52 है। तो श्रीमन्, यदि कालसी को इससे जोड़ा है तो श्रीमन्, ये यदि इससे जोड़ा है तो इसे आज की दिनांक में आप स्पष्ट कर लें आपने इससे घटा करके किया है तो एक विषय है और आपके पास अधिकृत सूचना है कि 11 हजार 723 है तो क्योंकि यह सदन का विषय है जो भी सूचना दें श्रीमन्, क्या माननीय मंत्री जी ने सही सूचना दी है कि हाँ, कालसी के कार्यालय में 31 मार्च, 2012 तक 11 हजार 723 हैं। मान्यवर, मैं केवल थोड़ी सी जानकारी चाह रहा हूँ। क्योंकि यह सदन को सूचना दी जा रही है ? आप अधिकृत जानकारी सदन को दें। 31 मार्च, 2012 तक कालसी में 11 हजार 723 नामांकन हैं। क्या अधिकृत जानकरी है आपको ? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, ये है न लिखा है इसमें।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, नहीं–नहीं कागज में तो है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो प्रश्न माननीय सदस्य जी ने किया है कि कालसी सेवायोजन कार्यालय में कुल कितने पंजीकृत अभ्यर्थी है, उनकी संख्या आप बता दीजिए।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, बता दिया है।

श्री अध्यक्ष–

आपका जवाब आ गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह जवाब गलत है अगर कालसी और देहरादून को जोड़ा जाय तो उनकी संख्या 121775 होती है। (व्यवधान) मान्यवर, मेरे बोलने में फीगर गलत हो, यह बात अलग है, लेकिन मान्यवर, यह बिल्कुल भी सही नहीं है। यह प्रश्न स्थगित करने लायक है, यह प्रश्न स्थगित होना चाहिए। क्योंकि यह प्रश्न बेरोजगारों से संबंधित है। इनकी एग्जेक्ट फीगर आनी बहुत आवश्यक है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत सिडकुल क्षेत्र में स्थापित उद्योगों में ठेकेदारी प्रथा में सेवायोजित श्रमिक व श्रम कानूनों के उल्लंघन पर शिकायतें एवं कार्रवाई का विवरण

*3. श्री आदेश चौहान–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2010–11 तथा वर्ष 2011–12 में जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में स्थापित उद्योगों द्वारा कार्यरत श्रमिकों को अधिकतर ठेकेदारी प्रथा में सेवायोजित करने तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा श्रम कानूनों के तहत किन किन उद्योगों में कितने अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी है ?

क्या सरकार राज्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी ?

यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

जनपद हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में श्रम कानूनों के उल्लंघन के सम्बन्ध में वर्ष 2010–2011 में 22 शिकायतें तथा वर्ष 20111–12 में 42 शिकायतें प्राप्त हुई।

श्रम कानूनों के तहत वर्ष 2010–11 तथा 2011–2012 में विभिन्न प्रतिष्ठानों के विरूद्ध दायर अभियोजन का विवरण संलग्न है। †

जी हाँ।

---

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या – 104 पर)

विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्राविधानों के उल्लंघन को रोकने हेतु नियमानुसार जांच, निरीक्षण की कार्यवाही की जाती है तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन कर्त्ताओं के विरूद्ध उपशमन/अभियोजन/निर्देशवाद की प्रभावी कार्यवाही सम्पन्न की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सिडकुल हरिद्वार में कितने श्रमिक ठेकेदारी प्रथा पर काम कर रहे हैं तथा कितने सीधे कम्पनी के रोल पर काम कर रहे हैं ? इसके अलावा माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि ठेकेदारी प्रथा के अन्दर क्या सुविधायें दी जा रही है दूसरा, ठेकेदारी प्रथा पर काम करने की कोई समय सीमा निश्चित है या नहीं ? कितने दिन बाद कोई श्रमिक ठेकेदारी प्रथा से कम्पनी के सीधे रोल पर काम करने के लिए समय सीमा तय है या नहीं?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र में किये गये निरीक्षणों का विवरण इस प्रकार है– हैवल्स इण्डिया लि0 में निरीक्षण हुआ जिसमें 13 उल्लंघन हुए और उपशमन 10 हुए हैं।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि हरिद्वार सिडकुल के अन्तर्गत कितने श्रमिक ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत काम कर रहे हैं और कितने श्रमिक सीधे कम्पनी रोल पर काम कर रहे हैं ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, यह प्रश्न उद्योग विभाग से सम्बन्धित है, यह श्रम विभाग से सम्बन्धित प्रश्न नहीं है। इसका उत्तर उद्योग विभाग से पूछिये वह इसका उत्तर देंगे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर मामला है। यदि माननीय मंत्री जी के पास किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो अलग बात है, वह कह दें कि सूचना मंगा के दे रहे हैं। यदि माननीय मंत्री जी उत्तर में यह कह सकते हैं कि यह प्रश्न इस विभाग का नहीं है तो यह बहुत ही गम्भीर बात है। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, श्रम विभाग का मामला है, उद्योग की जानकारी चाह रहे हैं।

(कई माननीय सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस प्रश्न के दूसरे नम्बर के सवाल पर जवाब दिया है, परन्तु प्रश्न है कि क्या सरकार राज्य में श्रम कानूनों के उल्लंघन को रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करेगी? माननीय मंत्री जी का जवाब है 'जी हां' मान्यवर, आपके माध्यम से सवाल करना चाह रहा हूँ कि बाल श्रमिकों का विषय भी श्रम कानूनों के उल्लंघन में आता है तो अभी तक कितने बाल श्रमिक काम करते हुए पकड़े गये हैं और कितने संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी और क्या कार्यवाही की गयी ? (व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, अब तक हरिद्वार सिडकुल क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों में किये गये निरीक्षणों का विवरण, परफेक्ट फूड्स में (घोर व्यवधान) निरीक्षण दस हुए हैं। उपशमन शून्य, निर्देशावाद दो, प्राभियोजन पांच ओर परिपालित तीन, सूर्या प्रोसिड फूड प्राईवेट लिमिटेड में निरीक्षण हुए हैं और उल्लंघन आठ हुए हैं। (घोर व्यवधान)

शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जरा सुनते कम हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बाल श्रमिक की सूचना पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी। (कई सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान के मध्य)

(व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब तो आ जाने दीजिए ? (घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि लेबर डिर्पाटमेंट के जितने भी अधिकारी हैं क्या वे बिना प्रशासन की अनुमति के फैक्ट्रियों में छापे मार सकते हैं ? (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, श्रमिकों के हितों में श्रम विभाग को निर्देशित भी किया गया है कि विभिन्न कारखानों में जायं और छापा मारें ताकि श्रम कानूनों का उल्लघंन न हो।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, वर्तमान लेबर एक्ट बना हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा है कि प्रशासन की अनुमति लेकर ही लेबर डिपार्टमेंट के लोग छापे मारें अन्यथा वह गैर कानूनी माना जायेगा, यह जिज्ञासा मेरी है। (व्यवधान) क्या इसमें कोई संशोधन हुआ है ? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, इसमें प्रशासन की मदद ली जाती है लेकिन श्रम कानून का उल्लंघन न हो इसलिए श्रम विभाग के सभी अधिकारियों को प्रत्येक कारखाने में जाना होता है और वह जा रहे हैं। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरा बाल श्रमिक के बारे में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, बाल श्रमिक की सूचना पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी। (घोर व्यवधान)

श्री रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, सभी सूचनायें एकत्रित की जानी हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य का जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर नहीं आया है, उन्होंने तीन बार खड़े होकर पूछा, मूल प्रश्न जिनका है, आखिर जब प्रश्नों का जवाब नहीं आयेगा तो सदन का समय बेकार करने से क्या फायदा है, सदन का समय खराब हो रहा है। मान्यवर, सदस्य ने पूछा और प्रश्न में है कि बतायें कि ठेकेदारी प्रथा पर सिडकुल में अभी कुल कितने लोग हैं, वह जवाब नहीं मिला, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट जो लोग हैं उसमें से आपके माध्यम से कितने लोग गये हैं और उन्होंने डायरेक्ट कितने किये हैं, इसका जवाब नहीं आया और दूसरे माननीय सदस्य, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी ने कहा है कि यदि आपका यह एक्ट श्रम पर काम कर रहा है और बाल श्रमिकों की दिशा में काम कर रहे हैं तो आपने कुल अभी तक कितने बाल श्रमिकों को पकड़ा, उनकी संख्या क्या है तो उसके लिए भी आप कह रहे हैं कि पृथक से बता देंगे। श्रीमन्, इन दोनों सवालों के लिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि कम से कम सवालों के जवाब तो आयें, नहीं आता है तो आप स्थगित

dj nhft , ;g gekjh vki l si zFkZk g& ekU;oj] eSekuuh l anh dk Zea=h t h l sHkh dguk pkgrk gwfd i gy sr ksr Sk j h dj d sv kuk pkfg, Fkk y sdu ; fn r Sk j h ugha gksi kr h gSr ksI nu dksxqej kg rksu dj sa dksZck ugha vki bl Á'u dks LFkfxr dj na A

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी को गुमराह करने की कतई भी मंशा नहीं है और न ही उनका आचरण है, न उनकी प्रकृति है और न वे गुमराह करना चाह रहे हैं, उनके पास जो उत्तर हैं वे उत्तर दे रहे हैं। मान्यवर, यह ठीक है कि कुछ प्रश्न ऐसे है जो आपने डायरेक्ट पूछे हैं जैसे बाल श्रमिकों के बारे में पूछा या उद्योग के बारे में पूछा, यह ठीक है उनका उत्तर मिलना चाहिए तो उन्होंने प्रयास किया और उस उत्तर से आप संतुष्ट न हों तो उस पर एक वक्तव्य आ सकता है, मान्यवर, आप स्वीकार कर लें।

श्री रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दोनों बाते कहीं। जो पूछा इसका उत्तर न तो इधर का आया और न उधर का आया और आप कह रही हैं कि इसको वक्तव्य के लिए सुनिश्चित कर लें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, प्रश्न की पूरी सूचना वक्तव्य के रूप में सदन में दे दें। वह आप स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न को स्थगित किया जाता है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत सतपुली बाजार क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने पर विचार

*4. श्री तीरथ सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली बाजार क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

जी हां, विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, आपने कहा कि "विचाराधीन है" और फिर प्रश्न है कि सरकार उक्त क्षेत्र को नगर पंचायत बनाये जाने पर विचार करेगी, उसमें कहा कि "प्रश्न ही नहीं उठता है।" मान्यवर, मेरा पहले प्रश्न में कहना है कि आपने विचाराधीन लिखा है तो यह कब तक कार्यरूप में परिणित हो जायेगा?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, सतपुली नगर पंचायत विचाराधीन है, जिलाधिकारी पौड़ी को इसकी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर दी गयी है और 15 दिन के अन्दर इसमें आपत्ति और सुझाव और आपत्तियाँ प्राप्त हो जायेंगी उसके बाद माननीय मंत्रिमण्डल के समक्ष लाकर इसमें निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, ठीक है, आप आश्वासन दे रहे हैं कि हो जायेगा, डी0एम0 के द्वारा नोटिफिकेशन आदि हो रहा है जो अभी हुआ नहीं है। यह 15 दिन में हो जायेगा, ऐसा आश्वासन आप दे रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, 15 दिन के अन्दर सुझाव और आपत्तियों का निस्तारण जिलाधिकारी के माध्यम से आने के बाद माननीय मंत्री परिषद की बैठक में ले जाकर उस पर विचार किया जायेगा।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, जैसा आपने सतपुली बाजार क्षेत्र के लिए नगर पंचायत के विषय में वक्तव्य दिया है तो क्या इसके अलावा प्रदेश के अन्दर अन्य कुछ क्षेत्रों को भी नगर पंचायत का दर्जा देने की कोई योजना है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश के अन्दर अभी वर्ष 2001 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में नगर पंचायतों के गठन की मांग की जाती रही है और पूर्व में भी हमारे पास 6 नगर पंचायतें हैं। जिनकी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है। मान्यवर, विभिन्न क्षेत्रों से, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बहुत क्षेत्रों को नगर पंचायत क्षेत्रों में शामिल किया जाना है। जहाँ तक नगर निगम क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों को शामिल किये जाने की बात है और जहाँ तक नयी नगर पंचायतों के गठन का सवाल है तो तमाम पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के नये कस्बों को विकसित करने की बात है तो निश्चित तौर पर हमारा यह मानना है कि प्रदेश के अंदर छोटे–छोटे कस्बों को विकसित किया जाना चाहिए और इन तमाम चीजों के लिए मैं सदन में यह आश्वासन देता हूँ कि मैं निकाय पुनर्गठन आयोग की घोषणा करता हूँ और इसके माध्यम से जो रिपोर्ट आयेगी, उसके आधार पर नये पंचायतों के गठन की कार्यवाही की जायेगी।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, जोंक स्वर्गाश्रम लक्ष्मणझूला की जो नगर पंचायत की अधिसूचना जारी हुई है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि कब तक इसका गठन कर दिया जायेगा ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे पास जो पूर्व की छः प्रस्तावित नगर पंचायतें हैं, जिनकी प्रारम्भिक अधिसूचना जारी की जा चुकी है, उसमें जोंक स्वर्गाश्रम भी एक है और शीघ्र विचार किया जाएगा एवं शेष राज्य पुनर्गठन आयोग की, जब हमने बात कर दी है तो उसके आधार पर पूरे प्रदेश के अन्दर पंचायतों का गठन करेंगे, वे भी इसमें शामिल की जायेंगी।

श्री तीरथ सिंह–

मान्यवर, प्रस्तावित नगर पंचायत में गैरसैंण और अगस्त्यमुनि भी है ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, गैरसैंण तो हो गयी है।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, प्रस्तावित छः नगर पंचायतें कौन–कौन सी हैं ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, नगर पंचायत कपकोट, नगर पंचायत गंगोलीहाट, नगर पंचायत कोटी, नगर पंचायत ऊखीमठ, नगर पंचायत अगस्त्यमुनि, नगर पंचायत स्वर्गाश्रम जोंक है।

श्री भीमलाल आर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद टिहरी गढ़वाल का जो घनसाली क्षेत्र है, क्या उसे नगर पंचायत बनाने की कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मान्यवर, घनसाली नगर पंचायत के सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधियों की अवश्य मांग आयी है। जैसे मैंने कहा कि पुनर्गठन में सारे प्रश्न के साथ घनसाली को भी शामिल किया जायेगा।

श्री आदेश चौहान–

माननीय अध्यक्ष जी, हरिद्वार जनपद के अन्तर्गत शिवालिक नगर एक ऐसा क्षेत्र है, जहां पर आज तक कोई प्रशासनिक इकाई नहीं है। यह क्षेत्र न तो किसी ग्राम सभा के अन्तर्गत आता है और न ही यह क्षेत्र किसी नगर पंचायत के अन्तर्गत आता है। मान्यवर, पिछले 20 सालों से वहाँ के लोग इस क्षेत्र को नगर पंचायत में सम्मिलित करने की मांग कर रहे हैं। मान्यवर, वहाँ के लोगों को, जो आम हिन्दुस्तान के आम नागरिकों को जो सुविधाएं मिल रही हैं, वे उन सुविधाओं से वंचित हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि क्या यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या शिवालिक नगर को भी नगर पंचायत बनाया जा रहा है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, शिवालिक नगर की मांग, जैसे माननीय सदस्य ने कहा है कि वर्षों से की जा रही है। मान्यवर, हरिद्वार जैसा कि अपने आप में एक नगर बन चुका है, इसलिए नयी पंचायत का वहाँ पर औचित्य नहीं है, बल्कि आगे उस क्षेत्र को नगर निगम में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री आदेश चौहान–

मान्यवर, आप यह आश्वासन दे रहे हैं कि क्षेत्र को नगर निगम में सम्मिलित किया जा रहा है।

श्री पूरन सिंह फर्त्याल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो नगर पंचायत की बात यहाँ पर आयी है मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पाटी विकास खण्ड भी है और तहसील भी है। क्या यहाँ पर एक नगर पंचायत के गठन पर कोई विचार हो रहा है, क्योंकि यहां पर विकास खण्ड होने और तहसील होने के बाद सभी मानक पूरे होते हैं।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जब मैंने आयोग गठन करने की बात कर दी है तो निश्चित तौर पर जितनी नगर पंचायतों की मांग आयेगी, उनको उसके अन्तर्गत देखा जायेगा। (व्यवधान)

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, क्या नगर निगम गठन भी आयोग में आयेगा ?

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो आपने पुनर्गठन आयोग बनाया है, इसमें जो पुरानी नगर पालिकाएं हैं, उनकी सीमा विस्तार से सम्बन्धित मामले भी आयेंगे ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जो नगर पंचायतें हैं, नगर पालिकाएं हैं और नगर निगम क्षेत्र हैं, उनका सीमा विस्तार भी इसी आयोग के माध्यम से किया जायेगा।

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद का सबसे बड़ा कस्बा है, सुल्तानपुर, जहाँ मैं निवास करता हूँ, क्या उसे भी नगर पंचायत बनाने की योजना है ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, अब तो सारे ही बोलेंगे नगर पंचायत बनाने को। (व्यवधान)

श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष जी, यह हरिद्वार जनपद का ही नहीं, पूरे उत्तराखण्ड राज्य का सबसे बड़ा कस्बा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, आयोग का गठन करने की बात इसीलिए आई कि जहाँ–जहाँ वास्तव में जरूरत होगी, उन पर विचार किया जाएगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि नगर पंचायत निर्माण पर जनसंख्या और क्षेत्रफल का क्या मानक है ? दूसरा प्रश्न

मेरा है, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि हरिद्वार नगर निगम बनाने की बात चल रही है। (व्यवधान) मेरा माननीय मंत्री जी से इसमें प्रश्न है कि क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या हरिपुर कलां को भी इसमें जोड़ने की योजना है, जो कि मेरे क्षेत्र में है ? (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने नगर पंचायतों के गठन के लिए क्षेत्रफल और जनसंख्या के मानक की बात पूछी है। पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या 10 हजार से अधिक और मैदानी क्षेत्रों में 20 हजार से अधिक होनी चाहिए। जहाँ तक आपने हरिपुर कलां को जोड़ने की बात कही है, तो यह आयोग का विषय है, इसको आयोग तय करेगा।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

मान्यवर, अभी स्पष्ट नहीं है ना ? (व्यवधान)

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा हूँ कि जिस आयोग के गठन की कार्यवाही चल रही है, उसकी समय सीमा कब निर्धारित की गयी है, उसकी रिपोर्ट सरकार को कब तक मिलेगी ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, बहुत जल्दी मिलेगी।

राज्य में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या को हल करने हेतु योजना

*5. श्री मदन कौशिक–

क्या श्रम मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बढ़ती बेरोजगारी से छुटकारा दिलाने हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गई है ?

यदि हाँ, तो क्या ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

जी हाँ।

राज्य में बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगारोन्मुख किये जाने हेतु सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत 16 शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना की गई है जिनके माध्यम

से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त स्कूल/कालेजों में आजीविका परामर्श केन्द्र बनाये गये हैं जिनके माध्यम से कैरियर के प्रति जागरूकता एवं विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वतः रोजगार की योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाती है।

निजी क्षेत्र के नियोजकों से समन्वय स्थापित कर कैम्पस प्लेसमेन्ट के जरिये बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु रोजगार मेलों का आयोजन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी ने 3 तरह की व्यवस्थाएं बताई हैं। पहली बताई कि 16 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की जो स्थापना की गयी है, उनके द्वारा कोचिंग प्रदान की जाती है, दूसरी बताई कि स्कूल कालेजों में आजीविका परामर्श केन्द्र बनाये गये हैं और तीसरी आपने निजी क्षेत्र के नियोजकों से समन्वय स्थापित कर प्लेसमेंट करने की बात कही है। मान्यवर, इन तीनों में से आप अलग–अलग बताएं कि प्रत्येक वर्ष कितने लोगों को आपने प्रशिक्षण दिया और उनमें से कितने लोगों को रोजगार मिला ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय पूर्व मंत्री जी, 5 साल इधर रहने के बाद आप पूछ रहे हैं कि 2 महीने में क्या–क्या कर लिया। 5 साल में तो आपने कुछ किया नहीं और चाहते हैं कि 2 महीने में कायाकल्प हो जाए। (व्यवधान) फिर भी हम कर रहे हैं। (व्यवधान)

मान्यवर, आपने पूछा कि अब तक विभिन्न मेलों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार मिला है, तो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि वर्ष 2011 में सेवायोजन कार्यालय द्वारा आयोजित मेला विवरण, इसमें रोजगार मेला आयोजित करने की तिथि 10–10–2011, 17–10–2011 तथा 09–11–2011 यह मेला क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय हल्द्वानी में किया गया, (व्यवधान) क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय अल्मोड़ा में किया गया, नगर सेवायोजन कार्यालय पौड़ी में किया गया, क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, हरिद्वार और नगर सेवायोजन, कार्यालय, पिथौरागढ़ में किया गया। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और माननीय मंत्री जी उसे पढ़ रहे हैं, जो उनको लिखकर मिला हुआ है। मान्यवर, सदन में हम लोग बैठे हुए हैं और पूरे सदन की जिज्ञासा इन विषयों को लेकर रहती है तथा सदन एक

ऐसा माध्यम है, जहां पूरे प्रदेश की जिज्ञासा शान्त होती है। आज बेरोजगारों से सम्बन्धित जितने भी प्रश्न आये, एक प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा सही तरीके से नहीं दिया गया। इसमें लगता है कि मंत्री जी की तैयारी में कमी है......।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, सारे प्रश्नों के उत्तर मेरे द्वारा दिये जा रहे हैं।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आप सदन के संरक्षक हैं, इस विषय पर भी हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हम पूछ कुछ रहे हैं और माननीय मंत्री जी द्वारा उत्तर कुछ दिया जा रहा है, इसलिये इस प्रश्न को आज स्थगित कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, कितने मेले हुए हैं, वह मैं बता तो रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं तो मेलों की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैंने मेले के विषय में प्रश्न पूछा ही नहीं है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, दिनांक 05–02–2011 से दिसम्बर, 2011 तक शिक्षण तथा मार्ग दर्शन केन्द्र द्वारा किये गये कार्यों का विवरण। शिक्षण तथा मार्ग दर्शन केन्द्र, देहरादून, भर्ती की कुल संख्या–106, उसमें शिक्षण प्राप्त की संख्या–23 और स्वतः प्राप्त किया एक ने।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने रोजगार देने के लिए तीन तरह की व्यवस्थायें बताई और कहा कि इनके माध्यम से हम बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। मैंने तीनों के लिए अलग–अलग पूछा है कि कितने लोग उसमें आये और कितनों को रोजगार मिला और कितने वापस गये। इसी प्रकार से दूसरे में कितने आये और तीसरे में कितने आये ?

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ, आप उसी को नहीं सुन रहे हैं। (हँसी)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, आपको सारी जानकारी दी जा रही है, लेकिन आप लोग सुनने के लिये तैयार ही नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा कि मेले के द्वारा कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि सेवायोजन कार्यालय, हल्द्वानी में 142 मेले हुये और अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की संख्या शून्य है और डिवीजनल मैनेजर, टाटा मोटर्स, प्लाट नम्बर एक, पंतनगर में कैम्पस मेला लगा तो उसमें 83 लोगों ने भाग लिया और एक की भी नियुक्ति नहीं हुई। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, अल्मोड़ा में रिंग्स मेरठ रोड, गाजियाबाद द्वारा 617 मेले हुये और रिजल्ट अवेटेड है। इसी प्रकार से पौड़ी में 33 मेले हुये और रिजल्ट शून्य है। मान्यवर, 12.10.11 को 39 मेले हुए रिजल्ट जीरो, 11.12.11 को 42 मेले हुए रिजल्ट जीरो, हैवी व्हीकल मैन्यूफैक्चरिंग पंतनगर में 35 मेले हुए रिजल्ट जीरो, देहरादून में टेक महिन्द्रा, स्पैनको, एयर सेल, इनके 200 मेले हुए रिजल्ट 59, इसी तरह देहरादून में रूड़की रेडियस देहरादून, स्पैनको देहरादून, शिव शक्ति में 193 मेले हुए, 56 नियुक्तियाँ हुई। पिथौरागढ़ में नायडू फील्डमार्शल प्राईवेट लिमिटेड में 180 मेले दिखाये गये और रिजल्ट जीरो है, कोई नियुक्ति नहीं हुई। इसी तरह पिथौरागढ़ में अशोक लीलैंड, रूद्रपुर में टी0एस0एम0 जोशी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में टी0टी0 फाउन्डेशन बैंग्लोर में 260 मेले आयोजित हुए रिजल्ट जीरो, कोई नियुक्ति नहीं हुई। श्री राजीव पाल टैलेन्ट सर्च में 75 मेले हुए और 31 नियुक्तियाँ हुई। मतलब नियुक्तियों का मामला बहुत पुअर है, बहुत कमजोर है। रिजल्ट कोई बहुत अच्छे नहीं हैं।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, टोटल बता दें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, टोटल इसमें किया नहीं है, करना पड़ेगा।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैंने पूछा कि 16 प्रशिक्षण मार्ग दर्शन केन्द्र आपने बनाये, उसमें कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, आप इसे मेले पर न ले जाइये, आप इसका पूरा उत्तर उपलब्ध कराईये। (व्यवधान) मान्यवर, आपने कहा कि स्कूल, कालेजों में परामर्श केन्द्र बनाये गये। तो स्कूल, कालेजों में कहाँ–कहाँ परामर्श केन्द्र बनाये गये ? (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि जो उत्तर विभाग द्वारा तैयार किये गये हैं वो इस क्रम में जितना इन्होंने उत्तर दिया हैं प्रिंट में, उस क्रम में तैयार नहीं है। इन्हें मेलों का उत्तर अलग से देना चाहिए, कैम्पस प्लेसमेंट का अलग उत्तर देना चाहिए जो नियोजकों के द्वारा हुआ और विद्यालयों के परामर्श केन्द्र, कौन–कौन प्रशिक्षण संस्थान, उनका उत्तर अलग से देना चाहिए। ये उत्तर जो दिया है विभाग के द्वारा ये ठीक नहीं है पूरा। प्रशिक्षण केन्द्र कौन–कौन से स्कूल हैं, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात आ गयी मान्यवर, (व्यवधान) माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कह दिया है कि उत्तर ठीक नहीं है। आप इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए मान्यवर।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय विभागीय मंत्री जी ने अध्ययन किया है, मैंने तो अभी कागज मांगा है। वो अगर कोई उत्तर देना चाहते हैं तो सुन लीजिए।

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

मान्यवर, यह सब मैं आपके ही कार्यकाल का पढ़ रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कार्यकाल की बात कहां से हो रही है। हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं और आप कार्यकाल की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कार्यकाल की बात कहां से आ गयी ? (व्यवधान)

श्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल–

माननीय अध्यक्ष जी, लेखा–जोखा आपने मांगा, वो तो देंगे आपको। (व्यवधान) वही लेखा–जोखा तो है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर बात है। सरकार के पक्ष से, ट्रेजरी बेंच से दो आन्सर आ रहे हैं और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रही हैं जिस फॉर्म में यहां आन्सर आना चाहिए था, उस उस फॉर्म में नहीं आया है। जब सरकार खुद ही इसको स्वीकार कर रही है तब तो होना ही चाहिए, स्थगित होना चाहिए मान्यवर, इसके अलावा कोई प्रश्न ही नहीं है मान्यवर।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नहीं, देखिये ऐसा नहीं है जो कागज उपलब्ध है, जिसे मैंने अभी मांगा है, उसमें स्कूलों के भी नाम इन्होंने दिये हैं हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, कोटद्वार तथा चमोली, किसी के समय का भी हो चम्पावत में, इन्होंने कुल योग दिया है भर्ती किये गये परीक्षार्थियों की संख्या 1161, स्कूल दिये, इन्होंने 16 क्षेत्रों के नाम लिखे,, 16 क्षेत्र जो क्षेत्र लिखे जैसे अल्मोड़ा है, कई हो सकते हैं, हल्द्वानी में कई हो सकते हैं, भर्ती किये कुल परीक्षार्थियों की संख्या, ये लिखी हुई है यहाँ पर। उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या भी लिखी हुई है। नियुक्ति स्वतः नियोजित किये गये अभ्यर्थियों की संख्या भी लिखी हुई है। कम्पनी के द्वारा भिजवाये गये अभ्यर्थियों की भी संख्या है जैसे नियुक्ति स्वतः नियोजित किये गये अभ्यर्थियों की संख्या 27 है, सम्प्रेषित कम्पनियों को भेजे गये अभ्यर्थियों की संख्या 134 है, उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या 489 है और कुल जो प्रशिक्षणार्थियों की संख्या है 1161 थी, उसमें 489 एक चुने गये, 27 एक चुने गये, 134 एक, ये कागज में लिखा हुआ है।

मान्यवर, मैंने इसका पूरा अध्ययन नहीं किया है जो मेरे पास है कुल कैरियर कौरनरों की संख्या 1143 है, इसका मतलब हुआ जैसे लमगड़ा, दनिया, हवालबाग, धौलछीना, डाकपत्थर, हरीवाला, गुजराड़ा, रिखणीखाल, डाबरी, दुगड्डा, खैरना, गुरना, सितारगंज, इस तरह के इन्स्टीट्यूशन के नाम भी इसमें दे रखे हैं। इसके अतिरिक्त मेले का आयोजन जो मैंने बोला था, इसमें मेलों के बारे में डिटेल दे रखी है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर बेरोजगारों की बात हो रही है, आपने जो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही है उसमें किस क्लास तक बेरोजगारों को माना गया है ? मेरे संज्ञान में है कि 10 वीं और 12 वीं तक माना गया है। क्या आठवीं क्लास बेरोजगारी की श्रेणी में आयेगा ? क्या आप 8 वीं क्लास को बेरोजगार नहीं मानते हैं ? इससे प्रश्न उठता है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इससे प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि अभी उसकी नियमावली बननी शेष है। हमने इण्टरमीडिएट, ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट, जो सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, जो बेरोजगार है, जिसने शिक्षा प्राप्त कर ली और उसने तय कर लिया कि आगे की ओर की शिक्षा नहीं प्राप्त करेगा तो ऐसे जो बेरोजगार सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड हैं। हम यह कह दें कि हम सभी को बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं यह क्लेम तो कोई भी सरकार नहीं कर पायेगी। लेकिन सौ सवा सौ करोड़ रूपया हमने जो इसके लिए आवंटित किया है, इसमें हमने इण्टरमीडिएट, ग्रेज्युएट और पोस्ट ग्रेज्युएट, जो

इम्प्लाइमेंट एक्सचेन्ज में रजिस्टर्ड हैं, यह नियमावली अभी पूरी नहीं बनी है, लेकिन मोटी–मोटी जो कैबिनेट के बीच में चर्चा हुई है वह इसका हिस्सा है, उनको हम रोजगार देंगे, उन्हें रोजगारी भत्ता देंगे, यह तय करना है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, क्या 8वीं और 10 वीं पास बेरोजगारी की श्रेणी में आयेंगे या नहीं आयेंगे ? अगर 8 वीं पास रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं तो उसे आप बेरोजगारी भत्ते की श्रेणी में रखेंगे या नहीं रखेंगे ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बेरोजगार तो बेरोजगार हैं उनके लिए किन–किन जगह रोजगार हो यह बात अलग है। बेरोजगारी भत्ता किसको दिया जायेगा यह दूसरा प्रश्न है। बेरोजगारी भत्ते की नियमावली में फिलहाल ये श्रेणियाँ मानी गई हैं। बाकी उनको कुशल प्रशिक्षण कराकर फैक्ट्रियों में या अन्य जगह 70 प्रतिशत की जो राजाज्ञा है वह हमारे समय में ही लागू हुई थी। मुझे यह स्वीकार करने में कतई दिक्कत नहीं कि 70 प्रतिशत बेरोजगारों को नियमित नियुक्तियाँ हम उद्योगों में नहीं दिला पाये, उन्होंने ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत उन्हें रखा जिन्हें पूरा वेतन नहीं मिल रहा है। इसकी लड़ाई हम लोगों ने भी लड़ी शायद थोड़ा बहुत प्रयास आपने भी किया होगा। 70 प्रतिशत नियमित नियुक्तियों में दिक्कत क्या है कि हमने टाटा जैसे बड़े उद्योगपतियों से अपेक्षा की कि आप इन्हें स्वयं ट्रेनिंग दें प्रशिक्षित विद्यालयों में और उन्हें क्रमशः नियमित करते जायें।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह हमारे कार्यकाल में शुरू हो गया था। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, बेरोजगारी भत्ता हमने शुरू किया क्योंकि हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए दिया। बेरोजगारी भत्ते के मानक बन रहे हैं। यह दावा कोई नहीं कर सकता कि पाँचवी फेल, क्या बिना पढ़ा लिखा बेरोजगार नहीं होगा। क्या जो मातायें बहिनें घर में बैठी हैं वह बेरोजगार नहीं होंगी, क्या जो अंगूठाटेक हैं वह बेरोजगार नहीं होंगे। बेरोजगारी में अंगूठाटेक भी आयेंगे, मातायें बहिनें भी आयेंगी और विकलांग भी आयेंगे। क्या यह प्रदेश एफोर्ट कर सकता है। मान्यवर, इसकी नियमावली बनायी जा रही है। यह कार्य आपने नहीं किया था यह कार्य हम कर रहे हैं। इसे आप स्वीकार करिये। धन्यवाद दीजिए। (व्यवधान) आपने न विकास किया, न आपने बेरोजगारी भत्ता दिया। (मेजों की थपथपाहट) आपको तो कायदे से प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है, आपने बजट जैसी चीज का बहिष्कार किया। आप किसी भी विकास के कार्य में भागीदार होना नहीं चाहते, खुद तो आपने कुछ नहीं किया, आप लगातार 'वेल' में आये। आपने बजट का बहिष्कार किया इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती है। (शेम–शेम की ध्वनि)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी प्रश्नकाल नहीं चलाने देना चाहती हैं। (घोर व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आप तो रोज हल्ला कर रहे हैं। (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ कि एक माननीय सदस्य का स्पेसिफिक प्रश्न आया। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, हमारे यहाँ जो आठवीं पास तथा दसवीं पास के बेरोजगार लोग हैं क्या उनको आप बेरोजगारी की श्रेणी में रखते हैं या नहीं ? उसका उत्तर केवल हाँ और न में देना था। (घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, क्या पाँचवी पास के लोग बेरोजगार नहीं हैं, क्या अंगूठा छाप लोग बेरोजगार नहीं हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपने कल सारी मर्यादायें तोड़ दी क्षमा करें, आपने कोई मर्यादा नहीं रखी, बजट जैसी चीज का बहिष्कार किया, इसलिए मुझे लगातार बोलना पड़ रहा है।

(कई सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (शेम–शेम)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपकी दादागिरी से और प्रजातंत्र में कल की बातों को आज लाया जा रहा है।

(कई सदस्यगणों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) (शेम–शेम)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपकी दादागिरी लगातार सदन में चल रही है। (शेम–शेम)

(कई सदस्यगणों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार बजट में, बजट को नहीं सुना जाना यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। (कई माननीय सदस्यगणों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमें आपका संरक्षण चाहिए। (कई माननीय सदस्यगणों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(माननीय संसदीय कार्य मंत्री के साथ सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर तथा माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अजय भट्ट तथा भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया, जिसके कारण कुछ भी स्पष्ट सुनाई नहीं पड़ा) (भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य 'वेल' में आ गये और कुछ कागजात फाड़कर ऊपर को फेंकने लगे तथा नारे लगाने लगे।) (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ। (घोर व्यवधान) मैं सदन की कार्यवाही को अपराह्न 3:00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाये जाने पर विचार

1. श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत पहाड़ों की रानी मसूरी में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पार्किंग की बहुत समस्या है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मसूरी स्थित गांधी चौक/पिक्चर पैलेस बस अड्डा या लण्ढौरा में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ,

नोट :– तारांकित प्रश्न संख्या–5 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

पिक्चर पैलेस बस अड्डा पर मल्टी स्टोरी पार्किंग निर्माणाधीन है तथा लण्ढौर क्षेत्र में पार्किंग का निर्माण किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत मसूरी में टाउनहॉल बनाने पर विचार

2. श्री गणेश जोशी–

क्या शहरी विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल होने के बावजूद मसूरी में टाउनहॉल की समुचित व्यवस्था नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार टाउनहॉल बनाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ,

टाउनहॉल के निर्माण की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर मुख्यालय की जे0एन0यू0आर0एम0 में स्वीकृत सीवर लाइन योजना के सम्बन्ध में

3. श्री चन्दन राम दास–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर मुख्यालय की सीवर लाइन की योजना जे0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत है ?

यदि हाँ, तो इसका निर्माण कब तक प्रारम्भ किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार अन्तर्गत शिवालिक नगर (रानीपुर) को नगर पंचायत बनाने की योजना

4. श्री आदेश चौहान–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रानीपुर जनपद हरिद्वार के शिवालिक नगर (रानीपुर) क्षेत्र की जनता की मांग पर शिवालिक नगर को नगर पंचायत बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो कब तक नगर पंचायत शिवालिक नगर की स्थापना कर ली जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या 256/2011 दिनांक 07 मार्च, 2011 द्वारा शिवालिक नगर को नगर पंचायत बनाये जाने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन था। किन्तु नगरपालिका हरिद्वार को उच्चीकृत कर नगर निगम बनाये जाने के उपरान्त शिवालिक नगर को नगर निगम हरिद्वार में सम्मिलित किये जाने पर विचार किया जा रहा है, जिस हेतु जिलाधिकारी हरिद्वार को प्रस्ताव गठित कर उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

5. द्वितीय सोमवार के अतारांकित प्रश्न– 54 में स्थानान्तरित।

जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत में छावनी परिषद के सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने हेतु प्रस्ताव की प्रगति

6. श्री अजय भट्ट–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत में छावनी परिषद के सिविल एरिया को नगर पालिका बनाने हेतु पूर्व सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है ?

यदि हाँ, तो उस पर कार्यवाही का प्रगति विवरण क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

उपरोक्त के क्रम में रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर पालिका के गठन हेतु प्रस्तावित सिविल क्षेत्र चारों ओर सैन्य क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसमें रक्षा प्रतिष्ठान स्थित हैं। सम्बन्धित प्रस्ताव से सुरक्षा सम्बन्धी संवेदनशीलता के अतिरिक्त सैनिकों के स्वास्थ्य एवं रानीखेत कन्टोनमेन्ट बोर्ड की आय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उक्त के आधार पर भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है।

जनपद नैनीताल स्थित "भीमताल तालाब" के चारों ओर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने पर विचार

7. श्री दान सिंह भण्डारी–

7. क्या शहरी विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल स्थित "भीमताल तालाब" के चारों ओर पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट लाइट लगवाये जाने हेतु क्या सरकार यथाशीघ्र कदम उठाए जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जनपद नैनीताल स्थित भीमताल तालाब के चारों ओर नैनीताल झील विकास प्राधिकरण द्वारा स्ट्रीट लाईटें लगाई गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ऊधमसिंह नगर के वि0स0 क्षेत्र खटीमा में नगर पालिका के विस्तारीकरण की योजना

8. श्री पुष्कर सिंह धामी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र खटीमा में नगर पालिका के विस्तारीकरण (सीमा बढ़ाने) हेतु कोई योजना विचाराधीन है ?

यदि हाँ, तो योजना को कब तक क्रियान्वयन किया जायेगा ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देहरादून अन्तर्गत नीलकण्ठ विहार, पथरियापीर, मानसिंहवाला आदि क्षेत्रों में सीवर लाइन बिछाये जाने पर विचार

9. श्री गणेश जोशी–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत नीलकण्ठ विहार, पथरियापीर, मानसिंहवाला आदि क्षेत्रों में सीवर लाइन नहीं है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उपरोक्त क्षेत्र में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेज–2 के अन्तर्गत सीवर लाइन बिछाये जाने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

जी हाँ।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 फेज–2 कार्यक्रम को प्रारम्भ करने की केन्द्र सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही अपराह्न 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई,)

नियम–310 के अन्तर्गत दिये गये विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

आज नियम–310 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। इसमें से श्री मदन कौशिक जी की सूचना जो चार धाम यात्रा तैयारी अन्य संस्थाओं से हो रही समस्याओं से सम्बन्धित है और दूसरी सूचना श्री अजय भट्ट जी की है जो कि प्रदेश में विद्युत कटौती से सम्बन्धित है, इनको मैं नियम–58 में ग्राह्यता पर सुने जाने के लिए स्वीकार करता हूँ।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज नियम–300 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी, श्री ललित फर्स्वाण जी, श्री कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' जी, श्री हरबन्स कपूर जी, श्री बिशन सिंह चुफाल जी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, श्री अजय टम्टा जी तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल जी की 8 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, इनमें से श्री मदन कौशिक जी श्री ललित फर्स्वाण जी, कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन' जी, श्री हरबन्स कपूर जी, श्री बिशन सिंह चुफाल जी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी, श्री अजय टम्टा जी की सूचनाओं को मैं नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ और शेष सूचनायें अस्वीकार करता हूँ।

कार्यसूची की मद संख्या–02 पर निधन के निदेश का संज्ञान न लिए जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, वि0स0 द्वारा व्यवस्था का प्रश्न

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, इससे पहले एक बहुत छोटा सा व्यवस्था का सवाल है। मान्यवर, कार्यसूची में सामान्यतः निधन के निदेश नम्बर–02 पर आते हैं और यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि जब कोई सम्मानित विधायक के साथ कोई घटना होती है, उसकी मृत्यु हो गयी है तो इस सदन की परम्परा रही है उसको श्रद्धांजलि अर्पित कर सदन की तरफ से उसके परिवार को जाती है। पिछले हाउस में भी मैंने इस चीज को कहा था और इस बार भी कहा और एक स्टैन्डिंग आर्डर भी है प्रत्येक डी0एम0 को, कि यदि ऐसा होता है तो तत्काल सूचना सदन को भेजे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, करीब साढ़े तीन–चार महीने हो गये हैं। वर्ष 1965 में श्री महंत घनश्याम दास गिरी माननीय विधायक रहे हैं तब यह पछवादून विधान सभा के रूप में जाने जाते थे और आज तक मुझे नहीं लगता कि सदन में इसकी कोई सूचना आई है।

श्री अध्यक्ष–

एक तो सदन व्यवस्थित नहीं था और दूसरा सूचनायें प्राप्त भी की जा रही हैं, इसी सत्र में आयेगा।

नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हरिद्वार विधान सभा के अन्तर्गत आवश्यकता के अनुसार पीने के पानी की उपलब्धता है लेकिन पिछले दिनों से अचानक ही पूरे क्षेत्र (विधान सभा) में पीने के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पानी की किल्लत उत्पन्न हो गयी है। आर्यनगर, कालीमन्दिर कालोनी, कुम्हारगढ़ कनखल, रेलवे स्टेशन ज्वालापुर के सामने का पूरा क्षेत्र, शास्त्रीनगर, अम्बेडकर नगर, औद्योगिक क्षेत्र हरिद्वार, निर्मलाछावनी, बगानीबस्ती, भीमगोड़ा आदि अनेक क्षेत्रों में पानी की भारी कमी के कारण क्षेत्र में जनता के मन में रोष व्याप्त है। विषय अविलम्बनीय, तत्कालिक, लोकमहत्व का है अतः सदन का ध्यान आकर्षित कर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूँ।

(श्री ललित फर्स्वाण का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे।)

गन्ना विकास विभाग एवं चीनी उद्योग के अन्तर्गत गन्ना आपूर्ति हेतु सड़क निर्माणार्थ अंशदायी आधार पर 50–50 प्रतिशत राजकीय एवं संस्थाओं के अंशदान के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, जैसा कि गन्ना विकास विभाग एवं चीनी उद्योग के अन्तर्गत, गन्ना आपूर्ति हेतु सड़क निर्माणार्थ अंशदायी आधार पर 50–50 प्रतिशत राजकीय एवं संस्थाओं के अंशदान से कार्य होता रहा है।

उक्त संदर्भ में शासनादेश संख्या–684 दिनांक 17–09–2009 सरकार द्वारा जारी कर, उक्त अन्तरग्रामीण सड़क निर्माण योजना में राजकीय अंशदान में वृद्धि करते हुए 50 प्रतिशत के स्थान पर 75 प्रतिशत सीमा निर्धारित कर दी गई है।

चीनी मिलों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के सापेक्ष यह एक उचित कदम है, जिससे सुदूर ग्रामीण अंचलों से कृषकों को, गन्ना आपूर्ति में सहायता प्राप्त हो सकेगी, लेकिन जनपद हरिद्वार में इस ओर उदासीनता एक चिंता का विषय है।

जैसे कि जनपद हरिद्वार में रू0 1.50 करोड़ संस्थाओं पर मैचिंग ग्रॉट के रूप में उपलब्ध है। अतः सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में रू0 4.50 करोड़ की धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। अतः जनहित के रूप में इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं ध्यानाकर्षण कर उचित कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराये जाने की मांग करता हूँ।

देहरादून के अधिकांश क्षेत्रों में एशियन डेवलपमेन्ट बैंक एवं जे.एन.एन. यू.आर.एम. की योजनाओं के माध्यम से सीवर लाइन एवं पेयजल लाइनों को बिछाने का कार्य अत्यन्त सूक्ष्म गति से करने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबन्स कपूर–

मान्यवर, गत् एक वर्ष से भी अधिक समय से देहरादून के अधिकांश क्षेत्रों में एशियन डेवलपमेंट बैंक एवं जे0एन0यू0आर0एम0 की योजनाओं के माध्यम से सीवर

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लाइन एवं पेयजल लाईनों को बिछाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य में गुणवत्ता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है जिससे कि आम व्यक्ति को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। विभागों में आपस में तालमेल की कमी भी दिखाई दे रही है।

महोदय, जो सड़कें एक साल पहले खोद दी गई थीं उनका पुनरूद्धार आज तक नहीं किया जा सका, जबकि नियमानुसार इसे तीन महीने में ही पूरा कर लिया जाना था। ट्रेन्चेस खोदे जाने के बाद मिट्‌टी मलबा आदि नहीं उठाया जा रहा है जिससे कि आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि दुपहिया वाहनों का चलना भी मुश्किल हो रहा है। कई क्षेत्रों में मिट्‌टी को सड़क पर ऐसे ही फैला दिया गया है जिससे पानी निकासी हेतु बनाई गयी नाली भी मलबे से ठसाठस भरी है। लाखों रूपये की लागत से बनी नालियाँ क्षतिग्रस्त हो रही हैं तथा गंदा पानी खुले में बहकर बाधा उत्पन्न कर रहा है।

मान्यवर, योजनाओं का न तो ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो रहा है और न ही इसका अनुश्रवण हो रहा है और यदि आने वाली बरसात से पूर्व आवश्यक कार्यवाही न की गयी तो लाखों लोगों को असुविधा ही नहीं अपितु अनेकों कठिनाईयों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक कि घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा।

महोदय, अति लोक महत्व के इस विषय पर नियम–300 के अन्तर्गत मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा तथा अनुरोध करता हूँ कि सम्बन्धित अधिकारी इस गम्भीर समस्या के समाधान हेतु तुरन्त कार्यवाही करें। धन्यवाद।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम मुनडी में राम गंगा नदी से लिफ्ट सिंचाई की योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के ग्राम कमतोली एवं मुनडी गाँव हेतु सिंचाई के लिए राम गंगा नदी से लिफ्‌ट सिंचाई की योजना बनाई गई है। जबकि ग्राम मुनडी को लिफ्‌ट सिंचाई योजना से वंचित किया गया है। मुनडी गाँव में शत् प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। सिंचाई के कोई साधन नहीं होने के कारण मुनडी के लोगों के खेत बन्जर हैं। विभाग से कई बार मांग की गई है। लेकिन इस पर विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिस कारण जनता आन्दोलित है।

अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के उच्चाकोट क्षतिग्रस्त पम्पिंग पेयजल योजना की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

* श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के उच्चाकोट पम्पिंग पेयजल योजना की ओर दिलाना चाहती हूँ। महोदय, यह पम्पिंग पेयजल योजना बहुत पुरानी हो चुकी है, इसके पम्प, पाईप आदि सभी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस योजना से लाभान्वित होने वाले जो गाँव हैं, उनमें पानी नहीं पहुँच रहा है, जिससे भयंकर पेयजल संकट छाया है। लोग बूँद–बूँद के लिए तरस रहे हैं। गाँवों में लोग आक्रोशित हैं। अगर समय रहते इस पेयजल योजना को सुधारा नहीं जाता है तो जनता कभी भी आन्दोलनरत् हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर कार्यवाही करने की मांग करती हूँ।]

जनपद अल्मोड़ा में देवलीखान लिफ्ट पम्पिंग पेयजल योजना निर्माण न होने के कारण ग्रामीणों के रोष के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अजय टम्टा–

मान्यवर, अल्मोड़ा जनपद में देवलीखान लिफ्ट पम्पिंग पेयजल योजना बनाई जानी है। जिसकी डी0पी0आर0 व समस्त सम्बन्धित पेयजल योजना बनाने हेतु स्वैप योजना के अन्तर्गत कार्यवाही कर, कार्यवाही शासन में लम्बित है। इस योजना से विकास खण्ड हवालबाग व विकास खण्ड ताड़ीखेत के लगभग 36 ग्राम पंचायतों को पेयजल की आपूर्ति होनी है। वर्तमान में पेयजल योजना न बनने के कारण घोर परेशानी है। विभाग से कई बार मांग की गयी है। लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गयी, जिस कारण जनता आक्रोशित है।

अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक विषय पर सदन से कार्यवाही की मांग करता हूँ।

श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 का आय–व्ययक प्रस्तुत न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, एक औचित्य का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, आज जो कार्य सूची सभी माननीय सदस्यों के सम्मुख है, उसमें मद संख्याः– 14 में वित्तीय वर्ष

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी सदन में जब बजट ही पेश नहीं हुआ है। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इस चीज को लेकर नाराज भी थीं कि उनका बजट पेश ही नहीं हुआ, हमने उनका गुस्सा भी देखा। (कई माननीय सदस्यों के बैठे–बैठे एक साथ बोलने पर व्यवधान) । मान्यवर, बजट कोई पेश नहीं हुआ। मान्यवर, हमने कोई बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि हम यहीं उपस्थित थे। मान्यवर, जैसा कि आपको विदित है सम्पूर्ण विपक्ष ने आपके सम्मुख एक निवेदन किया था कि कल नियम–310 के अन्तर्गत हमारी जो महंगाई पर चर्चा की मांग थी, उसको लेकर हम लोग मांग कर रहे थे और उसी समय चार बजे का समय जो बजट प्रस्तुतीकरण के लिए नियत था, उस पर आपने नाम पुकारा माननीय वित्त मंत्री जी का कि अपना बजट प्रस्तुत करें। मान्यवर, परम्परा भी है, यही संविधान, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली और जो संसदीय पद्धति और प्रक्रिया है, इन सब में इसका विस्तार से उल्लेख किया गया है। मान्यवर, इसके अध्याय–15 और नियम–17 को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण ऐसे दिन पर सभा के समक्ष रखा जायेगा जो राज्यपाल नियत करेंगे।

मान्यवर, भारत के संविधान के अनुच्छेद–202 और अनुच्छेद–266 में इसका और भी विस्तार से स्पष्ट उल्लेख है, जिसको मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। मान्यवर, अनुच्छेद–202 में स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार से किन–किन बिन्दुओं को लेकर वित्तीय विवरण माना जायेगा। इसमें लिखा है "(1) राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में राज्य के विधान–मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में "वार्षिक वित्तीय विवरण" कहा गया है।

(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में–

(क) इस संविधान में राज्य के संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए आपेक्षित राशियां, और

(ख) राज्य की संचित निधि से किए जाने के लिए प्रतिस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए आपेक्षित राशियां,

पृथक–पृथक दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा।

(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्–

(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से सम्बन्धित अन्य व्यय,

(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते,

(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों के सम्बन्ध में व्यय,"

मान्यवर, यह सारी चीजें इसमें दर्शाई गयी हैं। ये सारी चीजें जो बजट माननीय वित्त मंत्री रखेंगे, जब उसे सदन के सम्मुख पढ़ेंगे तो उसमें एक–एक चीज विस्तार से यहाँ पर कहेंगे। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य और वित्त मंत्री खड़ी होकर कौल और शकधर या गुरदीप चन्द्र मल्होत्रा, जो अनुवादक और संपादक हैं, उसको यहाँ पर जरूर रखेंगी, उसका वर्णन जरूर करेंगी। उससे पहले मैं जरूर निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि इसके अध्याय–29 में इसी विषय पर स्पष्ट रूप से दिया गया है और उसमें लोक सभा से लेकर राज्यों की विधान सभाओं में किस तरह से बजट प्रस्तुत होता है, उसके बारे में विस्तार से दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, केवल यही नहीं, उत्तर प्रदेश या अनेक अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश चूँकि हमारा मूल राज्य रहा है, पिछले दिनों देखने में आया कि वित्त मंत्री या वित्त मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री बजट भाषण प्रस्तुत करते हैं तो कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि विपक्ष के हंगामे के कारण उनके हाथ से बजट की प्रतियाँ छीन ली गयी लेकिन इंतजार किया गया और दूसरी प्रति मंगाकर वहीं से वित्त मंत्री ने पढ़ना शुरू किया और उसको अन्त तक पढ़ा। क्योंकि वह प्रस्तुत हुआ तब माना जाएगा, जब उसको पूर्ण रूप से पढ़ा जाएगा। यहाँ इस तरह का भी कोई प्रस्ताव नहीं आया कि सम्पूर्ण बजट भाषण पढ़ा हुआ मान लिया जाय। यह परम्परा भी नहीं है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आज प्रदेश के सामने घोर संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। आज इस पर चर्चा करने से पहले यह तय हो जाय कि यह बजट इस राज्य की विधान सभा में रखा ही नहीं गया है। उन्होंने पहला पैराग्राफ, बीच का पैराग्राफ और एक–आध और पैराग्राफ पढ़ कर समाप्त कर दिया। उनका गुस्सा होना जायज था, आज हमें भी लगा कि उनका गुस्सा जायज था। उनका बजट था, वह निश्चित रूप से रखा नहीं गया है और इस राज्य के सामने यह संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है कि अगली जो भी कार्यवाही होगी वह सब असंवैधानिक होगी क्योंकि जब तक बजट प्रस्तुत नहीं होगा और चूँकि यह बजट आ चुका है और इस बजट को दुबारा लाया नहीं जा सकता है इसीलिए पुनः राज्यपाल के पास जाना पड़ेगा, फिर से तारीख नियत करानी पड़ेगी। अभी हमारे पास दो दिन हैं। कल शनिवार का है, परसों रविवार का है। इस पूरी प्रक्रिया को इन दो दिनों में हमें पूरा करना है।

इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, आपका निर्देश जाए, बिना विलम्ब के जाना चाहिए, यह मेरा निवेदन है क्योंकि घोर संवैधानिक संकट से इस प्रदेश को बचाना है। इसको राज्यपाल के पास भेजना पड़ेगा और वहाँ से फिर अनुमति लेकर दुबारा सोमवार के दिन इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे रख रहा हूँ, इसको आप स्वीकार करें और सरकार को निर्देश दें कि तत्काल इस प्रक्रिया को पुनः प्रारम्भ करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक जी द्वारा नियम–299 के अन्तर्गत दी गई सूचना में माननीय सदस्य द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दिनांक 31–05–2012 को विधान सभा में बजट प्रस्तुत किया जाना था लेकिन विपक्ष के सदस्यों द्वारा नियम–310 के अन्तर्गत महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर नारेबाजी की जा रही थी। माननीय सदस्य का कथन है कि बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री सदन में अपना बजट नहीं पढ़ सकीं। इस प्रकार अभी सदन में बजट प्रस्तुत नहीं हो सका है। आज दिनांक 01–06–2012 की कार्यसूची की मद संख्या–14 के अन्तर्गत उन्होंने वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक पर चर्चा की मद पर प्रश्न चिन्ह लगाया है तथा स्पष्ट कर आरोपित किया है कि जब बजट प्रस्तुत ही नहीं हुआ तो चर्चा कैसे की जायेगी ? उन्होंने इसे संविधान का अनुच्छेद–202 एवं 266 तथा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के विरूद्ध बताते हुए घोर संवैधानिक संकट के दृष्टिगत औचित्य के रूप में सूचना प्रस्तुत की है।

माननीय श्री मदन कौशिक जी पुराने सदस्य हैं तथा मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनका ध्यान भारत का संविधान के अनुच्छेद–202 तथा 266, जिसका उन्होंने स्वयं उल्लेख किया है, की ओर आकृष्ट करते हुये उक्त प्रावधान सदन के सम्मुख पढ़ रहा हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मैं इन्हें पढ़ चुका हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसके साथ ही मैं माननीय सदस्य का ध्यान उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम–171 तथा 175 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। अनुच्छेद–171 में प्रावधान है कि "प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बारे में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राक्कलित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण जिसे (इसके पश्चात् 'आय–व्ययक' कहा गया है) ऐसे दिन पर सभा के समक्ष रखा जायेगा, जो राज्यपाल नियत करें।"

महामहिम श्री राज्यपाल द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के प्रस्तुतीकरण हेतु दिनांक 19 मई, 2012 को अपनी संस्तुति कर दी गई थी। इसके साथ ही प्रक्रिया नियमावली के नियम–175 में साधारण चर्चा किये जाने का प्रावधान है। माननीय सदन अवगत है कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 29–05–2012 की बैठक में 30 मई से 01 जून, 2012 तक के उपवेशनों का जो कार्यक्रम तय किया है, उसे इस माननीय सदन द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, जिसके अनुसार वित्त मंत्री द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर कल दिनांक 31–05–2012 को वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक को प्रस्तुत किया गया है। आय–व्ययक के साथ वित्त मंत्री जी बजट भाषण पढ़ते हैं, वह पूरे आय–व्ययक का एक संक्षिप्त सार होता है। जब माननीय वित्त मंत्री उक्त आय–व्ययक प्रस्तुत कर रही थीं तो प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यों के द्वारा घोर व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसमें कि कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अतः मैंने पीठ से निदेश दिया था कि माननीय वित्त मंत्री द्वारा जो बजट भाषण दिया जा रहा है, उसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय। अतः औचित्य के प्रश्न के रूप में इस प्रश्न को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, आप कब तक इस प्रकार सरकार को बचायेंगे, आप तो हर समय सरकार को बचाते रहते हैं।

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल आर्य)–

मान्यवर, यह तो माननीय पीठ पर आरोप है।

(सत्ता पक्ष के कई माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर आकर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ।

(घोर व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय कौशिक जी, आप संविधान का अनुच्छेद–202 और 266 को पढ़ चुके हैं, जैसा आप बता रहे हैं, वैसा नहीं है, इसलिये यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

जनपद पिथौरागढ़ के तड़ीखेत व चिटगाल गांव के मध्य तड़केश्वरी नदी में झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के तड़ीखेत व चिटगाल गांव के मध्य तडकेश्वरी नदी में झूला पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री गणेश राम

पुत्र श्री काशी राम एवं अन्य निवासीगण, ग्राम चिटगल गांव, पो0आ0 सौगांव, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पिथौरागढ़ के स्वालेख से रस्सापाटा मोटर मार्ग के निर्माण/डामरीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद पिथौरागढ़ के स्वालेख से रस्सापाटा मोटर मार्ग के निर्माण/डामरीकरण के सम्बन्ध में श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री ऊर्बा दत्त एवं अन्य निवासीगण, ग्राम खनपर, पो0आ0 रस्सापाटा, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (निरसन) विधेयक, 2012

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण (निरसन) विधेयक, 2012 को पुरःस्थापित करती हूँ।

कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री दलीप सिंह रावत, श्री राजेश शुक्ला, श्री मदन कौशिक, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री पुष्कर सिंह धामी, श्री बिशन सिंह चुफाल, श्री हरबन्स कपूर, श्री अजय टम्टा तथा श्री बंशीधर भगत की कुल 09 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला, श्री पुष्कर सिंह धामी तथा श्री बिशन सिंह चुफाल की सूचनाओं को ग्राह्यता पर सुन लूँगा। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

*श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं चार दिन से सूचना दे रहा हूँ। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 'वेल' के नजदीक आकर अपनी बात कहने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय जीना जी, यह बहुत गलत बात है।

*नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय, अगले दिन आप इस सूचना को ले लें, बहुत महत्वपूर्ण है। सोमवार को ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है।

(माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना अपने स्थान पर आकर बैठ गये।)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा वाला विषय भी सोमवार को आ जायेगा ? शिक्षा के क्षेत्र का मामला है माननीय अध्यक्ष जी, विनिश्चय आ जाये।

श्री अध्यक्ष–

नियम–58 की जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं। उन सबको लेना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए बाद में जो सूचनाएं आएंगी, आगे हम देखेंगे कि कितना समय मिलता है, कितना उनको स्वीकार किया जाता है, उस हिसाब से तय होगा।

*श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में 20 मई, 2012 को एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। इसमें एक बहुत बड़ा हादसा बच भी गया। बहुत सी छात्राएं मर सकती थीं। लेकिन वहां आठ गरीब श्रमिक गैस सिलेन्डर के फट जाने से दुर्घटना में घायल हो गये। सरकार की ओर से इतनी संवेदनहीनता दिखायी गयी, उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गयी, कोई मदद नहीं की गयी और इलाज के दौरान सामाजिक सहयोग से और आपसी सहयोग से कुछ इलाज उनका शुरू किया गया। उचित इलाज न मिल पाने के कारण 4–5 दिन के अंदर चार श्रमिक उसमें से मर गये। मैंने जानना चाहा है कि जो लोग उसमें घायल हैं, उनके इलाज के लिए सरकार कुछ देगी और जो मर गये हैं उनके लिये कोई अनुदान, सहायता सरकार की ओर से मिलेगी, ये मेरा प्रश्न है और मैं इस पर चर्चा की मांग करता हूँ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, यह सही है कि एक दुःखद घटना पंतनगर में घटी और उसमें गैस सिलेण्डर के फट जाने से घायल हुए 8 गरीब श्रमिकों में से 04 श्रमिक ठीक प्रकार से इलाज न होने के कारण मर गये तथा शेष 04 की भी हालत नाजुक बनी हुई है। सरकार की ओर से इसमें विश्वविद्यालय के स्टॉफ एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा मृतकों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों की आर्थिक सहायता हेतु धनराशि एकत्रित कर प्रत्येक मृतक के आश्रित को रूपया एक लाख तथा प्रत्येक घायल को रूपया पचास हजार राहत के रूप में दी जा रही है। शासन की ओर से जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर को आपदा राहत के मानकों के अन्तर्गत धनराशि प्रदान करने के निर्देश किये जा रहे हैं। अग्निकाण्ड से मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को डेढ़ लाख रूपये प्रति मृतक एवं घायलों को 40–80 प्रतिशत तक जलने के कारण रू0 43,500 प्रति व्यक्ति एवं 80 प्रतिशत से अधिक जलने की दशा में रू0 62,000 प्रति व्यक्ति की सहायता अनुमन्य कराई जाती है, यह नियम के अन्तर्गत है। इसके अतिरिक्त एक सप्ताह तक चिकित्सालय में भर्ती रहने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पर रू0 9,300 प्रति व्यक्ति एवं इसके एक सप्ताह से कम तक चिकित्सालय में भर्ती रहने पर रू0 3,100 प्रति व्यक्ति की सहायता अनुमन्य है। ये राशि उनको पहुँचा दी गई है। यदि जो सूचना मैंने दी है इसके विपरीत कोई बात होती है तो राजेश शुक्ला जी बतायेंगे।

अनुग्रह राशि का भुगतान मृत्यु के कारण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने की स्थिति में राहत कार्यो में लगे या पूर्व तैयारियों से जुड़े व्यक्ति के परिजन भी इस लाभ से आच्छादित है। किसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के कारण किसी नागरिक की किसी अन्य राष्ट्र में मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को यह राहत अनुमन्य होगी। यह नियम की बात बता रहे हैं। किसी अन्य राष्ट्र के नागरिक की भारतीय भू–भाग में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को इस राहत राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा। हाथ पैर, आँख या आँखों की क्षति होने पर अनुग्रह भुगतान रू0 43,500 प्रति व्यक्ति 40 से 80 प्रतिशत, रू0 62,000 प्रति व्यक्ति अपंगता के रू0 80 प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, जानलेवा चोट पर रू0 9,300 प्रति व्यक्ति, ये जो मानक हैं रू0 3100 प्रति व्यक्ति एक सप्ताह से अधिक की अवधि तक चिकित्सालय में रहने की स्थिति का है। यह एक नियमावली बनी हुई है उसके आधार पर जो मेरे पास सूचना है, उसके अनुसार इनको पैसा दिया जा चुका है। मान्यवर, डेढ़ लाख रूपया मृतक व्यक्ति के आश्रितों को एवं घायलों को 40–80 प्रतिशत तक जलने पर रू0 43,500 प्रति व्यक्ति एवं 80 प्रतिशत से अधिक जलने पर रू0 62,000 प्रति व्यक्ति और एक सप्ताह तक चिकित्सालय में भर्ती रहने पर रू0 9,300 प्रति व्यक्ति, नियमानुसार दिया गया है और कोई अन्य बात होगी तो आप हमें सूचना दें।

श्री राजेश शुक्ला–

माननीय अध्यक्ष जी, इस घटना को आज 11 दिन बीत गये हैं, बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक सरकार की ओर से कोई सहायता राशि उनको नहीं मिली है, जो सामाजिक संस्थाओं और हम सबके सहयोग से उनका इलाज कराया गया उस इलाज के दौरान वह मर रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा कोई मनुष्यता का परिचय नहीं दिया गया है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर मामला है, एक माननीय सदस्य ने बहुत गम्भीर बात कही, सरकार की तरफ से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने धनराशि दिये जाने की बात कही। माननीय सदस्य यहाँ कह रहे हैं कि आज 11 दिन तक वहाँ पर कोई धनराशि नहीं गयी है, इससे ज्यादा गम्भीर बात कोई हो नहीं सकती है कि सरकार कैसे चल रही है। 11 दिन तक धनराशि न मिले इतने गम्भीर मामले में आप इसका संज्ञान लें और निर्देश जारी करें, यह मेरी आपसे कृपापूर्वक प्रार्थना है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, ठीक है। आपने कहा इसमें भी लिखा है कि धनराशि प्रदान करने के निर्देश दिये जा रहे हैं, मैं इसकी कापी मांग रही हूँ कि किस तारीख को निर्देश निर्गत किये गये और अब तक क्यों नहीं पहुँचा। इसमें सख्त निर्देश दूँगी कि तत्काल यह धनराशि उन तक पहुँचाई जाये और इसके विलम्ब के लिए कौन दोषी है, उन पर कार्यवाही हो।

श्री राजेश शुक्ला–

मान्यवर, कब तक यह धनराशि मिल जायेगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, तत्काल कल परसों तक अवश्य मिल जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री राजेश शुक्ला जी एवं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा विषय किसानों से सम्बन्धित है जो जनपद ऊधमसिंह नगर में गेहूँ की खरीद में बहुत अनियमिततायें हुई हैं। जिसके कारण से वहाँ पर बारदाना उपलब्ध नहीं होने के कारण मान्यवर, जो सेन्टर हैं वहां पर बहुत लम्बी–लम्बी लाईन लगी हुई हैं। एक–एक महीने पहले से लोगों ने समय लिया हुआ है लेकिन उनके गेहूँ की तोल नहीं हो पा रही है। जिस कारण किसान परेशान हैं और उनके अन्दर काफी आक्रोश भी है। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है चूंकि पूरे साल भर किसान खेतों में मेहनत करके उन्हें सेन्टर तक लाता है, लेकिन फसल की लिफिंट्ग नहीं हो पा रही है, जिससे लिफिंट्ग की समस्या हो रही है और आर0एफ0सी0 कहते हैं कि गोदामों में जगह नहीं है जिसके कारण दिक्कत हो रही है। चूंकि यह महत्वपूर्ण विषय किसानों से जुड़ा हुआ है। इसलिए सदन की कार्यवाही को रोककर इस विषय पर चर्चा करने की मांग करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, नियम–58 में माननीय सदस्य श्री पुष्कर सिंह धामी ने जो प्रश्न उठाया है उस पर मैंने बारिकी से जानकारी ली थी। जो उत्तर है वह यह है कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुण–विनिर्दिष्टयों के आधार पर मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत गेहूँ की खरीद हेतु शासनादेश दिनांक 29.03.2012 द्वारा राज्य के किसानों से गेहूँ क्रय हेतु क्रय नीति जारी की गयी है, जिसके अनुसार दिनांक 01.04.2012 से रबी विपणन

सत्र 2012–13 में राज्य की 03 गेहूँ क्रय एजेन्सियाँ क्रमशः खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग एवं भारतीय खाद्य निगम द्वारा जनपद ऊधमसिंह नगर में खोले गये कुल 143 गेहूँ क्रय केन्द्रों पर दिनांक 29.05.2012 तक उक्त नीति के अनुसार 1,14,262 मी0टन गेहूँ का क्रय किया जा चुका है। गेहूँ क्रय हेतु कुमायूँ सम्भाग के लिए रूपये 100 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसके विरूद्ध अब तक खाद्य विभाग एवं सहकारिता विभाग द्वारा रूपये 45.00 करोड़ का भुगतान किसानों को मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत किया जा चुका है।

प्रकरण पर बारदाना (बोरे) की उपलब्धता का प्रश्न है इस विषय में अवगत कराना है कि दिनांक 31.03.2012 को कुमायूँ सम्भाग में 13,48,312 एस0बी0टी0 जूट एवं 1,77,093 पी0पी0 कुल 15,25,405 बोरे पूर्व से ही उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त जनपद ऊधमसिंह नगर के राईस मिलर्स से ऋण आधार पर 8,56,000 एस0बी0टी0 जूट बोरे प्राप्त कर गेहूँ का क्रय किया जा रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति डी0जी0एस0 एण्ड डी0 को प्रेषित 6.70 लाख बोरों के इण्डेंट से प्राप्त होने वाले बोरों से की जायेगी। हमने जो विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और उसका मेरे पास पूरा चार्ट भी है उसके आधार पर उन्होंने कहा कि हमारे पास इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आयी थी कि बोरे की उपलब्धता न होने से कोई दिक्कत आयी हो।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी के पास जो लिखित रूप में सूचना आयी है वह व्यवहारिक रूप से नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरी कल ही जिलाधिकारी से बात हुई है और उन्होंने मुझे अवगत कराया है कि खटीमा और सितारगंज में बारदाने की बहुत समस्या है। मान्यवर, आपके माध्यम से कम से कम वहाँ की जनता को कोई न कोई राहत मिलनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, आपने जो बात उठायी उसके बारे में मैंने अधिकारियों से बातचीत की है, उनकी यह सूचना है। आप सम्मानित सदन के माननीय सदस्य हैं यदि आप कह रहे हैं तो उसको गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा कि इस सम्बन्ध में हमारे पास जिलाधिकारी के माध्यम से कोई शिकायत नहीं है और न ही कोई समस्या है। यदि आप कह रहे हैं यह समस्या है तो ठीक है।

श्री पुष्कर सिंह धामी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ चूंकि यह एक बहुत गम्भीर विषय है कि वहां पर बारदाने की समस्या है। इस बारे में आप पुनः व्यवहारिक जानकारी ले लें और उस समस्या का हल हो।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)—

मननीय अध्यक्ष जी, इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को कोई सूचना नहीं है और मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा कि वर्ष 2011—12 में 42 हजार 40 मी0टन गेहूँ की खरीद की गयी थी। इस बार इस रिकार्ड को भी तोड़ा है वह एक लाख पचीस हजार मी0 टन है।

श्री पुष्कर सिंह धामी—

मान्यवर, आपके पास जो आंकड़े आये होंगे वह गलत नहीं होंगे। जो गेहूँ वास्तविक रूप से किसानों से खरीदना चाहिए था वह नहीं खरीदा गया, लेकिन वहाँ पर लोग 15—20 दिनों से परेशान हैं। मान्यवर, यह तो बड़ी व्यवहारिक दिक्कत है।

श्री प्रीतम सिंह—

मान्यवर, इसके बारे में कोई सूचना या कोई शिकायत मुझे अभी तक नहीं मिली है। माननीय धामी जी, आप इस बात को संज्ञान में लाये हैं इसलिए इसका परीक्षण करा लेंगे, इसकी जाँच करा लेंगे अगर कोई बात होगी तो निश्चित रूप से इस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

मानानीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री बिशन सिंह चुफाल—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम—58 की सूचना पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के गर्खा क्षेत्र में जहाँ पर उस क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 12 हजार है, 17 ग्राम सभायें उस के क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, 2 इण्टर कॉलेज हैं और 2 हाई स्कूल हैं, लेकिन उस क्षेत्र के आस पास के पेयजल के जितने भी स्रोत थे, जितने भी नौले, धारे थे वे सारे सूख गये हैं और 15—20 साल पहले की जो पेयजल की योजना थी उस योजना के स्रोत पर पानी कम हो गया है, जिससे उस क्षेत्र में पेजयल का संकट बना हुआ है। वहाँ के जितने भी हाईस्कूल, इण्टर के बच्चे थे 20 किलोमीटर दूर डीडीहाट जाकर कई बार तहसील में धरना—प्रदर्शन का काम किया, उस क्षेत्र की जनता बिल्कुल आन्दोलित है और पूरे क्षेत्र की जनता की माँग है कि चरमागाड़ से उन 17 ग्राम सभाओं के लिए पूरे इलाके के लिए एक लिफ्ट पेयजल योजना बनाई जाए। क्योंकि यह विषय तात्कालिक है और लोक महत्व का विषय है इसलिए मैं इस पर पूरे सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की मांग करता हूँ।

शिक्षा एवं पेयजल मंत्री (श्री मंत्री प्रसाद नैथानी)–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के विकास क्षेत्र कनालीछीना के गर्खा क्षेत्र में विभाग की चार योजनायें क्रमशः गर्खा प्रथम, गर्खा द्वितीय, गर्खा तृतीय एवं ओगला संचालित हैं। इन योजनाओं से 26 बस्तियां लाभान्वित हैं। स्रोतों के स्राव कम हो जाने से इन योजनाओं के अन्तर्गत 8 बस्तियां क्रमशः बाराकोट, बागीचोरा, मझेडा, सूनाकोट, सिंघाली, ओगला, चौसाला एवं डम्टी में ग्रीष्मऋतु में पेयजल की कमी हो जाती है। आवश्यकता पड़ने पर टैंकरों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा। जनपद पिथौरागढ़ क्षेत्र में चर्मा गाड़ नदी से दो चरण की गर्खा पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण एन0आर0डी0 डब्ल्यू0पी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। गर्खा पम्पिंग पेयजल योजना के अन्तर्गत 10 ग्राम पंचायतों की 81 बस्तियों हेतु प्राक्कलन अनुमानित लागत रू0 822.09 लाख का विरचित कर लिया गया है, जिसे स्वीकृति हेतु राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, क्या उन जगहों पर जहाँ पेयजल का संकट है वहाँ टैंकरों से पानी उपलब्ध कराया जायेगा ?

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, जी हाँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को इस बात से संतुष्ट करना चाहता हूँ कि वैसे तो हमने पूरे प्रदेश में यह तय किया है कि जहाँ पर पेयजल संकट है और वहाँ पर पानी की कमी है और जहाँ पर गाड़ियां जा सकती हैं वहाँ पर टैंकर भेजे जायें और जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जा सकती हैं, रास्ते नहीं हैं तो सभी जिलाधिकारियों को हमने निर्देशित कर दिया है कि वहाँ का पूरा सर्वे कराकर खच्चरों से पानी का ढुलान किया जायेगा और आपके यहाँ के पेयजल पम्पिंग योजना का सवाल है तो उस पर गम्भीरता से सरकार मनन करके उसका समाधान करेगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

नियम–310 से नियम–58 में परिवर्तित सूचना श्री मदन कौशिक जी की है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने नियम–310 की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुनने का मौका दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में चार धाम यात्रा चल रही है और चार धाम यात्रा की जितनी बड़ी अव्यवस्था इस वर्ष प्रदेश के अन्दर है शायद कभी देखने को नहीं मिली है। पिछले 10–12 वर्षों में राज्य बनने के बाद जो यात्रा की स्थिति इस प्रदेश में सरकार के आने के बाद बनी है सम्भवतः ऐसी स्थिति कभी देखने को नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में जहाँ लखनऊ से यात्रा का सारा एजेंडा संचालित होता था उसमें भी ऐसी स्थिति देखने को कभी नहीं मिली।

मान्यवर, आज हम देखते हैं कि पूरे चार धाम यात्रा में करीब 15–20 लोग डॉक्टरों के न देखने के कारण मर गये। किसी का बी0पी0 बढ़ा, किसी की सांस फूली, किसी को बुखार आया, किसी को अन्य बीमारी हुई, लेकिन इसमें करीब 15 से 20 लोग मर गये। मान्यवर, पूरी व्यवस्था न होने के कारण अभी तक बसें गिरने के कारण, टैक्सी गिरने के कारण लगभग 100 से 120 लोगों की मृत्यु हो गयी है। मान्यवर, वह कौन सी मनहूस घड़ी थी, जब इस सरकार ने शपथ ली होगी। (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, मनहूस घड़ी नहीं शुभ घड़ी थी। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, शुभ घड़ी नहीं मनहूस घड़ी थी, अब तक लगभग 120 लोग मर चुके हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, मनहूस शब्द को कृपया कार्यवाही से निकाल दें, क्योंकि यह शब्द असंसदीय है। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, मनहूस शब्द मेरे ख्याल से संसदीय शब्द है। यदि यह शब्द संसदीय नहीं है तो निकाल दें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मनहूस शब्द संसदीय शब्द कहाँ से हुआ। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मनहूस शब्द को दिखवा लीजिए। मान्यवर, चार धाम यात्रा के कारण केवल देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी उत्तराखण्ड की छवि खराब हो रही

है, क्योंकि विदेशों में देश के जो लोग आस्था रखने वाले हैं, वे भी इस यात्रा में आते हैं, क्योंकि इस राज्य के चारों धाम बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लोग इनका दर्शन करके अपने को बहुत भाग्यशाली समझते हैं। आज पूरे देश में और विदेश में प्रदेश की छवि को क्षति पहुँच रही है और आने वाले समय में भी कहीं न कहीं इसका भी प्रभाव पड़ेगा कि यहाँ की सरकार अच्छी स्थिति में यात्रा की तैयारी नहीं करती। मान्यवर, यही नहीं सामाजिक संगठन और धार्मिक संगठन के लोग भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी संख्या में इसकी आलोचना कर रहे हैं। यह सरकार केवल लड़ने में ही व्यस्त है कम से कम कुछ समय चार धाम यात्रा की तैयारी में तो लगाये।

मान्यवर, जो लोग इस यात्रा में दिवंगत हो गये हैं, निश्चित रूप से उनके परिवारों के प्रति भी कहीं न कहीं एक जो भाव होना चाहिए था वह भाव भी इस सरकार का नजर नहीं आया। मान्यवर, परसों एक गाड़ी राजस्थान की गिरी, राजस्थान के लोग परस्पर संपर्क में रहे, वहां के कई लोगों के मेरे पास फोन आये और मैंने तत्काल जिलाधिकारी को फोन किया, लेकिन सुबह 11–12 बजे तक जो तैयारियां होनी चाहिए थीं, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। मान्यवर, अभी मध्य प्रदेश की गाड़ी गिरी, वहां के दो मंत्री आ गये, लेकिन यहां के किसी भी मंत्री ने वहां पर जाने का कष्ट नहीं किया। मान्यवर, वहाँ पर उनका सामूहिक दाहसंस्कार हुआ। (व्यवधान)

श्री मंत्री प्रसाद नैथानी–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी गये थे। (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, हाँ। मेरी उनसे बातचीत हुई। मध्य प्रदेश के दोनों मंत्रियों से भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि यह कैसी सरकार कार्य कर रही है। मान्यवर, अंदरूनी हमारी कोई बात हो सकती है, लेकिन जब राज्य की छवि की कोई बात आयेगी तो हम सबको एक होकर कार्य करना चाहिए। (व्यवधान) मान्यवर, जो लोग इस यात्रा पर आये हैं उनके सार्टिफिकेट की हमें आवश्यकता है। मान्यवर, हमें हर उस व्यक्ति का सार्टिफिकेट चाहिए जो चार धाम यात्रा पर आये। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमारे राज्य की अच्छाईयाँ लेकर जाय। मान्यवर, निश्चित रूप से यह एक ऐसा विषय है जो अविलम्बनीय है, लोक महत्व का है और इस पर हमारे सत्तापक्ष के लोग भी बात करना चाहते हैं, जैसा कि लग रहा है और हमारे विपक्ष के सारे सदस्य भी चाहते हैं कि इस पर बात रखें। इसलिए आप सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा की मांग को स्वीकार करें, यही मैं निवेदन करता हूँ।

पर्यटन मंत्री (श्रीमती अमृता रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक एवं विविध धर्मों के तीर्थाटन के लिए विश्व प्रसिद्ध उत्तराखण्ड राज्य भारत के पर्यटन मानचित्र में विशिष्ट स्थान रखता है तथा देवभूमि के नाम से विख्यात है। जहां सुविख्यात चारधाम यात्रा के अन्तर्गत यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुण्ड साहिब के साथ ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का भी प्रवेश द्वार है। मान्यवर, पर्यटन दृष्टिकोण से उत्तराखण्ड का सुनियोजित विकास करने के लिये प्रदेश सरकार के द्वारा पर्यटन नीति बनायी गयी है तथा प्रदेश सरकार नीतिबद्ध रूप से उत्तराखण्ड प्रदेश के विकास के लिये सतत प्रयत्नशील है। चारों धामों में वर्ष 2008 से वर्ष 2012 में अब तक लाखों पर्यटकों का आगमन हुआ है। मान्यवर, अभी तक बद्रीनाथ में 425528, केदारनाथ में 233764, गंगोत्री में 213766 और यमुनोत्री में 208785 यात्री आये हैं। मान्यवर, जिला प्रशासन से प्राप्त सूचना के आधार पर यात्रा प्रारम्भ होने से अब तक कुल 66 यात्रियों की मृत्यु हुई है।

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, कुल कह रही हैं। 66 को कोई संख्या ही नहीं मानते।

(व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आपने 100 जो बोला है, वह गलत बोला है। टोटल तो बतायेंगे आपको। (व्यवधान) आप जो 100 बोल रहे हैं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। सदन को गुमराह कर रहे हैं आप। मान्यवर, जिसमें से 34 यात्रियों की मृत्यु दुर्घटनाओं में तथा 32 यात्रियों की स्वाभाविक मृत्यु हुई है। पर्यटन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा व्यवस्था के अन्तर्गत आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी को प्रति वर्ष 150 से 200 लाख की धनराशि यात्रा मार्ग पर दवाईयों के छिड़काव, दैनिक सफाई कर्मचारियों का मानदेय, अस्थाई शौचालय, पेयजल आदि हेतु दी जाती है। वर्ष 2012 की यात्रा हेतु तत्कालिक व्यवस्था के रूप में रू0 106.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है, जिसमें से आयुक्त गढ़वाल मण्डल द्वारा रू0 88.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारियों एवं नगर पालिकाओं को अवमुक्त की जा चुकी है।

चारधाम यात्रा को यात्रियों एवं पर्यटकों हेतु और अधिक सुविधाजनक बनाने तथा प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करने हेतु भारत सरकार द्वारा बद्रीनाथ धाम के समेकित विकास हेतु रू0 702.09 लाख, केदारनाथ धाम के पर्यटन विकास हेतु रू0 453.13 लाख, गंगोत्री धाम के पर्यटन विकास हेतु रू0 481.42 लाख एवं यमुनोत्री धाम के विकास हेतु रू0 448.99 लाख, निर्मल गंगोत्री मेगा पर्यटन सर्किट योजना के अन्तर्गत रू0 5000.00 लाख तथा पंचप्रयाग पर्यटन सर्किट के अन्तर्गत विष्णुप्रयाग, नन्दप्रयाग, कर्णप्रयाग,

कालीमठ, कालेश्वर गौचर में आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु रू0 772.76 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इन स्वीकृत योजनाओं में पार्किंग स्थलों का विकास, आवासीय सुविधाओं का विस्तार, जन सुविधाएं, स्नानघाट आदि का प्राविधान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट को जानकी चट्टी–यमुनोत्री पैदल मार्ग के सुधार हेतु रू0 106.93 लाख की धनराशि स्वीकृत कर अवमुक्त की गयी है, जिसके अन्तर्गत उनके द्वारा यात्रा मार्ग का सुधार, पेयजल सुविधायें, जन सुविधायें विकसित की जा रही हैं।

पर्यटन विभाग द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर सालिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के अन्तर्गत 04 स्थलों बद्रीनाथ, जोशीमठ, सोनप्रयाग एवं जानकी चट्टी पर काम्पैक्टर स्थापित किये गये। इस योजना के अन्तर्गत अब तक 475 टन गारबेज एकत्रित करके श्रीनगर एवं देहरादून स्थित डेन्सिफिकेशन प्लान्ट में रिसाईकिलिंग हेतु भेजा जा चुका है। चारधाम यात्रा मार्ग पर विभाग द्वारा पर्यटकों और यात्रियों की सुविधा हेतु मण्डल पाण्डुकेश्वर, गोविन्दघाट, कालीमठ, बड़कोट में जन सुविधाओं का निर्माण वर्ष 2010–11 में स्वीकृत किये गये जो कि वर्ष 2012 की यात्रा हेतु यात्रियों के उपयोगार्थ संचालित है। इसके अतिरिक्त जानकी चट्टी में 10 सीट का सुलभ शौचालय निर्माणाधीन है, जिसको इसी यात्रा के दौरान पूर्ण करवाया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा गौरीकुण्ड में दो पार्किंग तथा सोनप्रयाग में एक पार्किंग की योजना 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्वीकृत की गयी है। इसके निर्माण से लगभग 300 छोटी–बड़ी गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था होगी, इस योजना पर शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ होने वाला है।

विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय पर्यटन मंत्री जी उत्तराखण्ड, माननीय उपाध्यक्ष, चारधाम विकास परिषद, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन, सचिव पर्यटन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद, आयुक्त गढ़वाल मण्डल सहित गढ़वाल मण्डल के समस्त जिलाधिकारियों के स्तर पर बैठकें आहूत कर, विगत वर्ष आयी समस्याओं के समाधान आदि पर सम्बन्धित विभागों आदि से विस्तृत विचार–विमर्श कर समाधान कराया जाता है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, यह जो सब माननीय मंत्री जी ने बताया यह दो महीने में तो कर नहीं सकते। यह तो सारा हमने दिया है। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 5 साल में आपने कुछ नहीं किया। कौन सा बुग्याल चिन्हित किया ? कौन सी रोप–वे बनाई ? (व्यवधान)

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सुबह जब सवाल का जवाब मांग रहे थे तो कह रहे थे कि 2 महीने में क्या कर लेंगे, सब आपके टाईम का है। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, औली रोप–वे, जो 4 साल से बन्द पड़ी है, उसको भी चालू नहीं कराया आपने। उसमें हर साल करोड़ों रूपये का नुकसान हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री मदन कौशिक तथा माननीय पर्यटन मंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, 100 लोगों के मरने के बाद भी सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है। न जाने किस घड़ी में सरकार ने शपथ ली थी। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, स्वैप का सारा पैसा खा गए, कुम्भ का सारा पैसा खा गए।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सरकार को शर्म नहीं आई, 100 लोगों की जान वहाँ पर चली गई, उनके परिजनों को संवेदना देने के बजाय यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि यह कर दिया, वह कर दिया। (घोर व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 2010–2011 के आंकड़े इन्होंने नहीं भेजे थे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, सत्ता पक्ष यहां पर मेजें पीट रहा है और तालियां बजा रहा है, लेकिन मरे हुये लोगों के परिजनों को संवेदना नहीं दे पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस सूचना को अग्राह्य कर चुका हूँ, अब किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। (घोर व्यवधान)

माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप अपनी सूचना पर अपनी बात रखें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, पहले सदन तो व्यवस्थित हो जाय।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें। (घोर व्यवधान) किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

*श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यह हमारा सदन है और सदन में विपक्ष का एक रोल होता है। विपक्ष सरकार की कमियों को उजागर करता है। यह बात अलग है कि इन्होंने साठ को सौ कह दिया, लेकिन इतना उत्तेजित होकर जवाब देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुबह भी जब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जबाब दे रही थीं, तो उन्होंने भी कालिका का रूप धारण कर लिया था। तो मेरा यही अनुरोध है कि जवाब देते समय शालीनता का परिचय दें।

*श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, माननीय कौशिक जी, यह बता दें कि........।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शर्मा जी, आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय अजय भट्ट जी, आप अपनी सूचना प्रस्तुत करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, शायद आज का दिन मातृ शक्ति के कुछ गरम होने का दिन है, कभी–कभी ऐसा भी होता ही है, लेकिन जब मातृ शक्ति गरम होती है, तो कोई बड़ी घटना होने वाली होती है। कहीं ऐसा न हो कि कोई बड़ी घटना न हो जाय (हँसी) माननीय अध्यक्ष जी, इस सूचना पर अन्य भी कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं और वह भी बोलेंगे। चूंकि आपने मेरा नाम पुकारा है, नियम–310 के अन्तर्गत हमने यह सूचना दी थी, शायद उस समय मैं यहाँ पर उपस्थित नहीं था। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे भी इस पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं विद्युत कटौती की ओर आपका ध्यान आकर्षित कराने के लिए और सदन का ध्यान आकर्षित कराने के लिए और इस पर चर्चा कराने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, चर्चा की मांग के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आज यह स्थिति हो गयी है कि जहाँ ट्यूबवेल चलते हैं, वहाँ विद्युत न मिलने, बिजली सुचारू रूप से न मिलने से किसान को अपने खेतों की सिंचाई करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ट्यूबवेल से पानी नहीं निकलता है। इसी तरह पर्वतीय क्षेत्र में एक भयंकर समस्या हो गयी जो पेयजल की, अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया है, विधायक डीडीहाट को उन्होंने आश्वासन दे दिया हम खच्चरों से डालेंगे। जो भी हमारी पम्पिंग योजनाएं थीं, जिनको पंप करके पानी भेजा जाना था दो से तीन घंटा तक, कई जगह मैंने स्वयं पूछा मेरे क्षेत्र में बहुत सारी पम्पिंग

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

योजनाएं हैं कि पानी क्यों नहीं चल रहा है तो कहा गया कि बिजली नहीं आ रही है। हमने कहा कि बिजली में तो सरकार कहती है कि ठीक चल रही है, सब कुछ ठीक–ठाक है। माननीय मुख्यमंत्री जी का रोज बयान आ रहा है कि हमनें बाहर से खरीद कर सब ठीक कर दिया है। उन्होंने कहा कि दो और तीन घंटे से ज्यादा पम्पिंग नहीं हो पाती है। इसलिए यह इतना गम्भीर मुद्दा है।

मान्यवर, लोग टैंकर, जिन्होंने व्यवसाय किया है टैंकर खरीद लिये हैं पानी के लिए, वो ढाई से तीन हजार रूपये में टैंकरों से पानी बेच रहे हैं। जहां टैंकरों से जाता है, मान्यवर, वहां कनस्तरों में 25 से 50 रूपये तक का कनस्तरों से पानी जा रहा है। हालात यह हैं कि जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को मैंने खुद फोन किया कि आप खच्चरों से पानी भेजियेगा। उन्होंने कहा कि इसमें बजट नहीं आया है। जिला प्लान का बजट तक अभी नहीं आया है। मैंने आज से 10 दिन पहले कहा था। आज तो स्थिति और भयावह हो गयी है मान्यवर, इसलिए यह इतना महत्वपूर्ण विषय है विद्युत कटौती का, पूरे प्रदेश में त्राहि–त्राहि हो रही है। अभी यहां तो दिखायी दे रहा है कुछ न कुछ लेकिन कई जगह अघोषित तरीके से हो रही है। जहां पर कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर बिजली का जम्फर फटा रहता है तो 25–30 दिन तक एक छोटे से तार को जोड़ने के लिए वहां नहीं पहुँच पाते हैं। अत्यन्त महत्वपूर्ण लोकमहत्व का विषय है, अविलम्बनीय विषय है, इस पर सारे काम को स्थगित करके आज चर्चा कराया जाना आवश्यक है। मैं चर्चा की मांग करता हूँ मान्यवर, सदन के और सदस्य भी इसमें बोलना चाहते है। कई लोगों ने दस्तखत किये हैं मान्यवर.....।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 को नियम–58 की ग्राह्यता पर सुनने के लिए मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, एक ओर पूरा प्रदेश, आग की लपटों में जंगल जल रहा है और दूसरी ओर पूरा प्रदेश बिजली की कटौती से त्रस्त है और बिजली न होने के कारण जो आज प्रदेश के लोग हैं इतनी ज्यादा गर्म हवा चल रही हैं, अपने कमरे के अंदर नहीं बैठ सकते हैं, रात को अपनी छतों पर बाहर सो रहे हैं। 12–12 घंटा बिजली की कटौती हो रही है। जिस प्रकार से अभी भट्ट जी ने कहा था कि ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं। इस समय पूरे प्रदेश में धान की फसल को और गन्ने की फसल को पानी की आवश्यकता है और इतनी जानकारी होनी चाहिए कृषि मंत्री को भी कि किस फसल को कितने पानी की आवश्यकता होती है। यदि कृषि मंत्री को जानकारी होती कि धान की फसल में इतना पानी लगता है और गन्ने की फसल में इतने पानी की आवश्यकता है तो 12–12 घंटे के लिए बिजली की कटौती नहीं होती।

विगत वर्ष में इसी मई के महीने का आपको बता रहा हूँ। मई के महीने में जो प्रतिदिन उत्पादन होता था प्रदेश में 08 मिलियन यूनिट पैदा होता था। 08 मिलियन कम से कम और अधिक से अधिक विगत वर्ष मई के महीने की बात आपको बता रहा हूँ वह था 12 मिलियन यूनिट, लेकिन वर्तमान समय मई के महीने के जो आंकड़े हैं उसमें न्यूनतम 09 और अधिकतम 15 मिलियन यूनिट है। फिर भी बिजली की इतनी खपत है। जब विगत वर्ष में बिजली का आज से कम उत्पादन हो रहा था, इतनी कटौती नहीं थी। इस समय जो कटौती हो रही है, इसके कारण क्या हैं? या तो बिजली की कहीं चोरी हो रही है। कुछ कारण हो सकते हैं इसके लिए। ऊर्जा प्रदेश की बात हम करते हैं। जब यह अलग राज्य बना था उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड राज्य बना था तो परिसम्पत्तियों का बँटवारा हुआ था, उसमें जनसंख्या के आधार पर हमको परिसम्पत्तियाँ दी गयी थीं। लेकिन इस समय जो उत्तर प्रदेश की टिहरी बांध की बिजली हैं। टिहरी बांध में 25 प्रतिशत पैसा उत्तर प्रदेश सरकार का लगा था। वो बिजली आज सीधे उत्तर प्रदेश को जा रही है। वो बिजली पर हमारा हक है। जब पुनर्गठन आयोग बन रहा था, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था, उसमें स्पष्ट ही लिखा है कि राज्य की जो सम्पत्ति होगी, उस पर राज्य सरकार का अधिकार होगा, लेकिन इस प्रदेश की बिजली उत्तर प्रदेश को जा रही है।

माननीय मुख्यमंत्री जी टिहरी के हैं और वहाँ से सांसद भी हैं, केन्द्र में उनकी सरकार भी है, हर दूसरे दिन आप दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन टिहरी बाँध से जो 25 प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश को जा रही है, आपको उस पर चिन्ता नहीं है। अगर आपको चिन्ता होती तो आप जब दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रधामंत्री जी से बात करते और जो हमारा हक है वह हमें मिलना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, यह विषय बिल्कुल गम्भीर है, तात्कालिक और अविलम्बनीय है इस पर सारे सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की माँग करता हूँ।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–310 की सूचना पर नियम–58 में मुझे बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। आज सचमुच इस ऊर्जा प्रदेश में बिजली के कारण हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो पानी के ग्रेविटी के स्रोत थे वह भी जंगलों में आग लगने के कारण या गर्मी के कारण सारे सूख चुके हैं। वहाँ पर लोग पम्पिंग पेयजल योजनाओं पर निर्भर हैं। लेकिन बिजली न होने के कारण सारी पेयजल योजनायें बन्द पड़ी हुई हैं। पानी का संकट बिजली के कारण बढ़ा है। हमारे मैदानी क्षेत्र हैं जहाँ पर ट्यूबवैल से सिंचाई होती थी वह भी बन्द पड़े हैं, यह बहुत घोर संकट है। अभी हमारी माननीय पर्यटन मंत्री जी कह रही थीं और वह गुस्सा भी हो रही थीं।

वास्तव में हमारा प्रदेश एक तीर्थाटन और एक पर्यटन प्रदेश है, हमें यह जरूर विचार करना चाहिए कि जो बाहर प्रदेशों के लोग हमारे प्रदेश में यात्रा के लिए आते हैं उनको हमें पूर्ण सुविधायें देनी चाहिए। हमारा प्रदेश चारों धामों के कारण देव भूमि कहलाता है, इसलिए हमारा प्रदेश चार धामों के लिए प्रसिद्ध है। अगर इस प्रदेश में यात्री यात्रा करने के लिए ऋषिकेश में आते हैं तो यात्री जगह–जगह बिना बिजली के कारण परेशान नजर आते हैं, अगर होटलों में वह कहीं ठहरते हैं तो वहाँ पर बिजली नहीं होती तो गर्मी के कारण परेशान रहते हैं और पानी की कमी के कारण भी वह बहुत परेशान रहते हैं। हमारा जो यात्रा रूट है वह बहुत गरम क्षेत्रों में है, वह गंगा के किनारे पड़ते हैं, वहाँ पर जो हमारी धर्मशालायें हैं वहाँ पर सारे दिन बिजली कटौती होने के कारण पंखें नहीं चलते हैं जिससे उनमें ठहरने वाले लोग परेशान होते हैं। हमारे प्रदेश की जो व्यवस्था है उस पर एक प्रश्नचिन्ह लगता है। यह एक अविलम्बनीय और तात्कालिक विषय है, यहाँ पर बिजली कटौती बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूँगी कि आज के सारे कार्यों को छोड़कर और सभी नियमों का निलम्बन कर इस पर चर्चा करायी जाए।

श्री प्रेमचन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे अपनी बिजली कटौती के ऊपर नियम–310 की सूचना पर नियम–58 में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी माननीय भट्ट जी ने, माननीय चुफाल जी ने और माननीय विजय बड़थ्वाल जी ने इस विषय पर अपनी बात रखी। वास्तव में एक गम्भीर संकट हमारे पूरे प्रदेश में ऊर्जा को लेकर के, जो बिजली कटौती के रूप में हमको देखने को मिल रहा है। मान्यवर, वैसे जो हमारा प्रदेश है पूरे विश्व के अन्दर जो चार धाम यात्रा प्रसिद्ध है वह आजकल हमारे यहाँ चल रही है और उसको लेकर तीर्थाटन और पर्यटन के नाम पर जब बाहर से यात्री आ रहे हैं, जिस प्रकार से विद्युत कटौती हमारे पूरे प्रदेश के अन्दर जारी है, उसे लेकर के बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

कभी हम देखते थे जब उत्तर प्रदेश की तरफ जाते थे तो वहाँ पर लगभग 20–20 और 22–22 घंटे बिजली नहीं मिलती थीं, तो वहाँ पर लोग कहते थे कि इससे अच्छा तो उत्तराखण्ड है, लेकिन आज स्थिति बिलकुल विपरीत है आप लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में फिर भी बिजली है, वहाँ पर बिजली अच्छी आ रही है। आज हमारी स्थिति यह है कि जो एक संदेश तीर्थयात्री, पर्यटक लेकर जा रहे हैं उसका एक विपरीत प्रभाव हमारी मान प्रतिष्ठा पर पड़ रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछले दिनों मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ा था कि जिसमें उन्होंने कहा था कि ऋषिकेश, हरिद्वार और कुछ ऐसे दो तीन स्थान हैं, वहाँ पर बिजली कटौती नहीं की जायेगी। लेकिन मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि ऋषिकेश के अन्दर आज भी लगातार विद्युत कटौती जारी है, यहाँ तक रात के टाईम में भी विद्युत

कटौती जारी है। कब लाईट चली जाय, कब क्या घटना हो जाये, इसको लेकर के मुझे यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, वह बहुत नाजुक बनी हुई है, उसमें विद्युत कटौती का भी अपना एक हाथ है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने घरों से बाहर सोता है, उसके घर में क्या हो जाय, उसमें भी कोई दो राय नहीं है।

मैं यह घटना इसलिए भी कह रहा हूँ अभी यह घटना हमारे एक माननीय विधायक के घर में भी हुई है, हो सकता है उसका यही कारण रहा हो। (व्यवधान) मान्यवर, आज 18 घन्टे लाईट जा रही है, हमारे जो छात्र–छात्रायें हैं उनको एग्जाम के दिनों में इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, मैं यह बात इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि हमारे क्षेत्र में अभी लाईट तीन–तीन दिनों तक नहीं आयी थी तो वहाँ पर पानी का संकट हो रहा है, मान्यवर, वहां के लोगों को पानी की काफी समस्या हो रही है, चाहे किसानों का मामला हो, छात्रों का मामला हो, व्यापारियों का हो या उद्योगों का मामला हो, तमाम क्षेत्र ऊर्जा संकट से पीड़ित हैं और हताश तथा निराश हैं। मान्यवर, मैं सदन की कार्यवाही को रोककर इस अविलम्बनीय और लोकमहत्व के सवाल पर चर्चा की मांग करता हूँ। (व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय सदस्य नये सदस्य हैं इनको भी बोलने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य बजट में बोल लेंगे।

*श्री संजय गुप्ता–

माननीय अध्यक्ष, जो मेरा क्षेत्र है वह पूर्णतः कृषि क्षेत्र है। लेकिन हमारे यहाँ 12 से 15 घण्टे तक बिजली की कटौती हो रही है और किसान परेशान है। मान्यवर, हमारे यहाँ धान और गन्ने की प्रमुख खेती होती है और वह फसल सूख रही है और किसान परेशान हैं। जो विद्युत ट्रांसफार्मर फुंक जाते हैं वह दो–तीन महीने में ठीक होते हैं। मान्यवर, हमारे वहां इस प्रकार की घोर समस्या है। मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि बिजली की कटौती न हो, धन्यवाद। (घोर व्यवधान)

श्री अजय भट्ट–

माननीय सदस्य जी, इस सूचना पर हमारे बहुत से सदस्यगण बोलना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यगण बजट में बोल लेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, विद्युत संकट के सम्बन्ध में, जो हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह समस्या व्यक्त की है यह सच है। उत्पादन बहुत कम है और खर्च बहुत अधिक है। जब उत्पादन कम है तो कहीं न कहीं कठिनाई होगी। मान्यवर, प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता प्रतिदिन 31 मिलियन यूनिट है परन्तु जो हम पैदा कर रहे हैं 19.51 मिलियन यूनिट है और भारत सरकार को मिलाकर हमारा 31 मिलियन यूनिट बनता है। जबकि कुल खपत 33 मिलियन यूनिट है। भारत सरकार से खरीदने के बाजजूद भी, लेकिन जो हमारी डिमांड है 34.04 मिलियन यूनिट, तो डिमांड के अनुसार इतनी विद्युत उपलब्धता नहीं हो पा रही है, इसलिए यह कठिनाई हो रही है तथा विद्युत कटौती हो रही है। मान्यवर, मेरे पास जो चार्ट उपलब्ध है उसमें जो रोस्टिंग हो रही है वह इस प्रकार है रूरल एरिया ऑफ ऊधमसिंह नगर 4.40 है, (व्यवधान) चार्ट के विपरीत लोकल फॉल्ट भी होती हैं। मान्यवर, रोस्टिंग में चार घन्टे लिखा है लेकिन लोकल फॉल्ट से पांच घन्टे की भी कटौती हो सकती है। इसी प्रकार स्माल टाउन में 2.00 घन्टे है। गढ़वाल कुमायूँ हिल्स, मसूरी व नैनीताल में कटौती नहीं दिखायी गयी है, रूड़की रूद्रपुर और काशीपुर में दो घन्टे है, विकासनगर में 1.30 घन्टे की कटौती दिखायी गयी है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, काशीपुर में कितना है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, काशीपुर में एक्जेक्ट नहीं लिखा है। औद्योगिक क्षेत्र में चार घन्टे (घोर व्यवधान) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कटौती किया जाना उपलब्धता न होने के कारण है। मान्यवर, विद्युत कटौती करनी पड़ती है, जैसे–जैसे विद्युत उपलब्धता बढ़ती जायेगी विद्युत कटौती कम होती जायेगी। मान्यवर, आपको 2–3 बातें पता हैं कि जो हमारे बड़े–बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे जल विद्युत के तो, आपको पता है धार्मिक आधार पर, आस्था के आधार पर योजनाएं बंद पड़ी हैं, उन पर करोड़ों रूपया खर्च भी हुआ है, या तो करोड़ों रूपया खर्च करते समय इस पर विचार नहीं किया गया है या किन्हीं कारणवश हुआ है और अभी कोई आसार भी नहीं दिखाई दे रहा है कि जल विद्युत बनेगा। दूसरा हमारा आधार विद्युत उत्पादन करने का कोयला है, उसका उत्पादन हम लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन शायद यह मजबूरी दिखाई दे रही है कि कोयले के आधार पर भी विद्युत का उत्पादन किया जाये, तीसरा हमारे विद्युत उत्पादन का माध्यम है गैस, इस समय दो ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले थे कि गैस के माध्यम से विद्युत उत्पादन हो, लेकिन गैस की उपलब्धता भी इस समय नहीं है, जो बन कर इस समय तैयार हो जाती पर वह भी नहीं मिल पा रहा है।

जितना मैंने विद्युत विभाग का आकलन प्रश्नों के उत्तर आदि के समय किया है उससे मैं यह समझ पाई हूँ कि वर्ष 2016 तक यह स्थिति बन पायेगी कि जो 4 विद्युत केन्द्र बन रहे हैं वह बनकर तैयार हो जायेंगे और हम विद्युत कटौती से मुक्त हो जायेंगे, लेकिन आज नहीं होंगे। आज वर्ष 2012 है अभी चार वर्ष शेष हैं। यह सही है कि इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जल विद्युत योजना है, पानी से बिजली बनेगी, कोयला हमारे क्षेत्र में नहीं है उसको मंगाना पड़ेगा, गैस हमारे पास नहीं है उसको भी हमें मंगाना पड़ेगा। अभी भारत सरकार ही कोई दबाव डाले तो गैस उपलब्ध हो, उनके पास भी गैस की उपलब्धता नहीं है। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि उनसे हमें गैस मिले और गैस के माध्यम से हम विद्युत उत्पादन करें। क्योंकि एक बहुत बड़ा संयंत्र काशीपुर में लग गया है, माननीय चीमा जी, आप जानते होंगे, अगर उसमें गैस मिल जाए तो शायद विद्युत कटौती से मुक्त हो जाएं। अब हम कोशिश कर रहे हैं जिसमें केवल माननीय प्रधानमंत्री जी मदद कर सकते हैं कि वे गैस उपलब्ध करायें और विद्युत बन जाए। ऐसी है परिस्थिति और बनाया गया था गेल के माध्यम से, गेल हमारे पास आया और उसके माध्यम से रसोई और प्लस गैस की उपलब्धता से बिजली बनाने के सार्थक प्रयास किये गये, अभी तक उसमें हम सफल नहीं हो पाये हैं। तो विद्युत की कमी है, इसमें कोई दो राय नहीं और इसलिए कटौती हो रही है, खासकर चिलचिलाती गर्मी में, घोर पसीने में इस समय तो एयर कण्डीशन में जाएं और तुरन्त खोलिए तो लगता है कि तप रहे हैं, तो ऐसे समय में कष्ट है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कोयले से जो बनता है वह बाहर से ही है तो उसे आप नेशनल ग्रिड पर डालेंगे या अपने यहाँ होगा ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, कोयले से कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों ने अपना मन बना लिया था कि जल विद्युत और गैस के माध्यम से ही बनायेंगे, लेकिन जो विवशता दिखाई दे रही है कि जल विद्युत में अभी फिलहाल सफलता नहीं मिल पा रही है, आप सबका सहयोग रहे तो शायद जल विद्युत भी चालू हो जाए और कोयले के माध्यम से बनानी पड़ेगी यह तय कर रहे हैं।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, यह हाउस तो आप चलवा लेंगे, पर माननीय मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं उनसे कहिए कि धरना दें, गैस दिलवायें।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय चीमा जी, आपके सबसे अच्छे सम्बन्ध हैं, आपके बड़े भारी सम्बन्ध हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आपके सम्बन्ध हैं, आपको ले चलेंगे धरना दिलाने के लिए। तो जो परिस्थिति है वह सही है वह चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, आपने भी इसको झेला है और इसका निराकरण अभी तक नहीं हुआ है वह दो महीने हो या तीन महीने हो या कल ऐसा हो कि विद्युत कटौती से सब मुक्त हो जायेगा, ये कठिनाईयाँ हैं इसलिए विद्युत की उपलब्धता के लिए जितने भी सम्भव प्रयास हो सकते हैं उन सब पर हम विचार कर रहे हैं। इस गैस के लिए भी एक दबाव बनाने जा रहे हैं क्योंकि काशीपुर में एक बहुत बड़ा 18 सौ करोड़ रूपये का संयंत्र लगा है, जिन्होंने गेल के कहने से लगवाया है वह भी परेशान हैं, इसमें प्राईवेट इन्वेस्टर ने भारी मात्रा में इन्वेस्ट किया है, गैस उपलब्ध न होने के कारण हम बिजली भी नहीं बना पा रहे हैं।

उसमें प्रयास करेंगे, चारों ओर से यह दिनभर प्रयास हो रहा है कि ऊर्जा प्रदेश है, तो हम बिजली बेचेंगे तो क्या अभी अपनी खपत के लायक हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश में सरप्लस बिजली है, हालांकि वह 45 वर्ष पुराना प्रदेश है, तो थोड़ी तकलीफ भी होती है कि हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्था करनी है तो आप सबका सद्भावना और सहयोग रहा तो कोशिश करेंगे कि शायद अगले वर्ष कटौती कुछ कम हो जाए और बिजली उपलब्धता कुछ बढ़े।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, कितनी खरीद रहे हैं ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, एक मिलीयन यूनिट प्रतिदिन खरीदी जा रही है, और झारखण्ड से कोयला परियोजना करने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्यों और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

मद संख्याः 14 आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा होगी, माननीय नेता प्रतिपक्ष के भाषण के बाद अन्य मदों को लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष, 2012–13 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

नेता प्रतिपक्ष (श्री अजय भट्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा कल सदन में रखे गये वित्तीय वर्ष 2012–13 के बजट अनुदान मांगों पर बोलने का अवसर

प्रदान किया। मान्यवर, मैं एक बार पुनः हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे प्रदेश के युवकों का, माताओं और बहनों का, किसानों का, मजदूरों का सभी की ओर से उनके दुःख–दर्द, उनकी परेशानियाँ रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया है। मान्यवर, 43 पृष्ठों के इस बजट अनुदान मांगों पर जो भाषण माननीय वित्त मंत्री जी ने दिया है, जिसको देखने के बाद और एक–एक पंक्ति को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि क्या 6 दशक से भी अधिक समय हमें आजाद हुए हो गया है, सुदूरवर्ती क्षेत्रों में क्या हम वहां पेयजल पहुंचा पायेंगे कि नहीं, विद्युत कटौती से जो पूरा प्रदेश कराह रहा है, क्या हम वहां विद्युत दे पायेंगे, लोग आज बीमारियों से तड़प रहे हैं, फर्स्ट एड तक के लिए जिनके पास संसाधन नहीं हैं, क्या उनको हम प्राथमिक चिकित्सा दे पायेंगे।

मान्यवर, आज भी बहुत से इंटीरियर के क्षेत्रों में अध्यापक नहीं हैं, प्राईमरी स्कूल कई जगहों पर बंद होने की कगार पर हैं और साईस में जुलॉजी, बोटनी, फिजिक्स, कैमिस्ट्री और गणित के अध्यापक नहीं हैं, क्या हम उनको दे पायेंगे। मान्यवर, इन सब चीजों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है, इस बजट में जो प्रावधान किये गये हैं। मान्यवर, अभी तो यह बजट स्वीकृत भी नहीं हुआ है, क्योंकि जो वास्तविक घोषणा का अनुमोदन होना है और खुद ही माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ–08 में लिखा है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 2012–2013 की वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दिया जा रहा है एवं उसका योजना आयोग से अनुमोदन होना है तथापि आयोजनागत पक्ष में वर्ष 2012–2013 में रू0 7048.96 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2011–2012 के आयोजनागत व्यय पुनरीक्षित। मान्यवर, आगे मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि अभी तक योजना का अनुमोदन होना शेष है, जब योजना का अनुमोदन होना ही शेष है तो बाकी चीजें जो भी इसमें आंकड़े दिये हुए हैं, उन पर बहुत बोलना भी मैं उचित नहीं समझता हूँ।

मान्यवर, बाह्य सहायतित योजनाएं जो मिलनी हैं, जिसमें एन0आर0एच0एम0 हो गया, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, सर्वशिक्षा अभियान हो गया, इसी तरह से जवाहर लाल नेहरू रूरल मिशन हो गया, इन योजनाओं में तो हमको स्वीकृति मिल जाएगी लेकिन जो हमने यहाँ पर नई योजनाएं दे रखी हैं, उसमें यह आंकड़ा स्वीकृत होगा या नहीं होगा, अभी यह शंका का विषय है। इसलिए राजस्व बजट जीरो है, इसको भी अभी मैं शंका से परे नहीं समझ रहा हूँ। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा आंकड़ों पर जाना ठीक नहीं है क्योंकि यह आंकड़ों की एक बाजीगरी है। मुख्यतः माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट को संवारा है, बजट भाषण के पृष्ठ संख्या–3 में आपने सीधे कहा है "बजट निर्माण में मैंने पांच बिन्दुओं को आधार माना। यह आधारत्व निम्नलिखित हैः–

- आजीविका सुरक्षा
- आर्थिक सुरक्षा
- ऊर्जा सुरक्षा
- वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, तथा

आंतरिक और बाहरी सुरक्षा।।"

मान्यवर, ये पाँच बिन्दु माननीय वित्त मंत्री जी ने कल अपने बजट भाषण में यहाँ पर कहे हैं। इस किताब में भी यह अंकित हैं। बहुत गहराई से हमने इसको पढ़ा। आजीविका की हालत क्या है ? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अटल खाद्यान्न योजना में माननीय खाद्य मंत्री जी ने कल कहा था कि हम चावल इस समय 750 ग्राम दे रहे हैं।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, 1 किलो 750 ग्राम।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, 2 किलो ही मान लेते हैं। हम इसमें 250 ग्राम और बढ़ा देते हैं। ये हालात हैं, आज हमारे यहाँ खाद्य के। आजीविका हम दे रहे हैं, सबको। दूसरा, नौकरियाँ हम देने की बात कर रहे हैं। मैं आपके बजट में ही बेरोजगारी भत्ते की बात करता हूँ। पहला बिन्दु जो माननीय मंत्री जी ने आजीविका सुरक्षा कहा, तो सुरक्षा कैसी हो रही है। आपने पृष्ठ संख्या–21 में लिखा हुआ है–"बेरोजगारी भत्ता देने हेतु अध्ययन कर नियमावली निर्माण एवं तैयार की जाएगी। नियमावली तैयार होते ही अर्हता के आधार पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।" मान्यवर, पूरे प्रदेश में हल्ला हो गया, चारों तरफ हल्ला हो गया कि उत्तराखण्ड की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दे दिया और बेरोजगारों की कतार लगने लगी इम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। लेकिन माननीय वित्त मंत्री जी का बजट भाषण स्वयं सिद्ध करता है कि अभी इसमें शासनादेश नहीं हुआ है, नियमावली नहीं बनी है, किनको रखेंगे, किनको नहीं रखेंगे, कितने लोगों को देंगे जबकि यहाँ पर 6 लाख से ज्यादा बेरोजगार रजिस्टर्ड हैं और अभी 10–12 लाख होने बाकी हैं।

आज ही उस सम्बन्ध में एक प्रश्न भी माननीय सदस्यगण ने सदन में किया था कि आप हमें ये बताईये कि कक्षा–8 और कक्षा–10 वालों को आप इससे लाभान्वित करेंगे या नहीं करेंगे ? उत्तर आना था हाँ या ना और उसमें इतनी गरमा–गरमी हो गयी कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री और हमारा तो इतना विवाद बढ़ गया कि आप भी आप खो बैठीं और हम भी आपा खो बैठे। होना नहीं चाहिए था, संसदीय परम्परा में ऐसा नहीं होता है क्योंकि प्रदेश ने सत्ता संभालने का काम यहाँ आपको दिया है, अच्छे काम करिए, आपको खजाने

का पहरेदार बनाया है तो हमसे भी कहा है कि चौकीदार बनकर देखते रहना कि कहीं गलत न करें, गड़बड़ न करने लग जाएं और सजग प्रहरी की तरह से काम करना। इसलिए उस दायित्व के तहत आपको गुस्सा आया तो उस गुस्से में थोड़ा सा सहयोगी मैं भी बन गया। मुझे बड़ा खेद भी होता है कि संसदीय परम्पराओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। दो वकील जब बहस करते हैं तो लगता है कि पहले वकील ने तो कुछ अच्छी बात कह दी, दूसरा वकील क्या कहेगा और जब दूसरा बोलता है तो ऐसा लगता है कि पहले ने तो कुछ बोला ही नहीं। सब तो यह कह गया है। लेकिन फिर उसमें से जज कोई बात निकालता है। दोनों वकील जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि अब तो ये बोलेंगे ही नहीं इनका तो चाय–पानी और हुक्का–पानी भी सब टूट गया, लेकिन वह बाहर आकर हंसते हैं, गले मिलते हैं और पूछते हैं कि "यार यह रूलिंग तू कहां से लाया", यह वे मित्र करते हैं जो तू–तड़ाक वाले मित्र होते हैं और जो थोड़ा परहेज रखते हैं, वह कहते हैं कि "यार तुम बड़ी अच्छी रूलिंग ले आये, मैं तो नेट पर देख रहा था, साला नेट खराब था।" (व्यवधान)

मान्यवर, मैं तो उनकी बातचीत को बता रहा था, यदि कहीं पर कुछ असंसदीय आ जाये तो आप कृपापूर्वक उसे हटा दीजियेगा। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग संसदीय परम्पराओं को मानने वाले लोग हैं, चाहे संसदीय कार्य मंत्री जी हों या हम हों, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी उत्तर प्रदेश में रहे हैं, हम भी रहे हैं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी भी रही हैं और इस सदन के कई माननीय सदस्य उत्तर प्रदेश के सदन में रह चुके हैं तथा वह लोग अच्छी तरह से संसदीय परम्पराओं को जानते हैं। मुझे आज इस बात का बड़ा खेद रहा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की तो उम्र हो चुकी है तो उनको थोड़ा सा गुस्सा आ गया होगा। (हँसी) लेकिन मुझे क्या हो गया था, मुझे तो कम से कम संयम बरतना चाहिये था। वैसे भी हम अपने से बड़ी उम्र वालों का बहुत लिहाज करते हैं, मैं मान्यवर, आपका बहुत लिहाज करता हूँ, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और अन्य वरिष्ठ सदस्यों का लिहाज करता हूँ और हमको अपनी परम्पराओं के आधार पर समाज में लिहाज करना, इज्जत देना सीखना होगा।

वैसे भी मैं सदन में कई बार कहता हूँ कि, लेकिन कई बार नहीं हो पाता है, जैसे नये सदस्य यहाँ पर आते हैं, जब हम चुनकर उत्तर प्रदेश में गये थे तो वहां पर वरिष्ठ सदस्य बातते थे कि कैसे बोलना है कि जैसे नेता सदन बोल रहे हों तो सभी लोग बैठ जाओ और जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहें हो तो भी बैठ जाओ और यदि कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो अन्य सदस्यों को नहीं खड़े होना चाहिये। ऐसा माननीय केशरीनाथ त्रिपाठी जी आदि लोग हमें बताते थे। आप भी प्रबोधन कार्यक्रम करायेंगे, वे लोग हमें यह भी बताते थे कि यदि पीठ से कोई व्यवस्था आ जाय और मन मसोसना पड़ जाये तो भी मन मसोस लो। क्योंकि अध्यक्षीय प्रणाली में अध्यक्ष जी की पीठ का बहुत बड़ा सम्मान होता है, अगर हम नियम, कानून और समाज की जो मान्यतायें हैं, हम उस पर नहीं चलेंगे तो सारी परम्परायें ध्वस्त हो जायेंगी।

मान्यवर, जो आज सुबह यहाँ पर घटित हुआ, उस पर मुझे भी बाद में थोड़ा कष्ट हुआ। यद्यपि आपने अपनी सदाशयता का परिचय दिया, आपने मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और जो भी इस पीठ पर बैठते हैं, उनको ऐसे ही संवेदनशील होना चाहिये। क्योंकि सदन सभी का है और प्रदेश की बड़ी–बड़ी समस्यायें यहां पर आती हैं, आज जैसे सदन चला तो कई चीजों का निराकरण भी हो गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी बड़ी सदाशयता का परिचय दिया, सदाशयता से वह यहां पर आईं और हमारे भी सीनियर मेम्बर्स ने कहा कि बात आई–गई हो गई और यह होना भी चाहिये, कौन सा हमारे जमीन–जायदाद के ऐसे मामले हैं कि हम लोग इसे प्रेस्टीज इश्यू बनायें। अभी आप लोग सत्ता पक्ष में बैठे हैं, हो सकता है, कल हम उधर आ जायें, फिर हो सकता है कि कुछ दिनों में आप आ जायं और हम फिर से विपक्ष में बैठ जायं। यह तो चक्र है और यह चलता ही रहता है, इसलिये मैं अपने से छोटी उम्र के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि संसदीय परम्पराओं में सीखने की पराकाष्ठा लानी चाहिये और अपने व्यवहार में संयम लाना चाहिए, क्योंकि संयम में बहुत बड़ी ताकत होती है, मौन में भी बहुत ताकत होती है, यह सभी लोग जानते ही हैं, लोग मौन व्रत भी लेते हैं। कोई किसी के ऊपर वार कर रहा हो, यदि सामने वाला चुप ही रहे तो वार करने वाला भी शांत हो जाता है। आज की घटना के परिप्रेक्ष्य में इतना कहना जरूरी था।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट में जो पहला बिन्दु लिया है, उस बिन्दु की स्थिति बताने के लिए मैंने कहा कि आजीविका की सुरक्षा का आज क्या हाल है। बजट का आधारभूत तत्व यही है, मैंने तो बता दिया कि आज हमारे यहां बेरोजगारों का क्या हाल है।..... मान्यवर, अभी घड़ी तो बहुत चलेगी, मैटर बहुत बड़ा है, यहां पर चार–चार, पांच–पांच घण्टे बोलने की परम्परा भी रही है। (व्यवधान) नहीं, तोड़ना भी नहीं है और आलतू–फालतू भी नहीं बोलूंगा। लेकिन अभी माननीय अध्यक्ष जी, दोनों घड़ियों को देख रहे थे तो मुझे भी झस्स जैसी हुई।

मान्यवर, दूसरा बिन्दु है आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा कैसे होगी, हमारा किसान कराह रहा है, ट्यूबवैल नहीं चल रहा है, बिजली नहीं आ रही है। जहां पर बेमौसमी सब्जियां होती थीं, वहां पर पेयजल नहीं जा रहा है, नदी–नाले और पानी के अन्य स्रोत सूख गये हैं। सिंचाई के लिये जो पम्पिंग योजनायें थी, वह खराब पड़ी हैं क्योकि बिजली नहीं है, तो किस तरह से हम लोग आर्थिक सुरक्षा में मजबूत होंगे, आखिर हम लोग कौन सी ऐसी चीजें करने जा रहे हैं, जिससे हम आर्थिक रूप से पुष्ट हों। मान्यवर, यह बिन्दु भी बजट का मैं समझता हूँ कि कोई खास इसमें तथ्य नहीं रहा।

ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा के बारे में पूरा सदन बोला और माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि हमारी ऊर्जा में, विद्युत में बहुत हालत खराब है और हम बाहर से खरीद के ला रहे हैं तब भी हम बिजली नहीं दे पा रहे हैं। ऊर्जा की सुरक्षा कहना भी

एक छलावा है मान्यवर। अब आती है वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा, आपने चौथा बिन्दु इसको दिया है जिसमें आधार बनाया है। वन धू–धू कर जल रहे हैं। 65 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक हमारे यहां वन हैं और उसमें से लगभग 45 प्रतिशत पर आज आग लगी हुई है। सरकार के दावे खोखले हो गये हैं, मान्यवर, दो महीने पहले सरकार ने कहा था सरकार बनने के तुरन्त बाद कि हमने पूरे अग्नि पर काबू पाने के प्रबन्ध कर लिये हैं। जिस तरह आज जंगल की आग उत्तराखण्ड में फैली हुई है, पूरे देश में सारे मीडिया में यह खबर जा रही है और जानवर बेतहाशा होकर या तो मर रहे हैं या भाग रहे हैं। जिससे इकोलॉजिकल बैलेंस भी हमारा खराब हो रहा है। तो ऐसे में वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा की बात करना भी मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूँ। बजट इस पर आधारित है, ये चार के चार बिन्दु समाप्त हैं।

पांचवा अन्तिम बिन्दु है बाहरी सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा। बाहरी सुरक्षा का बहुत बड़ा बोझ तो माननीय मंत्री जी, हमारी सरकार पर बहुत बड़ा नहीं हैं क्योंकि केन्द्र सरकार देखती है। थोड़ा–बहुत जितना हमारी सीमाओं पर है, उसमें भी हम केन्द्र को कह देते हैं कि यहां पर सीमाएं असुरक्षित हैं, चौकियां बढ़ाइये, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करिये और भी संसाधन दीजिए, लेकिन आंतरिक सुरक्षा का क्या हाल है, आंतरिक सुरक्षा में इसी माननीय सदन के सदस्य फुरकान अहमद जी यहां बैठे हैं। मुझे बड़ा अफसोस भी होता है और कष्ट भी होता है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सत्ता पक्ष को बोलना ही है, लेकिन यह मेरे साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। आपके घर में लगभग दो, ढाई बजे बहन जी, जो आपकी धर्मपत्नी हैं, उनको तमन्चा दिखा कर कहा गया कि अगर बोलेंगी तो तेरे बच्चों को समाप्त कर देंगे। जो अखबार में मैंने पढ़ा। मान्यवर, मुझे पता नहीं कि कैसा था, यही सही था न, यही सही था। ये कहा गया और उसके बाद घर से उनके जेवरात, धन जो भी ले जा सकते थे, खुलेआम ले गये। मान्यवर, जब इस सदन का, वो भी ट्रेजरी बेंच, सत्ताधारी पार्टी के चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो, जो भी हो, सदन है, इसके सदस्य का मान–सम्मान, दुख–दर्द, कष्ट, हम सब का दुख–दर्द, कष्ट है मान्यवर, जब यहां का सदस्य सुरक्षित नहीं है, उसका घर सुरक्षित नहीं है मान्यवर, आम आदमी की क्या बिसात होगी।

जहाँ पर काम्पनीजेबल अफेन्स को नॉन–काम्पनीजेबल में बदल दिया जाता है। जहाँ पर एफ0आई0आर0 दर्ज तक नहीं की जाती है और धमका दिया जाता है चल भाग, बदमाशों के चक्कर में एफ0आई0आर0 तक नहीं होती है। वहाँ की क्या स्थिति होगी मान्यवर, यह स्मरणीय है। इतना ही नहीं यहां तो दो दिन पहले विधायक जी के घर में हुआ था, परसों यहाँ के उप सचिव हैं कोई, हमारे सचिवालय के, शासन के, उनका नाम है पाटनी जी, उनके घर में वही घटना हो गयी। ये राज्य है, ये राज्य की राजधानी है, हरिद्वार हमारी धार्मिक राजधानी है। जब यहाँ पर ये घटनाएं हो रही हैं तो अन्य जगहों का क्या हाल होगा, एक बहन हमारी हरियाणा से आई, उनको गोली हरिद्वार में मार दी गयी। एक बहन को पुलिस अभिरक्षा में उठाकर ले गये, अभिरक्षा में उसकी मौत हो गयी, उत्तरकाशी में, पुरोला में।

तो एक के बाद एक जो ये घटनाएं हुईं, ये सब वी0आई0पी0 केसेज हैं मान्यवर, जिनको मीडिया ने उछाला है, मीडिया के लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि अगर ये बातें अखबारों में नहीं आतीं, इलेक्ट्रानिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो तो हमें भी पता नहीं चलती मान्यवर, यह हालात आज प्रदेश के हो गये है। तब मैं कहता हूँ कि यह बजट, बजट नहीं, आर्थिक सुरक्षा नहीं, ऊर्जा की सुरक्षा नहीं, वन एवं पर्यावरण की सुरक्षा नहीं, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा नहीं तो वह बजट खाली कागज है, खाली कोरा पन्ना रह गया है, क्या है यह। (विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, यह एक असूल सा बन गया है कि इसमें ये भी लिख दो, ये भी लिख दो इसमें जो आपने आकड़े दिये हैं, ये तो आप अगली बार का बजट ठीक से देख कर रख पायेंगे तो उस समय हम आपसे पूछेंगे। क्योंकि आज तो आपने अनुमान लगाया। मुझे तो इसका एक रिवाज सा लगता है, खाली शब्दों की बाजीगरी लगती है, इससे मुझे एक शेर याद आता है। क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कल काफी शेर कहे हैं कई लोगों से पूछके मैंने भी बनाये, मुझे आता नहीं है क्योंकि मैं कवि भी नहीं हूँ, यहाँ तो कवियों का जमाना होता है कवि लोग काफी किताबें भी लिखते हैं, विधान सभाओं का एक चस्का होता है, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या यहाँ का, लोग लिखते हैं। (किसी माननीय सदस्य द्वारा कहा गया कि 'निशंक' जी लिखते हैं) निशंक जी के अलावा भी हमारे यहाँ तीन चार लोग लिखते हैं, आपके यहाँ भी लिखते हैं वह मुझे पता है। "जहाँ प्यास कम वहाँ दम ब दम, जहाँ जहाँ प्यास है वहाँ कम से कम, साथी तेरे मयखाने का उसूल है या मजाक है ये।" आप इसको थोड़ा गहराई से सोचिये। (मेजों की थपथपाहट) ये क्या है, मान्यवर, ये वास्तविकता है या मजाक है मेरे समझ में नहीं आता है।

आपने कहा है अपने अनुमानों में कि राजस्व घाटा बिल्कुल नहीं होगा, अनुमानित कहा है, है नहीं कहा है। हम इसमें कोई कमेन्ट करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि बजट प्रारम्भ हो रहा है तो इसमें बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इसमें आपने एक चीज कही है कि लोक लेखा से जो समेकित निधि का घाटा कम करने के लिए 700 करोड़ रूपये का प्राविधान आप कर रहे हैं, सब चीजों का प्राविधान है तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें फिर राजस्व घाटा नहीं होगा क्योंकि आप वहाँ से पूरा करके वहाँ डाल रहे हैं तो इतना ही मैं इस मामले में कहना चाहता हूँ। क्योंकि आज तो वित्तीय प्रबन्धन में आपको पता है और केन्द्र के निर्देश हैं, माननीय न्यायालयों के निर्देश आ गये हैं कि एक वित्तीय प्रबन्धन आपको करना है, आपको राजस्व घाटा दिखाना नहीं है, सकल राजकोषीय घाटे को आपने एक लिमिट के अन्दर रखना है। वह आप कितना रखेंगे आज हम इस प्वाइन्ट को, चेप्टर को यहीं पर बन्द इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रखेंगे या नहीं रखेंगे, जब आप इस बजट को अगली बार सरकुलेट करेंगे, धीरे-धीरे आप ले जायेंगे, उसके बाद हमें पता लगेगा तब जो आंकड़े आयेंगे उस पर तब हमारी आपसे बहस होगी,

इसलिए इस प्वांइट पर हम आपसे ज्यादा नहीं कहते हैं। लेकिन आप जो कर वसूल करेंगे। मान्यवर, कर कहाँ से लेंगे, क्या राजस्व के आय के स्रोत हैं आपके सब मिले जुले हैं, वाणिज्यकर हैं, अब इससे कितना करेंगे मैं समझ नहीं पाता हूँ, लेकिन कर चोरी का आलम इतना है कि तमाम सीमाओं पर हमारी चौकियाँ बनी हैं वह फंक्शन ठीक से नहीं कर रहे हैं। उन चौकियों से निरन्तर कर चोरी हो रही है, छीजन जा रही है तो इसे आप राजस्व के घाटे को नहीं होने देंगे यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आबकारी में आपको हरियाणा के माफिया, पंजाब के माफिया, शराब की, वाइन की, लीकर की गाड़ी की गाड़ी हल्द्वानी, पिथौरागढ़, डीडीहाट तक, मैंने देखा कि वहाँ तक उनकी गाड़ी जा रही हैं। इधर पर्वतीय क्षेत्र में पौड़ी तक तो आती हैं, हरिद्वार और ऋषिकेश से ऊपर पूरे यात्रा रूट पर गाड़ियाँ बीच में पकड़ेंगे।

परिवहन है, आज परिवहन की स्थिति भी खस्ताहाल है। 103 करोड़ के घाटे में आपका परिवहन चल रहा है। इसी तरह से नागरिक उड्डयन है, इसमें तो अभी कुछ भी इन्कम नहीं हुई है। क्योंकि उसमें कोई फंक्शन नहीं हो पा रहा है क्योंकि यह बहुत बड़ा इन्कम का स्रोत भी है, वह हमें नहीं दिखाई देता है। स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन में आप कितना कर लेंगे। मान्यवर, प्रदेश में विद्युत की खस्ता हालत है। अभी विद्युत के बारे में आपने बताया है और पेयजल निगमों से कुछ आना नहीं है जाना ही जाना है। हम पर्यटन से बहुत ज्यादा ले नहीं पा रहे हैं। आजकल धार्मिक पर्यटन चल रहे हैं। मान्यवर, पर्यटन को व्यवसाय के रूप में जिस तरीके से बढ़ाना था हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं मैं नहीं समझता हूँ कि भविष्य में इस बजट से बहुत अच्छे परिणाम होंगे। आज जो आंकड़े यहाँ पर आपने दिये हैं वह आंकड़े क्या करेंगे और कैसा परिणाम होगा ? मान्यवर, इसके परिणाम अगले साल इन्हीं दिनों में आयेंगे या नवम्बर या दिसम्बर के दिनों में आयेंगे कि आप किस तरह की व्यवस्था और आर्थिक प्रबन्ध कर पा रहे हैं। मान्यवर, आज तो कुछ भी कह पाना सम्भव नहीं है और कहना भी ठीक नहीं है। लेकिन हमको मालूम है कि आगे क्या होने वाला है ? इस बारे में एक शायरी कह रहा हूँ–

हमको मालूम है जन्नत की हकीकत गालिब, दिल को बहलाने का यह भी अन्दाज अच्छा है। लिख तो जाओ कुछ भी लिखके इसमें दिल को बहलाये जाओ। (कई माननीय सदस्य बैठे–बैठे अपनी बात कहने लगे।) (घोर व्यवधान)

*श्री फुरकान अहमद–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य को यह कहना चाहिए था–

जब तेरे शहर में तेरी दुहाई दूंगा, दिल तो दिल है पत्थर में भी सुनाई दूंगा।

मेरी सिमटी हुई बात जब फैलेगी तो जमाने को दिखाई दूंगा। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, आपने बहुत अच्छी शायरी सुनाई। मैं आपका बहुत आभारी हूँ और आप जो भी सुनायेंगे मैं उनको भी नोट कर लूँगा तथा मैं यहां पर कुछ शायरी बाद में और सुनाऊंगा। क्योंकि मुझे अभी कुमायूँ क्षेत्र में जाना है। अगर यह बजट भाषण पहले प्रारम्भ हो गया होता या नोंक–झोंक नहीं हुई होती तो यह बजट भाषण पहले ही समाप्त हो गया होता। मान्यवर, सम्मानित सदन के एक माननीय सदस्य श्री राज कुमार ठुकराल जी के पिता जी का बीच में स्वर्गवास हो गया था, मुझे वहाँ जाना है। मैं भी चाहूँगा कि ज्यादा ऐसी वैसी बातें न करूं अभी यहां पर केवल महत्वपूर्ण बात को कहूँ। मान्यवर, सरकार ने दो महीने से बजट पर बहुत कम ध्यान दिया और बजट अच्छा नहीं बनाया है।

मान्यवर, कल एक चैनल पर मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी टेलीफोनिक बात कर रहे थे तो जब चैनल वालों ने मुझे पूछा कि बजट में ऐसी चीजें हैं। मान्यवर, उस चैनल पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारा बजट तो अगले साल आयेगा, यह बजट तो भारतीय जनता पार्टी का बजट है तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैंने उन चैनल वालों से कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री से कहना कि आप हमको कृपापूर्वक इस बजट पर ही गद्दी पर बैठा दीजियेगा और हम स्वीकार कर लेते हैं और जैसा भी है हम इसी बजट को ठीक कर लेंगे। इस बजट में जितने भी आपने शब्द जाल कर रखें हैं उनको हम वास्तविक रूप में कर लेंगे। (मेज की थपथपाहट) (व्यवधान) मान्यवर, अब हम लोगों ने मान लिया है कि हम पांच साल विपक्ष में ही रहेंगे। आप हमेशा खुश रहें और प्रसन्न रहें। आप ट्रेजरी बेंच पर हैं थोड़ा गुस्सा कम करें। (घोर व्यवधान) मान्यवर, जिस तरीके से आज यहाँ पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने हमको डराया था और यहाँ पर भी मैं देख लूँगा वाली स्टाईल हो गयी। (घोर व्यवधान) मान्यवर, आज का दिन मातृ शक्ति के लिए होगा, कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे ही होंगे जिन्होंने आज का तापमान बढ़ाया होगा। (व्यवधान)

मान्यवर, सरकार यहाँ आई और सरकार क्या करती रही, सरकार को चाहिए था कि पेयजल दुरूस्त करना है, बिजली की व्यवस्था चुस्त और दुरूस्त करना है, बेरोजगारों के लिए कोई स्कीम बनानी है, पर्यटन को नये आयाम देने के लिए कुछ हमकों करना चाहिए, शिक्षा में अध्यापकों की कमी है, स्कूल बन्द हो रहे हैं, अध्यापकों की पूर्ति करनी चाहिए। मान्यवर, एक हजार चिकित्सक अभी तक कम हैं और हमारे यहाँ 75 प्रतिशत विशेषज्ञ कम हैं और मेडिकल के डी0एम0 तो बहुत कम हैं तो इस तरह की व्यवस्था नहीं दी, सिंचाई की हालत सुधरनी थी, पेयजल के बारे में आपने सुन ही लिया है और आज हमारे परिवहन की खस्ता हालत हो रही है, बसें आये दिन गिर रही हैं और बसें टाईम बार्ड हो गयी हैं, कई बसों को आर0टी0ओ0 ने यह कर दिया है कि ये बसें नहीं चल पायेंगी लेकिन उसके बाद भी वे बसें चल रहीं हैं, तो इस ओर हमारी सरकार को देखना

चाहिए था। मान्यवर, हमारी सरकार ने क्या देखा, सरकार ने यह देखा कि कोई विधायक गया तो कहा कि आ जाओ मेरे पास और कहा कि क्या काम है तो कहा कि यह काम है, तुम अपनी सीट छोड़ दो जो चाहे वह मैं कर दूँगा।

मान्यवर, सरकार की यह सोच अलोकतांत्रिक सोच है, एक विधायक थे हमारे यहाँ जो अब पूर्व हो गये हैं उनको बकायदा बुलाया गया, वे विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जाते हैं, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से इजाजत ली कि मैं मिलने जा रहा हूँ और मिलने के बाद जैसे बहेलिया जाल डालता है छप्प से वैसे ही जाल डाला और जाल में उठाया। मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूँ, हमारे ट्रेजरी बेंच के बहुत बड़े मंत्री जी हैं उनके सम्पर्क में आये और उनके पास 4–5 कार्यकर्ता ले गये, फिर दिल्ली गये और कहाँ–कहाँ नहीं गये, किस–किस होटलों में रूके और मैंने तो कहा था कि यदि कॉल डिटेल निकाल ली जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा कि किस–किस ने बात की है और उनकी लिस्ट हम दे देंगे, खैर हम चुनाव आयोग जा रहे हैं इसे अभी कहकर कोई फायदा नहीं है। उनको ले गये और इतना ही नहीं ले जाने के बाद उनको लाया गया और माननीय मंत्री जी के संरक्षण में लाया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रकट हुये और प्रकट होने के बाद उसी समय उनका इस्तीफा दिलाया गया और आपको भी इतनी तकलीफ दी गई। आजकल सदन चल रहा है, आजकल ही इस्तीफा दिला देते।

मान्यवर, कहाँ से हेलीकॉप्टर आया होगा, कौन सी कम्पनी ने दिया होगा, सरकार ने फटाफट हेलीकाप्टर भेजा। कहाँ आपके कार्यक्रम लगे होंगे डोल के ढाल किसी जगह पर थे वहाँ से शाम को लाये, पुलिस की छावनी की तरह आपके घर को तब्दील कर दिया गया और उसी समय उनको इस्तीफा देकर उनको भेज दिया, इतना ही नहीं उनको एक वाई कैटेगरी भी दे दी है और उनको एक कार भी दी है जो कि राज्य सम्पत्ति विभाग की है तो किस हैसियत से उनको कार और वाई कैटेगरी दी है यह आज तक मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लाल बत्ती लगाये कार में जा रहे हैं, यह जनता की कार है उनकी कार नहीं हैं। यदि किसी को वाई कैटेगरी दी जाती है तो उनको सरकारी कार देने की आवश्यकता नहीं है, माना कि उनको किसी से खतरा होगा, हो सकता उनकी भी लूट हो सकती है, जिनको पता है कि उनके पास ये–ये चीजे हैं वही उनको लूट सकते थे, यह भी उनको आशंका थी इसीलिए शायद उनको वाई कैटेगरी दिया होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे कृपापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि उसी दिन रात को कैबिनेट बुला ली गई और कैबिनेट एक प्वाईंट पर बुलाई गई और वह प्वाइंट था कि हम भूमिधरी अधिकार दे देंगे, बहुत अच्छा है हम विरोध नहीं कर रहे हैं मिल गया है, इसका जी0ओ0 हो जाये, सबको मिले, लेकिन यह प्रलोभन की श्रेणी में आता है, यह

दबाव की श्रेणी में आता है, लालच की श्रेणी में आता है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से चुनाव लड़ जाते हैं तो तब यह स्पष्ट हो जायेगा कि इन्होंने दबाव और प्रलोभन दिया, इसीलिए उसके बदले में देने के लिए उसी समय कैबिनेट बुलाई गई। कैबिनेट बुलाना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है और साधारण बात नहीं है यह असाधारण बात है।

माननीय, अध्यक्ष जी से कहा कि हैलीकाप्टर से जल्दी आयें इसमें इतनी क्या जल्दी थी चार दिन रूक जाते सदन चलने वाला था जिसे जाना था वह चला जाता मान्यवर, हम कहीं उनको पकड़ नहीं रहे थे, अरे, जिसको डूबना ही है तो डूबे।

मान्यवर, मैं अपने गांव का एक वाकिया सुना रहा हूँ। किसी ने फांसी लगा दी, तो उसकी मां चिल्लायी बचाओ, बचाओ। मां ने इधर–उधर देखा तो उसका खून बह रहा था। मां का दिल होता है, उसने रस्सी काट दी तो उसे एम्स में ले गये और वह बच गया। मान्यवर, छः महीने सात महीने बाद वह ठीक हो गया और लगभग डेढ़ साल तक वह जीवित रहा। मान्यवर, इसके बाद जब सब ठीक–ठाक हो गया, घर ही सारी रस्सियां हटा दी गयी, जिससे वह फिर से फांसी पर न झूले। मान्यवर, एक दिन क्या हुआ कि वह पूरा का पूरा रजाई से ढक गया, जाड़ों के दिन थे, मेरे सामने का किस्सा है और वह खाट में बैठ गया। खाट निवाड़ वाली थी, लोगों ने कहा, कहां गया, उसकी मां ने कहा देखो–देखो। उसकी मां ने कहा, यह क्या कर रहे हो, उसने कहा, अरे! धूप भी सेंकने नहीं देते हो, मैं क्या कर रहा हूँ। तो उस बेचारे ने पहले से ही कैंची दबा रखी थीं, और उसने अन्दर निवार काट दिया और निवाड़ काटने के बाद उसको अपनी कमर में बांध दिया। निवाड़ कमर में बांधने के बाद उसने अपनी दाड़ी बनायी, हाथ–मुंह धोया और अपने इकलौते लड़के को गांव में घुमाया और कहा आज बाजार जाता हूँ। ईजा, तुम अच्छी रहना, हमारे यहां ईजा "मां" को कहा जाता है। भाई, तुम अच्छे रहना, पत्नी तुम अच्छी रहना और कई लोगों से गले मिले। मान्यवर, वह गांव में उस दिन सबके घर गया और फिर शाम के समय कहा अब मैं बाजार जाता हूँ। बाजार गांव से एक किलोमीटर की दूरी पर है। जब उसने कहा बाजार जाता हूँ तो लोगों ने कहा यह तो बहुत अच्छी बात है, बाजार जा रहे हो तो सब्जी भी ले आना, परन्तु वह बाजार न जा कर जंगल की ओर चला गया और जब वह घर नहीं आया तो लोगों ने उसे ढूंढा तो तीसरे दिन उसकी लाश जंगल में मिली।

मान्यवर, मेरा मतलब यह है कि जब मन ही बना लिया कि मरना ही है, अपनी जीवन लीला ही समाप्त करनी है तो इतनी जल्दी क्या थी, यहाँ भी तो सदन में हो सकता था। माननीय अध्यक्ष जी, आपको भी बहुत कष्ट दिया और मैं यदि वहां होता तो कम से कम आपसे निवेदन करता कि हैलीकॉप्टर आ रहा है अध्यक्ष जी, आप आगे मत बढ़िये

आपको बहुत कष्ट होगा मैं आपको अल्मोड़ा ही पकड़ लेता। एक व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी बात की गयी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से शायद चुनाव लड़ रहे हैं, मुझे ऐसा लग गया है। अब चुनाव लड़ रहे हैं तो इतना बड़ा प्रलोभन और इतना बड़ा लालच दे दिया गया है, इसकी पुष्टि होती है। पहले तो लालच और प्रलोभन देते आये हैं, लेकिन यह लालच तो पहले ही दिख रहा है बाकी और लालचों की बात बाद में करेंगे। चुनाव आयोग के समक्ष बात रखेंगे।

मान्यवर, इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे व्यक्ति, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, पूरा सदन भी उनका सम्मान करता है, क्योंकि उन्होंने पहले हमारी नाक बहुत ऊँची कर रखी है। क्योंकि वे इस प्रदेश के नहीं बल्कि देश के राजनेता स्व0 श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा जी के सुपुत्र हैं, जो हमारे लिए सम्मान की बात है। मान्यवर, इतना ही नहीं वे एक न्यायमूर्ति की कुर्सी पर विराजमान हो चुके हैं। न्यायमूर्ति जो न्याय देते हैं, तो गलत कामों के लिए कहते हैं कि गलत काम मत करना, यह नीति का विषय है। मान्यवर, हमारे यहाँ गाँव में कहावत है चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लालच नहीं देना चाहिए, प्रलोभन नहीं करना चाहिए, परायी स्त्री को नहीं देखना चाहिए। यह हमारी नीति के विषय में है। मान्यवर, जब नीतिगत फैसले धारण करते हैं, जब न्यायमूर्ति की कुर्सी में होते हैं तो उनका फैसला बड़े से बड़े फांसी के फंदे से आदमी को बचा सकता है और किसी को फांसी के फंदे पर झुला सकता है। किसी आतंकवादी को फांसी दिला सकता है, तो किसी गठित आतंकवादी को छुड़ा सकता है, जिस पर आरोप होता है, तो ऐसी उनकी कलम में ताकत होती है।

मान्यवर, ये लोग अवकाश प्राप्त भी होते हैं, तो उनसे ऐसी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस सदन में ऐसा होगा और यहां के माननीय मुख्यमंत्री जी जो ऐसे हैं। मान्यवर, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यह सरकार के संरक्षण में हुआ और जिसमें मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए मेरा स्पष्ट आरोप इस सरकार पर और माननीय मुख्यमंत्री जी पर है और जो आरोप का उत्तर देंगे। मैं प्रतिआरोपी उत्तर देने के लिए भी सदन में उपस्थित रहूँगा। मान्यवर, प्रदेश की यह हालत है, लोकतंत्र को खत्म करने की योजना बन रही है, लोकतंत्र को बिल्कुल समाप्त करने की योजना बन रही है तो क्या होगा।

मान्यवर, मैं हिलने वाला नहीं हूँ। संसदीय कार्यमंत्री यूँ–यूँ कर रही हैं। आप उधर मत देखिए। मैं हिलने वाला नहीं हूँ। मैं जानता हूँ, मेरा प्रीविलेज है। (व्यवधान) मुझे अपनी कैपेसिटी मालूम है और मुझे अधिकार माननीय मंत्री जी के भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के भी और सदन के तो हैं ही। मुझे उतनी ही स्वतंत्रता दी गयी है लोकतंत्र में कि मैं गलत न बोलूँ। संसदीय भाषा का प्रयोग करूँ, किसी को ठेस न पहुँचाऊँ लेकिन

सत्य बात अपने प्रदेश के हित में कहूँगा ही कहूँगा। मान्यवर, लोकतंत्र कलंकित हुआ है, एक गलत मैसेज यहीं नहीं पूरे प्रदेश में गया है। इस ओर अगर ध्यान नहीं गया होता, कुछ काम होता, पूरा का पूरा ध्यान, पूरी सरकार का ध्यान उधर चला गया, तो कहाँ पानी आएगा ? कहाँ बिजली आयेगी ? कैसे किसानों के ट्यूबवेल चलेंगे ? कैसे ऊँचे स्थानों पर पम्प करके नीचे से पानी जाएगा ? ध्यान ही नहीं है, अधिकारी क्या करेंगे बेचारे ? मुख्यमंत्री जी का ध्यान उधर को है, सारी सरकार का ध्यान उधर है कहाँ गया, क्या गया, कैसे हो रहा है, पकड़ो ये हो रहा है। पानी कहाँ है, बिजली कहाँ है और चीजें कहाँ हैं, सिंचाई की हालत खस्ता है। (व्यवधान)

मान्यवर, भोजन माताओं की स्थिति बताऊँ आपको। उधर ही कुछ कर लेते। मैं मातृ शक्ति के लिए कह रहा हूँ, आज माननीय मंत्री जी यहाँ पर हैं। 32 हजार भोजन माताओं को बढ़ोत्तरी का पैसा देने के आदेश पहले से सरकार ने किये हुए हैं लेकिन उनको आज तक नहीं दिया गया। ये छोटे–छोटे मामले ले लेते। माननीय मुख्यमंत्री जी के राहत कोष के लिए कम से कम 62 मामले तो मैं दे चुका हूँ, उनमें आदेश कर देते तो कुछ हो जाता। हमने जो विधवा गरीब थीं, उनकी लड़कियों की शादी करने के लिए और बी0पी0एल0 वालों के लिए राशि दी थी, अगर उस ओर ध्यान जाता तो उनका कुछ भला होता। शादी के लिए कई लोगों के पास 10–10 हजार रूपये चले जाते, लेकिन नहीं दिया क्योंकि उधर की ओर ध्यान नहीं था। मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, सदन से बाहर घोषणायें कर रहे हैं। अगर अपने चैम्बर में होंगे तो सुन भी रहे होंगे।

संसदीय परम्पराओं में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, माननीय प्रीतम सिंह जी हैं, माननीय यशपाल आर्य जी हैं, जो पहले अध्यक्ष रह चुके हैं, जितने हमारे पुराने विधायक उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ तक हैं, मंत्रीगण हैं, सारे लोगों को संसदीय परम्पराओं का ज्ञान आधे से ज्यादा क्या मैक्सिमम सदस्यों को यहाँ पर है। इधर के सदस्यों को भी है, उधर के सदस्यों को भी है, जब सत्र आहूत होता है तो माननीय मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्रीगण सदन से बाहर कोई घोषणा नहीं कर सकते हैं। बाकायदा हमारे बड़े भाई होंगे या छोटे भाई होंगे उमेश जी (काऊ) ने कितनी घोषणाएं लिखी हैं, कितना बड़ा चित्र लगाया है सत्र आहूत होने के बाद।

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, आप गलत बोल रहे हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, गलत है तो मैं सुधार कर लूँगा।

श्री उमेश शर्मा (काऊ)–

मान्यवर, उसमें तारीख लिखी है। 18 मई की थी।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पहले की थी तो मैं अपनी बात को वापस ले लेता हूँ। हम तो इसमें बड़े सरल हैं। हम तो प्रेस्टीज इश्यू बनाते ही नहीं हैं प्रजातन्त्र में। (व्यवधान) चकराता में भी घोषणाएं की गयीं, जबकि सत्र आहूत हो गया था। रामनगर में भी सत्र आहूत होने के बाद घोषणाएं की गयीं। शीरे की नीति के बारे में आपने लगभग पूरी नीति तैयार कर ली, जबकि डिपार्टमेंट के अन्य लोगों को ठीक से पता भी नहीं है। सत्र आहूत हो गया था। मेरी समझ में नहीं आता कि जो कानून में मर्मज्ञ हों, सब कुछ जानते हों, संवैधानिक परम्पराओं को जानते हों, उनके मुखिया होने पर यह सब हो रहा है तो फिर इस सदन का क्या औचित्य है ? यह तो सदन की सरेआम अवमानना है। मान्यवर, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से जो माननीय नेता सदन हैं, उनके स्तर से यह होगा तो हम कहते हैं कि उसको ठीक कराईये, आप कहते हैं कि फलाने ज्यादा बोल रहे थे, आपके नये सदस्य ज्यादा बोल रहे थे, क्या अपेक्षा करेंगे, हम किसी से ? जब इतने बड़े स्तर पर यह सब होता है तो हम क्या करेंगे ? यह एक विचारणीय प्रश्न है।

(माननीय खाद्य मंत्री श्री प्रीतम सिंह द्वारा बैठे–बैठे कुछ कहे जाने पर)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, नीतिगत क्या होता है, आप समझदार हैं मुझे बता दें। मैं तो नीतिगत ही बोल रहा हूँ। अगर यह नीतिगत नहीं है कि सत्र आहूत होने पर बाहर घोषणाएं नहीं की जाती हैं। मान्यवर, आप तो बहुत ही सीनियर सदस्य हैं, आप उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं। हम तो आपका बहुत आदर करते हैं। अगर यह नीतिगत नहीं है, तो मुझे आप बताएं। जब उत्तर आएगा, उस समय बता दीजिएगा। अगर कोई बात मेरे से गलत निकल जाएगी तो, मैं प्रजातान्त्रिक प्रणाली में अपनी नाक नहीं लगाता कभी। सीधे अपनी बात को वापस ले लूँगा और क्षमा भी मांग लूँगा क्योंकि तभी प्रजातंत्र जिन्दा भी रहेगा, जब एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सही बात कहने की हममें हिम्मत भी होगी और सही बात सुनने का माद्दा भी होगा तभी हम लोग एक दूसरे की बातों को कह–सुन सकते हैं और इससे कोई नई चीज भी निकलेगी।

मान्यवर, सरकार का दो महीने से क्या काम रहा, मेरा कहना यह है कि बजट और अच्छा क्यों नहीं बन पाया, इस बजट में जो पांच बिन्दु लिये गये हैं, वह फेलियर क्यों हो गये, यदि उनकी ओर सरकार का ध्यान जाता तो मुझे भी बोलने में थोड़ी हिचक होती कि भई, मुझे भी ऐसे नहीं बोलना चाहिये, क्योंकि यह कर तो ठीक ही रहे हैं। जैसा हमने पहले भी कहा है कि बेरोजगारों को भत्ता दे दिया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन

जब आज उसको देखा तो पता चला कि उसमें तो अब नियमावली बननी है, कब का जोगी, कब की जटा कहते हैं। कब बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे होगा और किन–किन को दिया जायेगा, यह तो अभी स्पष्ट ही नहीं है, तब आज पूरे प्रदेश के सामने सरकार की पोल खुली कि यह बेरोजगारी भत्ता कुछ नहीं है, यह तो ढकोसला मात्र है। इस सरकार का ध्यान कहाँ चला गया कि माननीय मुख्यमंत्री खंडूड़ी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने इस प्रदेश में एक से एक अच्छे कानून बनाये, उसमें एक था लोकायुक्त कानून, वह इसलिये बनाया गया कि भ्रष्टाचार समूल समाप्त हो जाय, लेकिन सरकार का ध्यान यहां गया कि उसको ठण्डे बस्ते में डाल दो, मान्यवर, जब यह कानून पास हुआ तो हमारे प्रदेश के सभी लोग, चाहे कांग्रेस के हों, या भाजपा के हों या सपा के हों या बसपा के हों, चाहें यहाँ के प्रेस वाले हों, चाहे यहाँ के दुकानदार हों, चाहे मजदूर हो, चाहे अफसर हों, जैसे ही यह बिल पास हुआ, पूरे प्रदेश में तहलका हो गया, खंडूड़ी–खंडूड़ी–खंडूड़ी। (व्यवधान)

मान्यवर, आना–जाना तो लगा रहता है, देश में इन्दिरा गांधी जी भी गई थीं, पिछली बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री इन्दिरा जी भी गई थीं, हम भी गये थे और सुबोध उनियाल जी, आप भी गये थे। तो मान्यवर, पूरे देश के लोग और युवा दौड़ रहे थे कि अन्ना–अन्ना, जिन्दाबाद और अन्ना कह रहे थे खंडूड़ी–खंडूड़ी। अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री हो तो वह खंडूड़ी जैसा हो। लेकिन सरकार ने आते ही उनके इस बिल को ठण्डे बस्ते में डाल दिया, आखिर सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या मैसेज देना चाहती है। आप तो खुलेआम भ्रष्टाचार को आमंत्रित कर रहे हैं, इसी प्रकार से एक स्थानान्तरण नीति पिछली सरकार ने बनाई थी, सिर्फ 5 प्रतिशत लोग ऐसे थे जो इसका विरोध कर रहे थे और 95 प्रतिशत लोग आज भी ऐसे हैं जो आज भी इसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन सरकार इसका संशोधन विधेयक ला रही है और वह आज ही पेश भी हुआ है, सोमवार को जब सदन चलेगा तो सभी लोग इस पर भी बोलेंगे। तो हमने भी आज अपनी स्ट्रेटजी में चेंज कर दिया है, यदि हम आज नहीं बोलते तो सरकार इतना कैसे सुन पाती, इसलिये हमने आज से बोलना शुरू कर दिया है। तो कम से कम कार्यवाही में आश्वासन ही बन जाये (व्यवधान) अब वेल में कम आयेंगे, जब आपसे ज्यादा नाराजगी होगी, तभी आयेंगे।

मान्यवर, हमारी सरकार ने एक स्थानान्तरण पालिसी बनाई और उसके लिये एक एक्ट भी बनाया, उस समय भी कई माननीय सदस्य इस सदन में रहे होंगे, मैं समझता हूँ कि वह एक्ट सर्वसम्मति से पास हुआ होगा। लेकिन हमारी समझ में यह नहीं आ रहा है कि उस एक्ट को समाप्त करने के लिये संशोधन लाने के लिये सरकार इतनी तत्पर क्यों है। जो प्रोविजन उसमें गलत थे, उनको ठीक करा देते, आप तो बिल्कुल ही समाप्त कर रहे है, उसमें संशोधन लाकर उसकी मूल भावना को समाप्त करके भ्रष्टाचार को सरकार खुलेआम आमंत्रित कर रही है। सरकार का ध्यान इन विषयों पर ज्यादा था, इसीलिये वह बजट पर रूचि नहीं ले पाई। इसीलिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी का बजट है।

एक योजना थी अटल खाद्यान्न योजना, जो पिछली जनता पार्टी की सरकार ने शुरू की थी, जिसमें यह व्यवस्था थी कि बी0पी0एल0 को दो रूपये किलो गेहूं और तीन रूपये किलो चावल देंगे और ए0पी0एल0 को चार रूपये किलो गेहूं और 6 रूपये किलो चावल देंगे। लेकिन उसके लिये बजट में प्रोविजन नहीं है, ऊपर से हमें कोटा नहीं मिला था, जितना कोटा मिला था, उतना हमने उठाया और उसके बाद 299 करोड़ रूपये का बजट में प्रोविजन किया और उसके बाद ए0पी0एल0 को 10 रूपये किलो गेहूं और 10 रूपये किलो चावल देना प्रारम्भ किया। एक महीने पहले हम दे रहे थे और एक महीने बाद ऐसा क्या हो गया, कौन सी ऐसी आर्थिक कमजोरियाँ आ गईं कि सरकार ने सारा कोटा काट दिया। जब हमारी सरकार प्रबन्ध कर रही थी, तो इस सरकार को भी उसी तरह से प्रबन्ध करना चाहिये था।

मान्यवर, सरकार उसमें भी फेल रही है। यह तो इधर को ध्यान दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने अच्छे काम किये थे, उनको समाप्त करना, इस नीति पर सरकार चली। यह अच्छी बात नहीं है बदले की भावना से, प्रजातंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। मान्यवर, लोक सेवकों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन, सरकार ने इस दिशा में भी, मैं समझता हूँ कि अभी उत्तर भाषण जब माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे या उनकी तरफ से माननीय वित्त मंत्री देंगी, बताएंगी कि इसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है कि ये भी अभी चल रहा है या इसको भी समाप्त कर दिया गया है। मंत्रियों और अधिकारियों की सम्पत्ति का विवरण सार्वजनिक करना, यह हमने इसलिए किया था कि भ्रष्टाचार पर डायरेक्ट अंकुश लगे। उत्तराखण्ड में बार–बार भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हो रहा था तो हमारी तरफ से कोशिश हुई, माननीय खण्डूड़ी जी की तरफ से कोशिश हुई कि भ्रष्टाचार वास्तव में सामाजिक कलंक है, सामाजिक दीमक है, जहां भी लगेगी उसको चौपट कर देगी। इसलिए भ्रष्टाचार का समूल खात्मा किया जाना चाहिए। मान्यवर, यह अवधारणा इसके पीछे थी मान्यवर, तब माननीय खण्डूड़ी जी ने ये एक्ट पास कराये थे।

सेवा का अधिकार, पहले किसी आदमी को एक लाईसेंस लेना होता था मान्यवर, लाईसेंस लेने के लिए वह पड़ा रहता था। कहाँ, आर0टी0ओ0 आफिस में या उसको कोई अपना भूमि सम्बन्धी काम करना है, पटवारी जी, कानूनगो साहब, नायब तहसीलदार साहब, एस0डी0एम0 साहब के यहाँ भटकना पड़ता था। ग्रामीण क्षेत्रों में तो 30–30 किलोमीटर पैदल चलकर लोग आते थे और वहाँ आकर पता चलता था, पटवारी जी कहते थे कि इसी के लिए समय रह गया है, बाद में आना और हमको और लाईसेंस लेने होते थे, पर्वतीय क्षेत्र का निवास प्रमाण–पत्र या फिर यहां का मूल निवास प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, इस सब में बहुत समय 3–3, 4–4 महीना, मैं 3–4 लोगों को ऐसे जानता हूँ जिनके बेटे आई0टी0बी0पी0, एस0एस0बी0 और मिलेट्री में छंट गये थे, सिर्फ उनको मूल निवास

प्रमाण–पत्र नहीं मिल पाया। तीन महीने बाद मिला और जो चयन हुआ था, उनका चयन निरस्त हो गया है, यह स्थितियां मैंने भी देखी है। माननीय खण्डूड़ी जी ने कहा कि एक समय लगा दें, सरकार ने जो पूर्ववर्ती थी, उन्होंने कहा कि एक निश्चित समय निर्धारित कर दें। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं था मान्यवर, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बसपा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई हो उसके लिए एक समय था, आम आदमी के लिए, आम गरीब के लिए फिक्स कर दिया था कि 10 दिन में फलाना सर्टिफिकेट, 15 दिन में फलाना सर्टिफिकेट, एक महीने में फलाना सर्टिफिकेट और पटवारी, कानूनगो, पेशकार, आर0टी0ओ0 आफिस से बकायदा घंटी बजती थी अरे साहब आपका सार्टीफिकेट बन गया, सार्टीफिकेट ले जाओ (व्यवधान) आपकी क्यों बजेगी, आपकी घंटी तो अच्छी तरह बजेगी। (हंसी) घंटी बजती तो थी लेकिन आज बिल्कुल ठंडे बस्ते में जाने लग गया है, निरंकुश होने लग गये हैं, फिर पुराना जैसा होने लग गया है। मान्यवर, अगर कोई सरकार हो, किसी भी सरकार ने कोई चीज ली हो अच्छी, उसकी तारीफ की जानी चाहिए।

माननीय वित्त मंत्री जी, मैं अभी और देखूँगा कि कोई ऐसी बात तारीफ लायक आपकी होगी तो ताली बजा–बजा कर कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है ये प्वाइंट आपका बहुत अच्छा है। किसी को कोई प्वाइंट अच्छा लगा बजट में तो आप बताईये, मेरा ध्यान आकर्षित करिये, हम सदन से बधाई दिलवा देते हैं। तो ये हालत रही है। माननीय शुक्ला जी ने मुझे पर्चा जो दिया है, उसमें कहा है कि पटवारियों की हड़ताल को तीन महीने हो गये हैं, प्रमाण–पत्र नहीं बन रहे हैं तो लोग बेहाल हैं। इधर ध्यान कैसे आएगा, क्योंकि सबका ध्यान तो सितारगंज को है तो इसलिए ध्यान तो आना नहीं है। तो एक से एक अच्छे काम किये। ई–टेंडरिंग, ई–टेंडरिंग हमारी सरकार की देन है ताकि कहीं जायं, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उसमें लिखा हुआ है कि कम से कम 10 या 12 ऐसी योजनाएं हैं जो पुरानी हमने चालू कर दी थीं, जो आज इसमें आई हुई हैं। एक दैनिक पत्र ने भी उनको छापा है कि ई–टैंडरिंग में भी भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा। विश्व में कोई कहीं बैठा हो, वो वहीं से भर दे, भारत के किसी कोने में कोई बैठा हो, वहीं से टेंडर भर ले। जे0ई0, ए0ई0, एक्स0ई0एन0 सबके रोल खत्म, वहीं से टेंडर भरें, वहीं से पैसा जमा करायें और वहीं से कब उसका टेंडर खुल रहा है, इसकी जानकारी घर बैठे ले लें, बिचौलिये सारे खत्म कर दिये।

ये भ्रष्टाचार को खत्म करने के ऐसे कदम थे मान्यवर, जिससे उत्तराखण्ड से समूल भ्रष्टाचार समाप्त हो जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो नई सरकार आई है वह इस ओर कतई ध्यान नहीं दे रही है, उसका ध्यान दूसरी तरफ है, यह अच्छी बात नहीं है। छात्रों को निःशुल्क परिवहन विभाग की बसों में यात्रा करना यह हमने पहले ही घोषित कर दिया है, चालू भी होने वाला है या हो गया होगा। रक्षा बंधन पर महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा देना। विशिष्ट बी0टी0सी0 भी हमने प्रारम्भ करी, अब आप कहेंगे हमने प्रारम्भ करी, तो मान्यवर, क्यों हटा दिया उनको, क्या रीजन था उनका, अध्यापक

हमारे पास नहीं हैं, स्कूल बन्द हो रहे हैं, पढ़ाने के लिए कोई नहीं है। उनको हटा दिया गया, सीधे–सीधे उनका काट दिया गया। ये तो अति हो गई है, पराकाष्ठा हो गई है। जो भी अच्छे काम हो रहे हों उसे समाप्त कर दो, यह अच्छी परम्परा नहीं है। कई माननीय सदस्यों के चाहे वह पक्ष के हों या विपक्ष के हों उनके यहाँ भी स्कूल बन्द होने के कगार पर होंगे और हो रहे होंगे। अध्यापक कम होंगे। जो विशिष्ट बी0टी0सी0 था वह इसी लिए बनाया गया था कि इससे स्कूलों की स्थिति ठीक–ठीक होगी। तो चल रहा था इससे आपको भी राहत मिल रही थी तो इसको क्यों काट दिया गया।

आज प्रदेश में लगभग 1100 डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि यह प्राब्लम कैसे साल्व होगी। तो हमारी सरकार ने 550 रूपये महीने में डाक्टर को पढ़ाने की योजना बनाई। डाक्टर नहीं हैं, नहीं हैं, तो सब चिल्लाते हैं। दीर्घकालिक योजनायें बनानी पड़ती हैं सारी समस्याओं के समाधान के लिए। अब जब डाक्टर निकलेंगे श्रीनगर और हल्द्वानी मेडिकल कालेज से तो पता चलेगा कि पाँच साल तक वह कहीं बाहर नहीं जा सकते, चाहे आपकी सरकार रहे, हमारी सरकार रहे, तब तक वह बाहर नहीं जा सकते जब तक कि उनका एग्रीमेंट पूरा नहीं होगा और पूरे पहाड़ में डाक्टरों की कमी हमेशा के लिए समाप्त हो जायेगी, इसे दीर्घकालिक योजना कहते हैं, इसे विजनरी गवर्नमेंट कहते हैं। जब किसी का कोई विजन होगा तो कभी तो वहाँ पर काम होंगे। विजन तो ऐसा है चलों, आज उसे सितारगंज में पकड़ लिया गया, फिर आगे चलते, विजन तो इधर को लगा है तो और क्या काम होंगे।

हमारी सरकार का एक विजन है, मैं उदाहरण देकर के बताता हूँ कि जब बजट में आपने प्राविजन किया होगा मेडिकल का तो आप उसे समाप्त नहीं करेंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से बहुत निवेदन करता हूँ, पहाड़ का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वह या तो कोटद्वार या देहरादून या ऋषिकेश या हरिद्वार या रामनगर या हल्द्वानी या काशीपुर इन क्षेत्रों पर जाता है जहाँ पर फैसिलीटीज हैं। यहाँ के डाक्टर जब लिख देते हैं कि आपको बाहर जाना है यह बीमारी ला इलाज है और हमारे बस में नहीं है। तो मान्यवर, वह दिल्ली जाते हैं, दिल्ली ऐसी जगह है कि अच्छा आदमी भी वहाँ पागल सा हो जाता है, वहाँ की भीड़ को देखकर के। इसका एक सही किस्सा आपको बताता हूँ। मेरे एक चाचा के लड़के थे वह सन् 1974 में फर्स्ट क्लास आये थे। हाईस्कूल में, अभी वह इंजीनियर हैं, जब वह बाहर निकले तो बड़े भाई साहब उनको दिल्ली में ले गये तो उन्होंने जाते ही पूछा, क्या दिल्ली में कोई लड़ाई हो गई, तो भाई साहब ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्या कुछ हुआ तो चाचा के लड़के ने कहा कि सब एक ही तरफ क्यों भाग रहे हैं, यानि कि वन–वे ट्रेफिक उस समय। यानि कि वह व्यक्ति आल इण्डिया रेडियों से अभी रिटायर्ड हुए हैं। उसके चीफ बन के वह आज हँसते हैं और कहते हैं कि कैसे दिन थे हमारे, पहली बार मैंने पंखा देखा फिर तो मैं इलैक्ट्रिक इंजीनियर बना और मैंने पूछा भाई साहब से, ये पंखा कैसे चलता है।

यह मैं इस लिए कह रहा हूँ कि हमारा ध्यान ऐसा नहीं कि हम सब इधर चले गये, मैं तभी सितारगंज बार–बार कह रहा हूँ, हम सब का ध्यान उधर को गया। अब तो लोग आज सरकार में सम्मिलित हुए हैं उनको भी आज खतरा है। क्योंकि पहले से प्रबन्ध कर रही है सरकार कि तुम्हारी जरूरत नहीं है तुम जाओ और वैसे भी खतरा है खुसुर–फुसुर मत करना, बीच का तागा खिसका दूँगा। यह किस्सा सुना नहीं होगा, मान्यवर, यह जबरदस्त किस्सा है। मान्यवर, जब हमारे यहां नेपाल से लोग काम करने आते हैं तो वह लोग एक ही चादर में लिपटकर सोते हैं चाहे वह सात, आठ, नौ लोग हों। मान्यवर, जब वह एक करवट यानी दांये ओर सोते हैं। क्योंकि उनके पास एक ही चादर ढकने के लिए होती हैं, जब उन्हें दूसरे यानी बांये करवट की ओर सोना है तो वह कहते हैं फरकनियों और बांये करवट की ओर सो जाते हैं। (हंसी) (घोर व्यवधान) फिर दांये तरफ सोना है तो फिर फरकनियों कहा तो दूसरी करवट में आ गये। मान्यवर, जब वह ज्यादा लोग हो गये तो उन्होंने दो चादरें जोड़ ली, जो बीच वाला व्यक्ति सोया था उसको ज्यादा परेशानी होने लगी। ठंडे के दिनों में जब हवा बार–बार चादर के अन्दर आ रही थी तो वह सोचने लगा कि अब कुछ करना पड़ेगा मान्यवर, उसने कहा आप लोग ठीक से रहो, खुसुर–फुसुर मत करना नहीं तो बीच का धागा खिसका दूंगा यानी कि सब नंगे हो जाओगे। (हंसी)

मान्यवर, जो इस सरकार में सहयोगी दल हैं, आप लोग खुसुर–फुसुर मत करना नहीं तो तुम्हारे बीच का धागा खिसका दूंगा, ऐसा ही न हो जाय। इसलिए जो लोग जोर लगा रहे हैं या जिद कर रहे हैं या अपनी बात कर रहे हैं तो वह लोग आगाह रहें। मान्यवर, क्योंकि नेचर हमेशा पनिश करती है, यह ऊपर वाले का सिद्धान्त भी है। अगर कोई किसी को दस रूपये के बराबर परेशान करेगा तो ऊपर वाला उसे बीस रूपये के बराबर परेशान करेगा। (हंसी) (घोर व्यवधान) मान्यवर, यहां पर हमारी आध्यात्मिक मां बैठी हुई हैं। (व्यवधान) लोग आपके नाम की माला जपते हैं इस समय आपका बोलना ठीक नहीं है, आप केवल आशीर्वाद दें। (कई माननीय सदस्यगण बैठे–बैठे अपनी–अपनी बात कहने लगे) (घोर व्यवधान) और माननीया इन्दिरा जी हमारी बड़ी बहिन या दीदी हैं, हमारे खाद्य मंत्री जी बहुत सीनियर हैं उत्तर प्रदेश में भी सदस्य रह चुके हैं, यशपाल जी हैं और इस पक्ष में हमारे बिशन सिंह चुफाल जी हैं, हरबन्स कपूर जी हैं।

मान्यवर, जब सुबह–सुबह टी0वी0 में आपको और महाराज जी को देखते हैं तो कहते हैं देखो, माता जी आ गयी हैं उन्हें प्रणाम करों। (हंसी) (घोर व्यवधान) यह मजाक की बात नहीं है। मान्यवर, मेरे एक चाचा के बेटे इनके अनन्य भक्त हैं वह नौकरी छोड़कर रामनगर में पड़े हैं जब मैंने उनसे बात की तो वह कहने लगा मैं रामनगर में पड़ा हूँ। मैंने कहा, मेरे क्षेत्र में भी आ जाओ वह नहीं कहने लगा, गुरू जी की इच्छा

है। मैंने कहा हमको भी आशीर्वाद दिला दो तो कहने लगा मैं यहीं से आशीर्वाद दिला देता हूँ। (हंसी) (घोर व्यवधान) मान्यवर, आप कम से कम टोका–टाकी न करें। क्योंकि इससे भक्तों पर गलत असर जायेगा। (हंसी) (घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं समझता हूँ कि यह बजट झूठ का पुलिंदा है ऐसा कहूँ तो असंसदीय भाषा का शब्द हो जायेगा। मान्यवर, यह बहुत ही सत्य से परे है, शब्दजाल है और आंकड़ों की बाजीगरी है। मान्यवर, उत्तराखण्ड की जनता से धोखा है, इसलिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। मैं एक शायरी के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, आप लोग हमारी सरकार की अच्छी योजनाओं को काट रहे हो और ठण्डे बस्ते में डाल रहे हो। मान्यवर, एक दिन यह ट्रेजरी बेंच को पछताना पड़ेगा और उत्तराखण्ड की जनता को जवाब देना होगा कि जो खण्डूडी जी ने किया था वह कहाँ है ?

नूर की एक किरण जुर्मात पर भारी होगी,

रात तुम्हारी ही सही, सुबह हमारी ही होगी। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा आगे के लिए स्थगित हुई।

प्रदेश के अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों में स्थानीय लोगों के पलायन को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के लिए अलग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजनाएं बनाने के सम्बन्ध में श्री बिशन सिंह चुफाल, स0वि0स0 का असरकारी संकल्प

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों में स्थानीय लोगों के पलायन को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के लिए अलग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजनाएं बनाई जायें।"

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड प्रदेश दो–दो अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ प्रदेश है, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जितने भी जुड़े हुये गाँव हैं उन गाँवों से सारे लोगों का पलायन हो चुका है, हिमालय की तलहटी पर लगे हुये जितने भी गाँव हैं वो सारे गाँव आज खाली जो चुके हैं खाली वहाँ पर मकान रह गये हैं, यदि सीमा पर कोई आकर उन मकानों में रहने लगा तो कोई उससे पूछने वाला नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वन अधिनियम–1980। अधिनियम–1980 जब लागू हुआ विशेषकर चीन की सीमाओं पर कुल क्षेत्र में एक किलोमीटर भी सड़क नहीं बन पाई है, जैसे असकोट रेंज में पूरा धारचूला विकास खण्ड का पूरा तहसील आता है, उसमें कुछ हिस्सा डीडीहाट का भी है, उसी प्रकार से गंगोत्री राजपार्क है वह भी बिल्कुल चीन की सीमा से लगा हुआ है और नन्दाजात राष्ट्रीय राजपार्क है, गोविन्द पशु विहार है।

जो यह क्षेत्र हैं यह सेन्चुरी क्षेत्र घोषित किये गये हैं, सेन्चुरी क्षेत्र इसलिए घोषित किये गये हैं, जब वन अधिनियम 1980 लगा कि इस क्षेत्र में कस्तूरी पाई जाती है, जबकि एक हजार फिट की ऊँचाई पर भी कस्तूरी पाई जाती है, 8–9 हजार की फिट की ऊँचाई पर पाई जाती है, इस कारण इस क्षेत्र का विकास रूका हुआ है, क्योंकि एक गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए वन अधिनियम आड़े आ रहा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग से कमेटी बनाई, वह कमेटी है सी0ई0सी0 सेन्ट्रल इम्पायर कमेटी इम्पायर कमेटी और उस कमेटी के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य बनने के बाद जो पूर्ववर्ती सरकारें थीं उनके द्वारा सरलीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन अभी तक उस प्रस्ताव में कुछ भी नहीं है जैसे अस्कोट रेंज है उसमें 111 गाँव के लिए सरकार की ओर से प्रस्ताव गया कि इसको कस्तूरी मृगविहार से अलग किया जाए, उसी प्रकार से गंगोत्री राजपार्क, नन्दा राज पार्क और गोविन्द पशु विहार को।

तो इस क्षेत्र में सड़क न बनने का सबसे बड़ा कारण है लोगों का पलायन होना और उस क्षेत्र की शिक्षा है, क्योंकि वहाँ पर विद्यालय हैं पर अध्यापक नहीं हैं, तो वहाँ के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नगरीय क्षेत्र में, जिला मुख्यालय में, विकास खण्ड मुख्यालय में आते हैं। एक और समस्या है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, डाक्टर तो विकास खण्ड मुख्यालय, जिला मुख्यालय में भी नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर जो उपकेन्द्र हैं उसमें फार्मेसिस्ट न होने के कारण भी स्वास्थ्य की बड़ी समस्या है और जो मुख्य कारण है वह है रोजगार, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों का रहन–सहन, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप वहाँ के विकास की योजना नहीं है, जब तक वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुये वहाँ के लोगों की रोजगार की योजना नहीं बनाई जायेगी तब तक वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। ये सब मुख्य कारण हैं पलायन के, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार जिस प्रकार से तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जिस तेजी से वहाँ पर सीमा तक ट्रेनें पहुँच चुकी हैं, उससे आने वाले समय को देखते हुये हमें अपनी सीमा पर पलायन को रोकने के लिए वहाँ पर एक गाँव से दूसरे गाँव को सड़क से जोड़ने का काम करना पड़ेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय अध्यक्ष जी, विशेषकर वहाँ की जो भाषा है, वहाँ के लोगों का रहन–सहन है, वहाँ की संस्कृति है वह पड़ोस के देशों से मिलती है, इसलिए विशेषकर नेपाल से आपस में रिश्तेदारी है, वहाँ की रोटी और लड़की का रिश्ता है, इस प्रकार से वहाँ के माओवादियों की गतिविधियों को देखते हुये सीमाओं पर जो नौजवान हैं उन नौजवानों के लिए उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेई की सरकार थी उन्होंने पहली बार सीमाओं पर लगे जितने भी विकास खण्ड है। उसके एक अलग बार्डर डेवलेपमेण्ट की योजना बनाई, उस बार्डर डेवलेपमेण्ट से उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। मान्यवर, लेकिन उससे पूरा नहीं हुआ। उस पलायन को रोकने के लिए, विशेषकर उत्तराखण्ड की पहले की सरकारों ने, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने सरलीकरण के लिए सुप्रीम कोर्ट को जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा था।

मान्यवर, मेरा आज इस सदन से फिर निवेदन है कि एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट की जो सी0ए0सी0 की कमेटी है, उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाय। इसके सरलीकरण के लिए एक प्रस्ताव भेजा जाय, ताकि वहाँ पर जो विकास लम्बे समय से रूका हुआ है, वह हो पाये। मान्यवर, राष्ट्रीय सीमा का एक–एक बच्चा राष्ट्रीय विचारधारा से जुड़ा हुआ है। इस विचारधारा को देखते हुए, हमें उन्हें विकास की धारा में जोड़ना होगा। इसके लिए सरकार द्वारा एक अलग से सीमान्त विकास नीति की योजना बनायी जाय और इसके लिए बजट की व्यवस्था की जाय। ताकि सीमान्त क्षेत्र में रोजगार बढ़े, वहां का पलायन रूके, वे शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र मे आगे बढ़े और एक–एक गांव तक सड़क पहुंच जाय। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे इसके ग्राह्यता पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य में सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम बी0ए0डी0पी0 वित्तीय वर्ष 2001 से लागू है। योजनान्तर्गत नेपाल एवं चीन की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं की लम्बाई 424.50 किलोमीटर है। क्रमशः नेपाल 80.50 किलोमीटर तथा चीन 344 किलोमीटर है। मान्यवर, राज्य से लगे हुए पाँच सीमान्त जनपद चमोली, चम्पावत, उत्तरकाशी, ऊधमसिंह नगर तथा पिथौरागढ़। इनके 9 विकास खण्ड, जोशीमठ, लोहाघाट, चम्पावत, भटवाड़ी, खटीमा, मुनस्यारी, धारचूला, कनीलीछीना, मूनाकोट में आवासीय जनमानस के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं सुरक्षा की दृष्टिकोण से इन अवस्थापना सृजन के दृष्टिकोण से विभिन्न अवस्थापना सृजन के कार्यक्रम संचालित हैं। मान्यवर, बी0ए0डी0पी0 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य को वित्तीय वर्ष 2012–2013 में 35.65 करोड़ की धनराशि, सीमांत क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित है। मान्यवर, इसी क्रम में यह बताना भी आवश्यक है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–2013 की कार्य योजना तैयार करते समय बी0ए0डी0पी0 के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों तथा स्वयं सहायता समूह के स्वरोजगारियों के लिए आर्थिक स्वावलम्बन एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु क्षमता विकास, कौशल अभिवृद्धि, तकनीकी प्रशिक्षण की कार्य योजना पर कुल आवंटित धनराशि पांच प्रतिशत अनिवार्य रूप से आरक्षित करते हुए तैयार की जाय, ताकि सीमांत क्षेत्र में आवासित आम जन मानस को कौशल सम्बन्धी प्रशिक्षण देकर स्वरोगार का अवसर प्रदान कर कल्याणकारी योजनाओं का अधिकारिक लाभ दिया जाय।

मान्यवर, इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी प्रदेश के सीमांत एवं दूरस्थ क्षेत्रों को खुशहाल बनाने की धारणा को मूर्त रूप देने के लिए प्रदेश के 74 सीमांत एवं पिछड़े विकास खण्डों में समस्त नागरिकों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा आजीविका

संवर्धन तथा अवस्थापना सृजन हेतु राज्य के अपने स्वयं संसाधनों से 50 करोड़ रू0 की पूंजीगत धनराशि की व्यवस्था कर एक नयी योजना, जो अभी चुफाल साहब ने कही। उत्तराखण्ड सीमांत एवं पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि 100 करोड़ रू0 की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50 करोड़ रू0, हमने इसी बजट में रख दिया है। मान्यवर, अभिनव योजना के रूप में प्रारम्भ किये जाने की पहल की है। मान्यवर, योजना के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व नोडल विभाग, ग्राम्य विकास का होगा। भारत सरकार से भी इसमें आवंटन है और राज्य सरकार से भी भागीदारी है, इसमें आपको आगे प्रगति दिखायी देगी।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने विशेष निधि की बात कही है। वह तो जो 74 पिछड़े विकास खण्ड हैं, उनके लिए है। मेरा यह संकल्प अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे हुए जितने भी विकास खण्ड हैं, उनसे सम्बन्धित हैं। इसके लिए क्या अलग से कोई कार्य योजना बनायी गयी है ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भारत सरकार की ओर से तो धन प्राप्त ही है, लेकिन हमने 100 करोड़ पिछड़े क्षेत्रों एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए क्षेत्रों को जोड़कर जिसमें 74 सीमांत एवं पिछड़े विकास खण्ड हैं। ये पिछड़े भी हैं और सीमांत भी हैं।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, अलग से केन्द्र से जो पैसा मिलना है वह कितने विकास खण्डों के लिए मिलना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, केन्द्र से तो चार को ही मिलना है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं चार जिलों की ही बात कर हूँ, क्या इसके लिए राज्य सरकार अलग से कोई योजना बनाएगी ?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, अलग से बनाने की बात ही नहीं है। पिछला धन अभी खर्च भी नहीं हुआ है। उसको अब खर्च करेंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, यह तो भारत सरकार की योजना है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, भारत सरकार से जो धन प्राप्त हुआ है, वह खर्च नहीं हुआ है। अभी तक वैसे का वैसा है। उसको अब हम खर्च करेंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, वह पैसा भारत सरकार का है। मैं राज्य सरकार की योजना की बात कर रहा हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, राज्य सरकार ने तो इस समय 100 करोड़ रूपये की घोषणा की है और 50 करोड़ का प्राविधान हमने बजट में कर दिया है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, 100 करोड़ रूपये की घोषणा तो आपने 74 विकास खण्डों के लिए की है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, 74 विकास खण्डों को सम्मिलित करेंगे। अभी तो शुरूआत हुई है। अभी सीमान्त क्षेत्र के लिए करेंगे, पिछड़े क्षेत्र के लिए करेंगे।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है, उससे वहाँ पर गाँव के गाँव खाली हो गये हैं।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पलायन रोकने के लिए बहुत ढंग से काम करना होगा, केवल पैसा आवंटित करने से नहीं होगा। पलायन रोकने के लिए रोजगार देना होगा, उनको सुविधा देनी होगी, अवस्थापना विकास में उनको सुविधा प्रदान करनी होगी। तभी पलायन रूक पाएगा। पलायन एक बड़ा प्रश्न है। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आ जाते हैं, मेडिकल सुविधा के लिए आ जाते हैं तो इन सबके लिए काफी ढंग से कार्य करना होगा। गाँव के गाँव खाली हो गये हैं। मुझे पता है। माईग्रेशन रोकने के लिए दो ही तो तरीके हैं। अवस्थापना विकास कीजिए और रोजगार दीजिए। अब रोजगार क्या होगा ? फल पट्टी, फूल पट्टी तथा कृषि पट्टी विकसित कीजिए। इन पर आज कोई काम हुआ नहीं है।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पर उपलब्ध सुविधाओं के अनुरूप उद्योग लगाया जाना मेरा विषय था।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, आपका विषय उन सीमान्त गाँवों का है, जहाँ से पलायन हो रहा है। अभी यह रूपया आया है, इस पर विचार कर लेंगे। आपके भी सुझाव ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चुफाल जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए क्या आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं अपने संकल्प पर बल देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर दो शब्द मैं भी बोलना चाहता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, अभी और भी विषय हैं बोलने के लिए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन संस्तुति करता है कि प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे जनपदों में स्थानीय लोगों के पलायन को रोकने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध किये जाने के लिए अलग से सीमान्त क्षेत्र विकास योजनाएं बनाई जायें"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

राज्य में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, स0वि0स0 का असरकारी संकल्प

श्री मदन कौशिक–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में स्थापित की जाय।" (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे अनेक सदस्य आज इस विषय को लेकर बड़े उत्साहित हैं, उसमें सत्ता पक्ष के सदस्य भी हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से इस राज्य का निर्माण होने के पीछे जो अवधारणा थी, मन में जो एक संकल्प था, वह यही था कि लखनऊ में बैठकर जब राज्य की बड़ी योजनाएं बनाई जाती थीं, तो उनको धरातल पर इतनी दूर लाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कहीं न कहीं मन में यह भाव था कि इस राज्य को उस रूप में विकसित किया जाय कि यहाँ से हम पलायन भी रोकने में सफल हों और

इस राज्य में विकास की वह सारी अवधारणा भी धरातल पर आएगी। अब राज्य बने 12 वर्ष का समय हो गया है लेकिन आज भी जब हम राज्य के विकास की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यदि कुछ विकास नजर भी आता है तो देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर, इन तीन जिलों में थोड़ा नजर आता है। लेकिन आज भी जब हम पहाड़ के उन क्षेत्रों को देखते हैं, जैसा अभी आदरणीय चुफाल साहब ने भी उस विषय को अपने संकल्प में लिया था कि आज भी दूर–दराज के क्षेत्र के जो गाँव हैं आज भी जितने हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, आज भी पलायन की समस्या वहाँ पर जस की तस है। उस पलायन की समस्या से हम किस प्रकार से निजात पा सकते हैं, जिस प्रकार से यह समस्या ठीक ठीक हो सकती है, हमें इसे देखना होगा।

मान्यवर, जब राज्य बना तो अस्थाई रूप से राजधानी देहरादून में बनी, इन बारह वर्षों में आयोग भी बना और आयोग की रिपोर्ट भी आई और संभवतः आयोग की रिपोर्ट पर कोई निर्णय भी नहीं हुआ हैं। राज्य की राजधानी के लिये एक काफी बड़ा एमाउंट भी सरकार के पास है, लेकिन आज हम देहरादून में परमानेंट राजधानी बनाते हैं और फिर जिस विकास की बात करते हैं, जिस पलायन की बात करते हैं, संभवतः वह विकास देहरादून के चारों तरफ नजर आयेगा, लेकिन हम वास्तव में वहां पर विकास चाहते हैं, जो उत्तराखण्ड का दूर–दराज का क्षेत्र है, सीमावर्ती क्षेत्र है। अभी श्री अजय भट्ट जी ने भी वहां के लोगों की बात की थी और पूर्व में माननीय श्री गगन सिंह रजवार जी भी ऐसे ही क्षेत्र से थे, जब वे जीतकर पहली बार यहाँ आये तो उन्होंने तभी ट्रेन देखी, तो उन्होंने आकर देखा कि विकास क्या होता है और उनके मन में यह भावना थी कि ऐसा विकास हमारे क्षेत्र में भी हो।

पहले जब गैरसैंण की बात आती थी तो माना जाता था कि उत्तराखण्ड क्रान्ति दल बात करता है। मुझे यह कहने में संकोच नहीं होता है कि माननीय श्री प्रीतम सिंह पंवार जी यहां पर बैठे हैं, हमारे साथ प्रथम विधान सभा में वह सदस्य रह चुके हैं, अभी उनके पास सरकार से सौदा करने का, बातचीत करने का एक मौका था, उनको सत्ता में सम्मिलित करना तो सरकार की मजबूरी थी, सरकार के पास पूरा बहुमत नहीं था, यह एक खंडित जनादेश आया था। अगर वे बैठकर चर्चा करते तो भी मंत्रि मण्डल में उनको स्थान मिलता, वे कहते कि आज दो पार्टियां हैं, दोनों के पास 31 और 32 का आंकड़ा था, वे इस बात को कहते कि मैं उस पार्टी का समर्थन करूंगा जो गैरसैंण को राजधानी बनवायेगा। (मेजों की थपथपाहट)

मान्यवर, मुझे आज बड़े कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे मित्र श्री प्रीतम सिंह पंवार जी यह शर्त रखते तो चाहे सरकार किसी भी दल की बनती, सरकार इनकी बात को मानने के लिये निश्चित रूप से बाध्य होती। (व्यवधान) यह तो चर्चा हो रही है, इस पर तो सभी लोग बोलेंगे। मान्यवर, आज माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा आई तो

उनका एक कार्यक्रम कर्णप्रयाग में हुआ। हमारे सम्मानित विधायक मैखुरी जी बैठे हैं, ये हमारे साथ वर्ष 2002 में विधायक थे, उन्होंने घोषणा की और मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा मन बनाया, तैयार हुये और आते ही घोषणा की कि गैरसैंण में हम कैबिनेट की बैठक करेंगे, गैरसैंण में हम सत्र भी चलायेंगे और टेण्टों में चलायेंगे। बाद में जब सितारगंज की तरफ रूख हुआ तो सारी बातें भूल गये, अब हरिद्वार की तरफ आ गये हैं। वे अब यह भूल गये कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ जायेगी, (व्यवधान) आयोग की रिपोर्ट तो आ चुकी है और सदन के पटल पर भी रखी जा चुकी है।

मान्यवर, आयोग भी इस सदन के ऊपर नहीं है, इस सदन में इतनी ताकत है, यह सदन इतना पावरफुल है कि यह किसी आयोग को गठित भी कर सकता है और गठित आयोग को समाप्त करते हुये घोषणा भी कर सकता है, लेकिन निर्णय तो लेना ही होगा, यह संकल्प भले ही आज असरकारी है, यदि सरकार इसके प्रति ईमानदार है और कोई ढकोसला नहीं कर रही है, यदि सरकार सीमावर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, यदि सरकार इस भावनात्मक मुद्दे पर संवेदनशील है तो निर्णय लेना होगा। यदि सरकार खाली भावात्मक रूप से इसे उठाना चाहती है और कहती है कि हम सत्र टेंटों में करेंगे, तो अलग बात है, लेकिन सरकार इस पर ईमानदारी से कुछ करना चाहती है तो सरकार को इस पर विचार करते हुये यह स्वीकार कर लेना चाहिये कि गैरसैंण को फिलहाल परमानेंट नहीं तो तत्काल ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनायें।

(व्यवधान)

यदि परामानेंट बना दें तो बहुत अच्छा है, मैं सरकार को बधाई भी दूंगा इस बात के लिये, यदि परमानेंट बनाने में दिक्कत हो तो ग्रीष्मकालीन बना दीजिये, इससे वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जायेगा। (व्यवधान) मान्यवर, पीछे और आगे वाले नहीं हैं इनमें, सवाल उत्तराखण्ड का है, उत्तराखण्ड के विकास है, उत्तराखण्ड के पलायन का है, उत्तराखण्ड के नौजवानों का है, उत्तराखण्ड में सड़कों का है, (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, 88 करोड़ रूपया ढाई साल से आपके पास पड़ा रहा, आपने उसका कुछ नहीं किया।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, अब हमने कुछ नहीं किया इसीलिए तो इधर बैठ गये। अब आप इधर बैठे हैं, आप करिये, आप करिये न उसको। (विपक्ष में माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) हम नहीं कर पाये न इस चीज को ढाई साल से इसीलिए हम आपके सामने

संकल्प ला रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आज यदि वो सारा विषय हमारे सामने आता है तो सारे विषय को देखकर मन यह करता है, चाहे वो मसूरी कांड हो, खटीमा हो, ऋषिकेश हो या गुरूकुल नारसन का कांड हो या रामपुर का कांड हो, वो ऐसा विषय था कि उस समय मन में एक भावना थी कि हम राज्य लेकर रहेंगे। राज्य हमें मिला, राज्य मिलने के बाद ये सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने खड़ी हैं, इन परिस्थितियों से हर व्यक्ति इस चीज को जानता है, लेकिन आज हो क्या रहा है। आज जनप्रतिनिधि कोई भी बनता है, जनप्रतिनिधि बनने से पहले वह दूर–दराज क्षेत्र का रहने वाला होता है। जनप्रतिनिधि बनने के बाद वह देहरादून का होकर रह जाता है।

यह किसी एक पक्ष का विषय नहीं है, किसी एक राजनीतिक दल का विषय भी नहीं हो सकता है, यह सबके सोचने का विषय हो सकता है। माननीय अध्यक्ष जी, सोचना चाहिए इस विषय पर और निश्चित रूप से आज निजी सेक्टर को, प्राईवेट को, लेकिन सरकार की जो घोषणा लगातार हो रही है, उन घोषणाओं में सरकार को कहीं न कहीं बड़ा मन दिखाते हुए, यह सोचकर नहीं और अगर सरकार को लगता है कि प्राईवेट संकल्प हमें पास नहीं होने देना है, तो इसके लिए भी हम तैयार हैं, आप सरकारी ले आईये। (व्यवधान) हाँ, हटा दिया, मैंने संशोधन मान लिया। आप तैयार रहिए। ग्रीष्मकालीन हटाकर आप परमानेंट बना दीजिए। अगर ये तैयार हैं तो हम इसके लिए भी तैयार हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने संकल्प में संशोधन करने के लिए तैयार हूँ। अगर सरकार इसके लिए तैयार है, आज घोषणा करती है तो, लेकिन ये ऐसा विषय है कि इस विषय पर हमें निश्चित रूप से यदि राजधानी वहां बनेगी तो वहाँ विश्वविद्यालय जाएंगे, वहाँ यूनिवर्सिटी जाएगी, वहाँ महाविद्यालय जाएंगे, वहाँ मेडिकल कालेज जाएंगे, वहाँ इंजीनियरिंग कालेज जाएंगे, वहाँ अनेक आफिस जाएंगे। ये जो पूरा सीमावर्ती क्षेत्र है, कहीं न कहीं इसका पलायन अपने आप रूकेगा। केवल कहने से कि पलायन रोकना है, पलायन के लिए हम नीति बना रहे हैं। नीति बनाने से पलायन रूकने वाला नहीं है।

अगर हम पलायन ईमानदारी से रोकना चाहते हैं तो हमें विकास को थोड़ा उस तरफ बढ़ाना पड़ेगा। विकास जब बढ़ेगा, जब इन्फ्रास्ट्रक्चर वहाँ बढ़ेगा। इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी, इस संकल्प के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस निजी संकल्प पर कुछ और माननीय सदस्य उत्तराखण्ड की पूर्व या ग्रीष्मकालीन जो सरकार चाहे, वो राजधानी गैरसैंण में बननी चाहिए। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी का संकल्प, जो बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है, उस पर चर्चा जारी रखी जाती है, चर्चा जारी रहेगी।

उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों की पवित्रता एवं अविरलता बनाये रखने के सम्बन्ध में श्री नवप्रभात, स0वि0स0 का असरकारी संकल्प

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ "यह सदन उत्तराखण्ड में गंगा तथा उसकी नदियों की पवित्रता एवं अविरलता बनाये रखने का संकल्प लेता है;

यह सदन उत्तराखण्ड में सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पावन नदियों के क्षेत्रीय परिस्थितिकीय संतुलन को बनाये रखते हुए राज्य के संसाधनों के विकास, स्थानीय निवासियों के रोजगार एवं सामाजिक विकास के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करता है;

यह सदन अनुभव करता है कि राज्य में बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण राज्य की ऊर्जा आवश्यकता के साथ–साथ सुदूर क्षेत्रों में (व्यवधान)

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, माननीय मदन कौशिक वाले संकल्प में केवल सरकार का जवाब ही तो आना है। (व्यवधान) चर्चा हो चुकी है सरकार की ओर से जवाब आना चाहिए। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चर्चा भी हो जायेगी, सरकार का जवाब भी आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मदन कौशिक जी के संकल्प में सभी सदन के माननीय सदस्य चर्चा करना चाहेंगे। इसलिए हमने इस पर चर्चा जारी रखी है।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, चर्चा अगर आप करना चाहेंगे तो फिर जवाब के बाद चर्चा नहीं हो पायेगी।

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, हम जवाब चाह रहे हैं माननीय मंत्री जी से।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, जवाब के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तैयार हैं। पीठ ने एक व्यवस्था कर दी, आपने उसे स्वीकार कर लिया और उन्होंने माननीय नवप्रभात जी को बुला लिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय चुफाल जी, इस पर व्यवस्था आ गयी है, चर्चा जारी रहेगी।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, चुफाल जी, इस पर व्यवस्था आ गयी है, चर्चा जारी रहेगी।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, इसमें पीठ ने व्यवस्था कर दी है।

श्री नवप्रभात–

अवस्थापना विकास, रोजगार सृजन, सामाजिक उत्थान, आर्थिक प्रगति एवं स्थानीय निवासियों को बेहतर जीवन–यापन का अवसर प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में जल विद्युत परियोजनओं के निर्माण में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के लिए आवश्यक सभी निर्देशों एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।"

मान्यवर, इस संकल्प को प्रस्तुत करने का जो मेरा उद्देश्य है। वह इस राज्य के नीति निर्धारकों से यह निवेदन करने का है कि वह जल विद्युत जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर दुविधाग्रस्त न रहें, मैंने यह महसूस किया कि दुविधाग्रस्त मानसिकता के कारण जल विद्युत के क्षेत्र में ऐसे फैसले हुए हैं जिससे प्रगति रूकी है। दोषारोपण की राजनीति से यह दुविधा समाप्त नहीं होगी। राज्य को अपना फैसला लेना होगा और अपने हितों के लिए संघर्ष करना होगा। इसलिए मैंने यह असरकारी संकल्प इस माननीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस सदन में चुनकर आये हम सभी लोग, मेरा मानना है कि उनकी पहली प्रतिबद्धता इस राज्य के निवासियों के जीवन यापन की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की है। उनको जीवन यापन के मूलभूत अवसर प्रदान करने की है। आज के जीवन यापन में ऊर्जा विकास की पहली आवश्यकता है। प्रत्येक व्यक्ति और समाज के प्रत्येक वर्ग की भी पहली आवश्यकता है।

व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, सामाजिक या कोई भी क्षेत्र में कोई संस्था ऐसी नहीं है जो ऊर्जा के बिना कार्य कर रही हो या कार्य करना चाहे और इसकी आवश्यकता को महसूस न करती हो। ऐसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नीति निर्धारण बहुत स्पष्ट होना चाहिए और इस राज्य के लिए नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च संस्था इस राज्य की विधान सभा उस नीति पर एक मत होनी चाहिए। यह इस संकल्प के माध्यम से मेरा इस माननीय सदन से अनुरोध है। मैं विद्युत परियोजनाओं से जुड़े आंकड़ों का जिक्र नहीं करना चाहता। सभी विद्वान सदस्य सम्भावनाओं से और हो चुके निवेश से बीच

में बन्द कर दी गई परियोजनाओं के पूर्व विवरण से परिचित हैं। मेरा तो सुझाव है कि हमें इस फैसले पर पहुँचना पड़ेगा, हमें राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण करना है या नहीं करना है। अगर करना है तो उसे करने के लिए हमें किन चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

अगर हम मान लें कि जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण उचित नहीं है किसी भी कारण से, तो फिर हमेशा–हमेशा के लिए बहस समाप्त हो जाती है। अगर हम ऊर्जा की आवश्यकता और उसकी पूर्ति के लिए जल विद्युत के दोहन को उचित मानते हों तो हमें अनावश्यक आपत्तियों को अस्वीकार करने की इच्छा शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है, मैं जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के पक्ष में हूँ। इस संकल्प में मैंने उन विषयों को भी इंगित किया है जिन पर आपत्ति करने वाले लोग परियोजनाओं का विरोध कर रहे हैं।

हमारे सामने प्रश्न है कि क्या हम जल विद्युत उत्पादन के साथ–साथ अपनी नदियों में जल की उपलब्धता को बढ़ा सकते हैं, अपने अल्प ज्ञान से मैं यह महसूस करता हूँ कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमारी तीनों मौसम में नदियों में जल की उपलब्धता अलग–अलग होती है। एक समय हमारा ऐसा होता है वर्षाकाल का, जिसमें अतिरिक्त जल हमारी नदियों में प्रवाहित हो जाता है और जाड़े में एक समय ऐसा आता है जब बर्फ गलनी बन्द हो जाती है, नई बर्फ पड़ जाती है तो नदियों में जल स्तर निम्नतम स्तर पर पहुँच जाता है। वर्षाकाल के जल संचय की आज भी इस राज्य के पास कोई योजना नहीं है। मान्यवर, केवल टिहरी परियोजना में यह प्रयोग किया गया, वह भी इतने बड़े स्तर पर किया गया। अब इतनी बड़ी योजना का निर्माण होना इस राज्य में सम्भव भी नहीं है। जो जल विद्युत परियोजना हैं चाहे वह छोटे आकार की हो या मध्यम की हो। मान्यवर, यदि हम बहुउद्‌देश्य वाले छोटे बांधों का निर्माण करें तो हम तीन–चार समस्याओं को हल कर सकते हैं। पहली चीज हाई एल्टीट्‌यूट पर बने छोटे बांध पेयजल की व्यवस्था कर सकते हैं। यह अपने निचले क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कर सकते हैं और इनके बनने से भूमिगत जल की आपूर्ति तथा उसका रिचार्ज निश्चित रूप में बढ़ेगा।

मान्यवर, जब जाड़े के दिनों में नदियों का जल स्तर बहुत कम हो जायेगा तो इस अतिरिक्त जल को उसके नीचे की जल विद्युत परियोजना के लिए प्रयोग कर सकते हैं और हम नदी के जल स्तर को भी बढ़ा लेंगे और जल विद्युत परियोजना के साथ अपस्ट्रीम वाटर रिजर्व योजनायें जोड़ी जायं तो निवेश में वृद्धि होगी। मान्यवर, आज लगभग 8 से 10 करोड़ रूपये प्रति मेगावाट की लागत है। हो सकता है, यह लागत 12 से 14 करोड प्रति मेगावाट तक चली जाय। परन्तु इस लागत के बढ़ने से लाभ को जोड़ेंगे तो लाभ बहुत ज्यादा होगा। मान्यवर, हमारे तराई क्षेत्र के डैम इस बात के उदाहरण हैं और वहाँ पर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए मध्यम आकार के

डैम इस बात के उदाहरण हैं और वहाँ पर सिंचाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसीलिए मध्यम आकार के डैम बनाये जायं। मान्यवर, एक चीज की कमी और है कि गंगा नदी की स्वच्छता के नाम पर योजना बहुत लम्बे समय से चल रही है, जो एक वास्तविकता है। जो हमारे छोटे कस्बे और शहर इन नदियों के किनारे हैं वह नदियों को बहुत अधिक प्रदूषित भी कर रहे हैं। मान्यवर, इसके लिए हम एक व्यवस्था कर सकते हैं कि इनके सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जाय। सीवरेज ट्रीटमेंट हैदराबाद एक बहुत अच्छा उदाहरण हिन्दुस्तान में है। उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट के द्वारा शुद्ध जल की उपलब्धता को बढ़ाया है।

मान्यवर, कुछ लोग वन्य जीव के विपरीत प्रभाव की बात भी करते हैं। आजकल इसमें बहस भी चल रही है। वह वाईल्ड लाईफ इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट पर बहुत ज्यादा आधारित है। लेकिन दूसरे के अनुभव को किसी ने नहीं देखा। अगर हम बहुत से वन्य जीव अभ्यारण्य में उसकी वाटर बॉडी को हटा दें तो उसका अर्थ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमारे जिम कार्बेट नेशनल पार्क जिसका मुख्य स्थल ढीकाला है, अगर हम उसमें से कालागढ़ डैम को हटाकर देखें तो ढीकाला में वन्य जीव को बचाने में संरक्षण की कोई भी व्यवस्था नहीं है, ये अतिरेक में बनी हुई एक पक्षीय किस्म की चीजें हैं। उनके आधार पर बहुत सारी बातें सामने आयी हैं। हमें निश्चित रूप से इन पर सही चीजों को देश के सामने रखने का प्रयास करना चाहिए।

मान्यवर, मैंने दुविधा शब्द का प्रयोग किया है वह इसलिए किया की गौमुख से उत्तरकाशी के बीच में पालामनेरी और भैरवघाटी योजनाएं सवा सौ करोड़ रूपये खर्च करने के बाद स्थगित हो गयी और जो विरोध राज्य की तरफ से होना चाहिए था वह दर्ज नहीं हुआ। इसी प्रकार नागपाला में इससे कहीं ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद आपत्ति दर्ज कराकर बन्द करा दी गयी, ऐसी स्थिति अन्य जगह पर भी हुई है। अब दुविधा की स्थिति इसलिए भी है कि जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में हमारी कोई नीति नहीं है। अगर हम जल विद्युत की नीति पर बात करें। हम उसके कॉमर्शियल एक्सप्लोटेशन वाले हिस्से पर बात करते हैं। हम यह बताते हैं कि इतने हजार मेगावाट की क्षमता है और इस नदी पर इतनी ज्यादा क्षमता है पर उससे जुड़े हुए जो दूसरे अंग हैं। हम उन अंगो के ऊपर बात नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारी पूर्ण नीति नहीं बन पाती है। कुछ लोगों को आपत्ति रोजगार से भी है। जल विद्युत योजना शुरू में बहुत ज्यादा रोजगार देती है यानी निर्माण कार्य में बहुत रोजगार मिलता है। जब उसका संचालन होता है तो उसमें रोजगार की संख्या बहुत सीमित हो जाती है।

मान्यवर, हमने कभी किसी जल विद्युत परियोजनाओं को पर्यटन के साथ जोड़कर सोचने की कोशिश नहीं की, अगर हम हर जल विद्युत परियोजना को पर्यटन के साथ जोड़ने की कोशिश करते तो शायद हमारी जो जल विद्युत परियोजना से

सम्बन्धित नीति होती, वह एक स्थाई रोजगार को पैदा करने वाली नीति होती। हमने सभी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पान्सिबिलिटी सी0एस0आर0 का फायदा इन जल विद्युत परियोजनाओं से देने की कोशिश नहीं की। मान्यवर, मैंने कुछ जगह पर यह प्रयोग देखा है वहाँ ऐसी योजनायें है, वह योजनाएं अपने कैचमेन्ट एरिया के अन्तर्गत सड़क, पानी, बिजली जैसी व्यवस्थायें तो करती ही हैं, चिकित्सा की व्यवस्था तो करती ही हैं, साथ के साथ वो बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप जैसी व्यवस्था करके उस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को एक अच्छा अवसर प्रदान करती हैं। ऐसी कोई परिकल्पना हमने इन जल विद्युत परियोजना के साथ जोड़कर नहीं रखी। जल विद्युत नीति चाहे भारत सरकार की हो और चाहे हमारी, अगर हम कॉमर्शियल एक्सपर्टेशन से आगे बढ़कर दूसरी चीजों का चिन्तन भी इसके साथ करेंगे, अगर हम अपने तीर्थस्थलों पर शुद्ध जल की उपलब्धता को बढ़ाने की बात करेंगे तो हमारी जो नीति है उसकी एक्सेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी। मान्यवर, मैंने अभी वाइल्ड लाईफ इन्स्टीट्यूट की रिपोर्ट का जिक्र किया उनकी वन्य जीवों के बारे में बहुत ज्यादा चिन्ता है, वन्य जीवों में उनकी सबसे ज्यादा चिन्ता मछली प्रजाति के बारे में है और यह तथ्य वे कहीं जिक्र नहीं करते कि कितनी मछली हैं, वे कितना माईग्रेट करती हैं, किस नदी में किस नदी का क्या सम्बन्ध है। हमें तो हर जल विद्युत परियोजना के साथ जुड़ी हुई ऐसी समस्या को अलग–अलग तरीके से देखना पड़ेगा। पर फिर भी उन लोगों ने एक अच्छा काम किया, उन्होंने हर नदी के मिनिमम एन्वायर्मेण्टल फ्लो का मानक तय कर दिया, उन्होंने इम्पैक्ट रिड्यूसिंग गार्डड इम्पैक्ट लाईन की बात को तय कर दिया, तो अगर हम इन दोनों चीजों को, मिनिमम एन्वायर्मेण्टल फ्लो और इम्पैक्ट रिड्यूसिंग गार्डड लाईन को वाइल्ड लाईफ इन्स्टीट्यूट नीति को स्वीकार करके अपनी जल विद्युत नीति बनाते हैं तो निश्चित रूप में हमारी उस नीति की स्वीकार्यता बढ़ जायेगी। यह बात बिल्कुल सही है कि 20 हजार मेगावाट बिजली के लिए अगर हम 20 हजार हेक्टेयर वन भूमि को दे भी देते हैं तो वो हमारे राज्य की 0.5 या 0.6 प्रतिशत वन भूमि होगी और यह हमारी जल विद्युत की घोषित नीति का अंग होना चाहिए।

मान्यवर, एक और अजीब सी स्थिति है, हम एक नदी को एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह योजना बनाकर अभी प्रभावित कर ही चुके हैं और जिन योजनाओं को हमने आधा बना दिया है वह एन्वायर्मेण्ट का जितना नुकसान कर सकती थीं उतना नुकसान वह कर चुकी हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर हम इसको रोककर रख देंगे तो हमारी स्थिति न माया मिली और न राम वाली रह जायेगी। इसमें जल विद्युत और पर्यावरण जैसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो क्षेत्र हैं उसमें एक व्यक्ति या एक समूह के विचारों के निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए, यह हमारी जल विद्युत नीति का भाग होना चाहिए। मान्यवर, हमें जो चुनौती मिल रही है, वो चुनौती वास्तव में उन लोगों से है जो या तो किसी विदेशी संस्था के द्वारा सम्मानित हैं और या किसी विदेशी संस्था के द्वारा

सम्मानित होना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति, संस्थाओं और संगठनों के प्रति हमें राज्य की नीति को स्पष्ट करना होगा। जिन लोगों ने इस बहस को पैदा किया वो किस सम्मान के हकदार हैं यह हमारे इस राज्य की नीति में स्पष्ट रूप से तय होना चाहिए। हम कभी बैठकर उनकी बात को सुनने लगें और कभी राज्य के हित के नाम पर उनकी बात का विरोध करने लगें, तो यह मानसिकता और यह दुविधा ठीक नहीं है। इसलिए मैंने यह संकल्प इस सदन में प्रस्तुत किया है।

हम ऐसे लोगों की बात का सम्मान करेंगे या राज्य के निवासियों के हितों को प्राथमिकता देंगे, यह नीति निर्धारण करने का अनुरोध मैं इस माननीय सदन से करता हूँ। यही वह बिन्दु हैं जहाँ अगर हमारे मन में कहीं कोई दुविधा रही तो हम कभी सही फैसला नहीं ले पायेंगे। हमें अपनी जल विद्युत परियोजनाओं की नीति न्यूनतम विस्थापन, छोटे बाँध, चाहे वह जल विद्युत के निर्माण के लिए हों, चाहे वह बहुउद्देश्य बांध हो, जिनका जिक्र मैंने अपस्ट्रीम बांध के रूप में किया है। मान्यवर, न्यूनतम डाईवर्जन बहुत बड़ी सुरंग बनाने की योजनाओं को अगर हम नकारना चाहें तो निश्चित रूप से इसके बारे में हमें स्पष्ट रूप से निर्णय लेना चाहिए। मान्यवर, बांध संवर्द्धन, किस प्रकार से हम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की व्यवस्था कर सकते हैं। मान्यवर, सोशल रिसपान्सबिलिटी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। धार्मिक और सामाजिक महत्व की सुरक्षा की कल्पना करते हुए अगर जल विद्युत नीति बनाते हैं तो कामर्शियल एक्सप्रलाईटेशन के आधार पर जो आज हमारी जल विद्युत नीति उपलब्ध है, जिसके ऊपर आज एक बहस सारे देश में चल रही है तो वह स्थिति हम समाप्त कर सकते हैं।

यह दुविधा हमारे नीति निर्धारकों की नीति में हैं। "हां, अति सर्वत्र वर्जते" के सिद्धांत का हमें पालन करना पड़ेगा। मान्यवर, न तो हम दोहन में अति करें और न ही संरक्षण के नाम पर अति हो। यह सांमजस्य बैठाने की नीति हमारी जल विद्युत नीति होनी चाहिए यह निवेदन करना मेरे इस संकल्प का उद्देश्य था यह आज का बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, इसके ऊपर अगर अविलम्ब हम अपनी नीति को, राज्य की नीति को निर्धारित नहीं करते हैं....।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री नवप्रभात–

मान्यवर, मैं समाप्त कर रहा हूँ। तो इस राज्य को अपूर्णनीय क्षति भी हो सकती है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना यह संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प पर भी आगे चर्चा जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष–

चर्चा जारी रहेगी।

नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण, श्री मदन कौशिक, श्री राजकुमार, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री हरबन्स कपूर तथा श्री प्रेमचन्द अग्रवाल की कुल 06 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री ललित फर्स्वाण की सूचना, जो कि विधान सभा क्षेत्र कपकोट के शांम क्षेत्र के जनजातीय लोगों को पशुपालन विभाग द्वारा ऊन उपलब्ध न कराये जाने से हो रही कठिनाई के सम्बन्ध में है, को वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

ऋषिकेश में गंगा तट पर स्नानार्थी श्रद्धालुओं की गंगा में डूबने से लगातार हो रही मृत्यु की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री महावीर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

[जनपद देहरादून के अन्तर्गत थाना ऋषिकेश क्षेत्र में गंगा नदी पर स्नान हेतु त्रिवेणी घाट, साई घाट एवं 72 सीढ़ी घाट स्थापित हैं। इसके अतिरिक्त जनपद पौड़ी में थाना लक्ष्मणझूला और जनपद टिहरी गढ़वाल में थाना मुनिकीरेती में भी पक्के एवं नियमित घाट श्रद्धालुओं के स्नान हेतु निर्मित किये गये हैं। ऋषिकेश उक्त तीनों थाना–क्षेत्रों के अन्तर्गत आता है। उक्त तीनों क्षेत्र पृथक–पृथक हैं व उनमें से एक क्षेत्र लक्ष्मणझूला है, जिसमें हाल ही में तीन छात्रों की डूबने से मृत्यु हुई है।

पक्के एवं नियमित घाटों पर यात्रियों की सुरक्षा हेतु पुलिस का प्रबन्ध होता है। प्रायः यह देखने में आया है कि लोक पक्के घाटों पर कतिपय कारणों से स्नान नहीं करते हैं एवं पक्के घाटों के आसपास के स्थलों पर लोग स्नान करते हैं, जहां पर पुलिस व्यवस्था नहीं होती है, तब अप्रिय घटना घटित होती है। थाना ऋषिकेश स्थित घाटों पर यात्रियों की सुरक्षा एवं बचाव हेतु त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी पर 02 उप निरीक्षक, 06 आरक्षी, नागरिक पुलिस तथा 03 आरक्षी जल पुलिस के नियुक्त किये गये हैं, जो निरन्तर घाटों पर चौकसी एवं सतर्क दृष्टि रखते हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य–मुख्य स्नान पर्वों पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था थाना स्तर से की जाती है तथा अतिरिक्त पीएसी बल यथा आवश्यकता उपलब्ध कराया जाता है। थाना ऋषिकेश क्षेत्र में वर्ष 2011 में 55 व्यक्तियों को डूबने से बचाया गया है, 08 की मृत्यु हुई है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिनांकः 15.05.2012 को थाना लक्ष्मणझूला क्षेत्रान्तर्गत छात्र की डूबने से हुई मृत्यु के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना पर थाना से पुलिस बल मय आपदा राहत टीम, जल पुलिस एवं गोताखोर तत्काल मौके पर पहुँचे तथा नदी में डूबे चंडीगढ़ निवासी 03 छात्रों के शवों को उसी दिन बरामद किया गया।

उक्त घटना जिस स्थान पर घटित हुई, वह स्थान नियमित एवं पक्के घाट के अन्तर्गत नहीं आता है। छात्रों द्वारा 200 मीटर लम्बी खुली, रेतीली एवं पथरीली पट्टी पर स्नान किया जा रहा था। चूंकि यह पट्टी काफी खतरनाक हैं, अतः सुरक्षा की दृष्टि से इस पट्टी पर 01 आरक्षी जल पुलिस, 01 गोताखोर व 01 महिला कान्सटेबल की ड्यूटी उक्त तिथि को लगायी गयी थी। घटना के समय पुलिस कर्मी उक्त पट्टी पर नहीं थे, जिसके लिए इन्हें निलम्बित कर दण्डित किया गया है।

थाना लक्ष्मणझूला/मुनिकीरेती क्षेत्र में डूबने की घटनाओं पर स्थानीय नागरिकों, व्यापारियों, जल पुलिस, गोताखोर पुलिस, पीएसी आपदा के कर्मियों से गोष्ठी कर पुनः कार्य योजना तैयार की गयी है। मुनिकीरेती क्षेत्र में स्थित 'डिवाइन रिसॉर्ट' की छतों पर अस्थायी वाच–टॉवर स्थापित किया गया है, जिसमें वैनाकुलर सहित पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है, जो दोनों थाना क्षेत्र के घाटों पर सतर्क दृष्टि रखने तथा क्षेत्र की जल पुलिस एवं गोताखोर पुलिस के सम्पर्क में रहते हैं। इस प्रकार जनपद पौड़ी एवं जनपद देहरादून पुलिस द्वारा कुल 91 व्यक्तियों को वर्ष 2011 एवं 2012 के दौरान गंगा नदी में स्नान करते समय बचाया गया है।

पयर्टकों एवं अन्य लोगों से नियमित घाटों पर ही स्नान करने एवं गंगा नदी के अन्य खुले स्थानों पर स्नान न करने सम्बन्धी निर्देशों का प्रभावी एवं व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाता है तथा ऐसे स्थान जहाँ पर डूबने की घटनाएं हुई हैं, वहाँ पर विशेष चौकसी बरती जा रही है। जनपद में उपलब्ध फ्लड कम्पनी के एक प्लाटून से डेढ सैक्शन को लक्ष्मणझूला स्थित घाटों एवं गंगा नदी के ऐसे स्थानों पर, जहाँ पर डूबने की घटनाएं हुई है, चौकसी हेतु नियुक्त किया गया है।]

जनपद हरिद्वार में बरसात के समय बी0एच0ई0एल0 के अन्दर से पानी आने के कारण हजारों परिवारों के प्रभावित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर शहरी विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

शहरी विकास मंत्री (श्री प्रीतम सिंह पंवार)–

[नगर निगम, हरिद्वार से सटे हुए क्षेत्र बी0एच0ई0एल0 एवं रोशनाबाद क्षेत्र का पानी नगर के भगत सिंह चौक होते हुए नये हरिद्वार एवं रानीपुर मोड़ के आबादी क्षेत्रों में प्रवेश करता है। इस क्षेत्र में निगम द्वारा नगर क्षेत्र के पानी की निकासी हेतु बनाये

नोट :– [ ] यह अंश पढा हुआ माना गया।

गये नालों की क्षमता नगर के बाहर से बी0एच0ई0एल0 एवं रोशनाबाद से आने वाले पानी की निकासी हेतु अपर्याप्त होने के कारण जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा कुछ वर्ष पूर्व बी0एच0ई0एल0 द्वारा बी0एच0ई0एल0 क्षेत्र में बरसाती पानी के जल भराव को रोकने के लिए एक अस्थाई बांध का निर्माण किया गया, जिसके पश्चात हरिद्वार नगर में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई।

उक्त समस्या के निदान के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा एक समिति गठित की गई थी। इसी क्रम में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिद्वार नगर के स्टोर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम हेतु एक डीपीआर रू. 2247.82 लाख निदेशक, शहरी विकास निदेशालय के माध्यम से स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित की गयी, जिस पर स्वीकृति अपेक्षित है। उक्त डीपीआर पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उक्त समस्या का पूर्णतः समाधान सम्भव हो पाएगा।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं 04 जून, 2012 के पूर्वाहन् 11:00 बजे तक के लिए।

(इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही 06 बजकर 05 मिनट पर सोमवार, दिनांक 04 जून, 2012 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून,
दिनाँकः 01 जून 2012।

डी0पी0 गैरोला,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तराखण्ड

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–1 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–01 पर)

वर्ष 2002 से 31 मार्च, 2012 तक सेवायोजन कार्यालय देहरादून में पंजीकृत बेराजगारों का विवरण

क्र0सं0	वर्ष	सक्रिय पंजिका में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या
1.	2000	72031
2.	2001	81386
3.	2002	76864
4.	2003	69146
5.	2004	67426
6.	2005	72741
7.	2006	82263
8.	2007	81869
9.	2008	66091
10.	2009	70460
11.	2010	88816
12.	2011	110494
13.	2012 (31 मार्च तक)	114052

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–2 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–7–8 पर)

राज्य के सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत बेराजगारों का जिलेवार विवरण

क्र0सं0	जिला का नाम	सक्रिय पंजिका में पंजिकृत बेरोजगारों की संख्या
1.	अल्मोड़ा	58983
2.	नैनीताल	64085
3.	पिथौरागढ़	46041
4.	ऊधमसिंह नगर	62336
5.	बागेश्वर	28986
6.	चम्पावत	16990
7.	देहरादून	125775
8.	टिहरी	48300
9.	उत्तरकाशी	40740
10.	हरिद्वार	51948
11.	पौड़ी	65066
12.	चमोली	31524
13.	रूद्रप्रयाग	25903

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–15–16 पर)

श्रम कानूनों के तहत वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 में विभिन्न प्रतिष्ठानों के विरूद्ध दायर अभियोजन का विवरण

वर्ष 2010–11

क्र0सं0	प्रतिष्ठान का नाम	दायर अभियोजनों की संख्या
1.	सूर्या प्रोसिड फूड प्रा0लि0 सिडकुल हरिद्वार	03
2.	गुलशन लेमी	02
3.	इन्डो एशियन	02
4.	स्टैण्डर्ड	02
5.	जीनस पावर	05
6.	वी0आई0पी0	07
7.	एच0 क्यू0 लैम्पस	08
8.	प्रिन्स इण्डस्ट्री	07
9.	राजा उद्योग	16
10.	विजय इलेक्ट्रोनिक्स	02
	योग	54

वर्ष 2011–12

क्र0सं0	प्रतिष्ठान का नाम	दायर अभियोजनों की संख्या
1.	परफैक्ट फुड्स	05
2.	वी0एल0सी0सी0	03
3.	एक्मस ड्रग्स	04
4.	सेंचुरी मेटल	09
5.	स्पीड क्राफ्ट	05
6.	एंकर हेल्थ	04
7.	जीनरा पॉवर	01
8.	पारसनाथ इण्टरप्राइजेज	02
	योग	33

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 25 विधान सभा/642–06–03–2014–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।